Par. S. 17. I. 30 52
285

अंक १

संख्या ३०

शनिवार

२८ जून, १९५२

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १९२१—१९२३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १९२३—१९५२]

(मूल्य ४ आने)

334 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शनिवार, २८ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्षपद पर आसीन थ]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कोरिया-मंचूरिया सीमा पर संयुक्त राष्ट्र-संघ का हवाई हमला

श्री वेंकटारमन् : क्या **प्रधान मंत्री** कोरिया में संयुक्त-राष्ट्र संघ की सेनाओं के द्वारा कोरिया-मंचूरिया सीमा पर स्थित विद्युत् संयंत्रों पर किये गये हवाई हमलों, तथा इन के विश्व-शान्ति पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां। कोरिया-मंचूरिया सीमा पर और उस के निकटस्थ विद्युत संयंत्रों पर हवाई हमले हुए थे।

कोरिया में सैनिक कार्यवाहियों से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी वह प्रयत्नशील है कि यह कार्यवाहियां समाप्त हो जायें और युद्ध बन्द हो जाये जिस से कि भिन्न भिन्न विवाद-ग्रस्त समस्याओं का समाधान हो जाये। इन सैनिक-कार्यवाहियों का सम्भाव्य विस्तार विश्व-शान्ति को ख़तरे में डाल सकता है। जैसा कि सुज्ञात है कोरिया में युद्धबन्दी और अस्थायी सन्धि के विषय में सन्तोषजनक समाधान ढूंढ निकालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है—यद्यपि दो-एक समस्यायें अब भी हल होनी बाकी हैं। इस समझौते के होने में जो भी कार्यवाही सम्भवतः बाधक हो वह अत्यन्त दुर्भाग्य-पूर्ण और खेदजनक होगी।

यद्यपि सरकार कोरिया युद्ध में कोई भाग नहीं ले रही है, तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर की जाने वाली कार्यवाहियों के विषय में उस पर परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व आ पड़ता है, और विशेषतया अधिक मात्रा में जब कि ऐसी कार्यवाहियां संघर्ष-क्षेत्र में सम्भवतः विस्तार कर सकती हैं। सरकार इस विचार से क्षुब्ध हो उठती है कि कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के तथा युद्ध और शान्ति के भविष्य का निर्णय उचित परामर्श के बिना ही न कर दिया जाये और सम्भव है कि वह अन्ततोगत्वा सेनापतियों के विवेक पर न छोड़ दिया जाए जो विश्व पर प्रभाव डालने वाले व्यापक प्रश्नों की अपेक्षा स्थानीय सैनिक लक्ष्यों का संभवतया अधिक विचार रखेंगे। सरकार की दृष्टि में विश्व-शान्ति बनाये रखने का और कोरिया में युद्धबन्दी

तथा अस्थायी शान्ति के विषय में वर्तमान वार्त्ताओं की सफल समाप्ति का, विशेष महत्व होना चाहिए।

श्री एच० एन० मुखर्जी उठे—

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किये जा सकते। जब कोई वक्तव्य दिया जाता है तब माननीय सदस्य उस पर विचार करके यदि उन्हें कोई प्रश्न पूछना होता है तो उस की सूचना दे देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चूने का पत्थर और खड़िया

*१२९५. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में चूना बनाने के लिये वर्ष १९५१-५२ में चूने के पत्थर और खड़िया मिट्टी के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया था?

(ख) यदि हां, तो उस अनुसन्धान का क्या परिणाम निकला?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). भारत के भूतत्व परिमाप संचालक ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि सन् १९५०-५१ में गुरदासपुर ज़िले में चूने के पत्थर और खड़िया मिट्टी के विषय में प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य किया गया था, परन्तु वह सन् १९५१-५२ में जारी नहीं रखा गया। चूने का पत्थर, शिलाओं के रूप में (१) पठानकोट से ३ मील पूर्व में चक्की नदी के तल में और (२) समतल तह के रूप में पठानकोट-डलहोज़ी सड़क के साथ साथ मील-पत्थर ३९ और ४०$\frac{1}{2}$ के बीच डुनेरा विश्राम गृह के निकट की पर्वत मालाओं में पाया गया। चक्की नदी के तल से और सड़क के खुले भाग दोनों से ही नमूने इकट्ठे किये गये। भारत भूतत्व परिमाप विभाग द्वारा किये गये विश्लेषणों से यह प्रकट हुआ कि चूने का यह पत्थर चूना और सिमेन्ट बनाने के लिये सामान्यतया उपयुक्त है, किन्तु कुछ अंशों में अधिक मात्रा में सैकजा (सिलिका) का पाया जाना संभव है। अतः किसी उद्योग की कोई योजना बनाने से पहले उसका सविस्तार पूर्वेक्षण करना होगा।

भारत भूतत्व परिमाप विभाग ने इस क्षेत्र में खड़िया मिट्टी सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य बन्द कर दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस खनिज के पाये जाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय

*१२९६. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय का कोई नया एकक (यूनिट) वर्ष १९५१-५२ में बनाया गया है?

(ख) यदि हां, तो कहां?

(ग) क्या इस अवधि में हिन्दी राष्ट्रीय छात्र सैनिकों को नियमित कमीशन दिये गये?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) मद्रास में एक हवाई दस्ता। पालघाट (मद्रास) में एक पथक् पैदल कम्पनी। बंगलौर की विज्ञान संस्था में एक ई० एम० ई० (विद्युत् यंत्रीय इंजीनियरिंग) सैक्शन। ट्रांवनकोर-कोचीन में छः कनिष्ठ विभाग सेनायें (जूनियर डिबीज़न ट्रुप्स)। रायपुर के राजकुमार कालेज तथा सनावर के लारेन्स स्कूल में कनिष्ठ विभाग का एक एक उप-एकक।

(ग) सन् १९५१ में वरिष्ठ विभाग के १८ सैनिक छात्र चुने गये थे जिन में से वास्तव में १७ ने नैशनल डिफेन्स एकेडेमी में प्रवेश लिया। इन में से १४ को पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर अभी अभी कमीशन दिये गये हैं।

वैज्ञानिक जनशक्ति समिति

*१२९७. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिशों को अभी तक कहां तक कार्यान्वित किया जा चुका है ?

(ख) श्री जी० एन० मेहता के सभापतित्व में उप-समिति क्यों बनाई गई ?

(ग) क्या उस उपसमिति ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) उक्त समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशों पर जो कार्यवाही की गई हैं, उसका विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३]

(ख) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् ने वह समिति, जो प्रविधिक जन-शक्ति समिति के नाम से ज्ञात है, नियुक्त की है; क्योंकि पहले जब वैज्ञानिक जन-शक्ति ने अनुमान किया था, तब से उक्त परिषद् की राय में परिस्थितियां इतनी बदल चुकी थीं कि उन के पुनर्विलोकन की आवश्यकता थी।

(ग) जी हां।

पूजीगत वस्तुओं का आयात

*१२९८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पिछले तीन वर्षों में भारत को विदेशों से कम पूंजी तथा पूंजीगत वस्तुएं मिली हैं;

(ख) क्या इस अवधि में भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन घटा है; तथा

(ग) भारत में उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की वार्षिक दर में बढ़ोतरी हुई है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में सन् १९५० में किञ्चित कमी दिखाई दी थी परन्तु उसमें हाल में कुछ सुधार दिखाई दिया है।

(ख) औद्योगिक क्षेत्र में चीनी और कपड़े को छोड़ कर जिनका उत्पादन सन् १९५० में घटा था किन्तु सन् १९५१ में बढ़ा था, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में पिछले तीन वर्षों में धीरे धीरे वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों से यह अनुमान किया जा सकता है कि सन् १९४९-५० की तुलना में सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ में अनाज की पैदावार कम हुई, किन्तु कपास, पटसन और चाय की पैदावार में क्रमिक वृद्धि हुई।

(ग) सन् १९५० में कपड़े के उत्पादन में कमी अंशत: बम्बई में मजदूरों की हड़ताल और अंशत: कच्चे माल की कमी के कारण हुई। उस वर्ष चीनी के कम उत्पादन का कारण मिलों को कम गन्ना मिलना था। सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ में अनाज की कम पैदावार होने का कारण जल-वायु की असाधारण दशा थी।

बृटिश प्रबन्ध अभिकरण

*१२९९. **श्री बी० पी० नायर**: क्या **वित्त** मंत्री भारत में बृटिश प्रबन्ध अभिकरणों (ब्रिटिश मैनेजिंग एजेनसीज़) के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): माननीय सदस्य का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है जो मैं सदन पटल पर रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४**]

प्रति व्यक्ति आय

*१३००. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में देश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी ; तथा

(ख) यह सन् १९५१-५२ से पूर्व के तीन वर्षों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कैसी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) सन् १९५१-५२ में प्रति व्यक्ति आय के प्राक्कलन अभी निकाले नहीं गये हैं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा

*१३०१. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की विभागीय परीक्षाओं के नियंत्रक नियमों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारियों के स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में एक सहायक नियम सन् १९५२ के आरम्भ तक विद्यमान था कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने के हेतु एक प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अन्य सभी में योग्यता प्रदायक अंकों के रूप में ५५ प्रतिशत अंक योगफ़ल में से प्राप्त करने चाहियें ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में इस नियम में परिवर्तन करके उसे भूतापेक्षीय प्रभाव से क्रियान्वित किया गया है ; था

(ग) यदि हां, तो नियमों के इस परिवर्तन से कितने परिवीक्षाधीन पदाधिकारियों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग). भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा की प्रथम तथा द्वितीय विभागीय परीक्षायें पास करने का नियम यह है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्येक विषय में ४० प्रति शत से कम अंक, और सब विषयों के योग फल में से ५० प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त करने चाहियें। यह नियम ज्यों का त्यों है। हां, एक सहायक नियम यह था कि जो परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रथम विभागीय परीक्षा में संक्षेपिका तथा मसौदे के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में तथा योगफल में योग्यता प्रदायक अंक प्राप्त करे वह द्वितीय विभागीय परीक्षा देने में समर्थ हो, यदी संक्षेपिका तथा मसौदे के अतिरिक्त अन्य विषयों में उस के अंकों का योगफल ५५ प्रति सैंकड़े से अधिक हो, किन्तु यह शर्त भी थी कि वह उस प्रश्न पत्र में भी पुनः बैठे जब तक कि वह उस में योग्यता प्रदायक अंक न प्राप्त कर ले। पिछले दिसम्बर में ली गई प्रथम विभागीय परीक्षा के फल अत्यन्त निराशाजनक थे। अतः यह प्रतिशतता ५५ से गिरा कर ५० कर दी गई। इस से तीन परिवीक्षाधीन व्यक्ति आगामी जुलाई में द्वितीय विभागीय परीक्षा में प्रथम परीक्षा के संक्षेपिका तथा मसौदे के प्रश्न पत्र सहित बैठने में समर्थ हो

सकेंगे । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी बतला दूं कि पहले भी ऐसी परिस्थितियों में ऐसी ही उदारता की जा चुकी है । इस से मुख्य नियम के अधीन बताये गये न्यूनतम प्रतिशतता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जो ज्यों की त्यों है ।

नेल्लोर जिले में भूतत्वीय परिमापन

*१३०२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नेल्लौर जिले (मद्रास राज्य) में भूतत्वीय परिमापन से नेल्लौर जिले के कराली ताल्लुके के गरीमेनापेन्टा गांव में अच्छे प्रकार का और अधिक परिमाण में तांबा पाया जाने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिक गहन अनुसन्धान करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, और यदि की है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). जी नहीं, भारत के भूतत्वीय परिमापन संचालक ने यह प्रतिवेदित किया है कि भारतीय भूतत्वीय परिमापन विभाग द्वारा नेल्लौर जिले के कराली ताल्लुके के गरीमेनापेन्टा गांव में तांबे के पहिले जो निक्षेप निकाले गये थे उन से तथा तांबे के कथित निक्षेपों पर किये गये परीक्षण से यह व्यक्त होता कि वहां गहराई में तांबे के उपयोगी निक्षेप नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सकीय सेवाओं का एकीकरण

*१३०३. **श्री थिरानी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सकीय सेवाओं के एकीकरण के पहले तीनों सेवाओं म से किसी के लिये भी पृथक् चिकित्सालय नहीं थे ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अब पृथक् पृथक् चिकित्सालयों की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या ऐसा कोई स्थान है जहां सशस्त्र सेनाओं के दो या तीन चिकित्सालय हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) नौ-सेना और वायु सेना में नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के लिये डाक्टरी अभ्यास की सुविधा की व्यवस्था करने और नौ-सेना और वायु सेना की चिकित्सकीय शाखाओं के नौ-भटों तथा वायुयान चालकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के हेतु दो चिकित्सालय जो पहले सेना के चिकित्सकीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा संचालित होते थे, स्थानान्तरित कर दिये गये हैं—एक नौ-सेना को और दूसरा विमान-सेना को । तथापि दोनों चिकित्सालय तीनों सेवाओं के सदस्यों की चिकित्सा करते हैं ।

(ग) जी हां, केवल जोधपुर में, जहां दो छोटे छोटे चिकित्सालय हैं एक विमान-सेना के लिये और दूसरा स्थल-सेना के लिये । मुख्यतः स्थान की कमी के कारण ही इन दोनों को सम्मिलित करना संभव नहीं हुआ ।

सैनिक पदाधिकारी

*१३०४. **श्री थिरानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कर्नल तथा **उससे ऊंचे**

पद के अधिकारियों की समस्त पदोन्नतियों, नियुक्तियों तथा पद-योजनाओं के लिये रक्षा मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : जी हां ।

हरिजन छात्रों का प्रवेश

*१३०५. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री वह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि साधारणतः सैनिक पदाधिकारियों के बच्चों को ही लारेंस स्कूल, सनावर, शिमला पहाड़ी और लवडेल, नीलगिरि में प्रवेश मिलता है ; तथा

(ख) गत वर्ष इन स्कूलों में हरिजन छात्रों की संख्या कितनी थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) गत वर्ष इन दोनों स्कूलों में कोई हरिजन विद्यार्थी नहीं था ।

हिन्दी का विकास

*१३०६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री शिक्षा मंत्रालय की सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के कार्यक्रम के प्रतिवेदन के पृष्ट २ में वर्णित हिन्दी के विकास तथा प्रचार की क्रम-वद्ध और समायोजित पंच-वर्षीय योजना की एक प्रति सदन पटल पर रखने और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उक्त योजना की कार्यान्विति के लिये गठित हिन्दी वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली पर्षद् तथा भाषाविज्ञान वेत्ताओं की समिति के सदस्यों के नाम तथा उत्संज्ञायें यदि कोई हों, क्या हैं ।

(ख) क्या प्रो० डा० रघुवीर द्वारा संकलिन आंगल भारतीय महा कोष सरकार तथा उक्त समितियों के ध्यान में आया है;

(ग) क्या उक्त भाग (क) में वर्णित पंच-वर्षीय योजना इस दिशा में केन्द्र की कार्यवाहियों तक सीमित है अथवा उस योजना को राज्यों में भी जारी करने का विचार है; तथा

(घ) यदि है, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सम्बन्धित पंच-वर्षीय योजना की एक प्रति और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली पर्षद् तथा भाषा विज्ञान वेत्ताओं की समिति के सदस्यों की नाम सूची सदन-पटल पर रख्खी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). सरकार ने हिन्दी के प्रचार तथा विकास की योजना देश भर के लिये बनाई है, परन्तु इस समय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उस के प्रचार की ओर अधिक जोर दिया जा रहा है । राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सभी राज्यों का सहयोग अपेक्षित है ।

इटैलियन छात्रवृत्तियां

*१३०७ **गणपति राम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इटली की सरकार ने भारतीय छात्रों को सन् १९५१-५२ में इटैलियन विश्व विद्यालयों में अध्ययन करने के लिये कोई छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि की हैं, तो कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं और किन विषयों के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं; तथा

(ग) कुल मूल्य तथा प्रदान की अवधि कितनी है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) एम० ए० की उपाधि प्राप्त विद्यार्थी पात्र हैं । यह छात्रवृत्तियां विज्ञान, कला, शिक्षा, इन्जीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये प्रदान की जाती हैं ।

(ग) आठ मास के लिये प्रति मास ४२,५०० लिरे और यातायात व्यय तथा विश्व विद्यालय शुल्कों के लिये ५,००० लिरे अलग ।

अनन्तपुर जिले में हीरे की खानें

*१३०८ **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भूतत्वीय विभाग ने अनन्तपुर ज़िले के वज्रकरूर स्थान के निकट हीरे वाली पट्टी का पूर्णतया पर्यालोकन किया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : जी हां ।

भाग "ग" में के राज्यों में विधि का संहिता बन्धन

१३०९ **श्री गणपति राम** : क्या **विधि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भाग ग में के राज्यों में लागू विधियों का संहिता बंधन भारत सरकार के विधि मंत्रालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचाराधीन है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि अधिक संख्या में प्रान्तीय परिनियम भारत सरकार के सूचनापत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के द्वारा बिना रूप भेदों के अथवा मूलक रूप में ही इन राज्यों पर लागू कर दिये गये थे ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी हां । भाग ग में के राज्यों में लागू समस्त विधियों के (जिन में वह केन्द्रीय विधियां सम्मिलित नहीं हैं जो उन हर भारत का अंग होने के नाते लागू होती हैं) संकलन तथा प्रकाशन का कार्य इस समय परीक्षाधीन है और भारत सरकार उन राज्य क्षेत्रों में लागू विभिन्न विधियों के विषय में जानकारी संग्रह करने के लिगे इस सम्बन्ध में भाग ग में के राज्यों की सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रही है ?

(ख) जी हां ।

संयुक्त राज्य अमरीका भेजे जाने वाले भारतीय

*१३१०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन् १९५२-५३ में प्रविधिक सहकारिता सहायता करार के अधीन कितने भारतीय संयुक्त राज्य अमरीका भेजे जायेंगे;

(ख) चुनाव की रीति क्या होगी ; तथा

(ग) भारत सरकार व्यय का कितना प्रतिशत भाग वहन करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) यह विषय अभी विचाराधीन है।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालय और राज्यों की सरकारें जहां कहीं सम्भव हो चुनाव समितियों की सहायता से यह चुनाव करती हैं।

(ग) भारत सरकार प्रशिक्षण के लिये अपने जिन कर्मचारियों को भेजेगी उन के केवल आन्तरिक यातायात तथा वेतनों का व्यय वहन करेगी।

उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थों का पर्यालोकन

*१३११ **श्री बी० एन० राय** : क्या **प्रतिकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के कुमाऊं प्रदेश तथा विन्ध्य पहाड़ी प्रदेश में खनिज पदार्थों के लिये कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यालोकन किये गये हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६]**

लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की आय कर से मुक्ति

*१३१२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लाभ न कमाने वाली सभी संस्थायें आयकर की व्याप्ति से मुक्त हैं ;

(ख) क्या क्रीड़ा संस्थायें आयकर देने के लिये बाध्य हैं; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि पिछले आठ वर्षों से क्रिकेट असोशिएशन आफ बंगाल पर आयकर लगाया जा रहा है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) यदि कोई संस्था इस अर्थ में कोई आय नहीं करती और वह वस्तुतः लाभ नहीं कमाती तो कर देने की बाध्यता का प्रश्न नहीं उठेगा। माननीय सदस्या के ध्यान में एक ऐसा मामला है जिस में यद्यपि कुछ आय तो अर्जित की जाती है परन्तु उस आय का उपभोग करने वाला कोई बाहरी हितग्राही नहीं है। ऐसे मामले में भी वह आय कर देने के लिये बाध्य है।

(ख) क्रीड़ा संस्थायें अपने सदस्यों से उदाहरण के लिए सम्बन्धन शुल्क, प्रवेश-शुल्क, सदस्यता-शुल्क, आदि से होने वाली आयों के अतिरिक्त अन्य समस्त आयों के विषय में कर देने के लिये बाध्य हैं।

(ग) पिछले आठ वर्षों में क्रिकेट असोशिएशन आफ बंगाल पर आय-कर लगाया जा रहा है या नहीं इस का निश्चय उन के कर-निर्धारण पत्रों से ही हो सकता है; परन्तु ऐसी किसी जानकारी का उद्घाटन आय-कर अधिनियम की धारा ५४ के अधीन निषिद्ध है।

अणु शक्ति

* १३१३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अणु शक्ति के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम थोरियम तथा अन्य खनिजों के निक्षेप भारत में किन किन स्थानों में उपलब्ध हैं;

(ख) भारतीय अणु शक्ति आयोग कब से कार्य कर रहा है;

(ग) क्या वह आयोग अणु शक्ति को औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनाओं के हेतु काम में लाये जाने के लिए कोई उपाय ढूंढ सका है; तथा

(घ) यदि हां तो उस के ब्योरे, यदि हों, क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर पाये जाने वाली मोनाज़ाइटयुक्त बालु में थोरियम है। यूरेनियम बिहार तथा भारत के अन्य स्थानों में पाया जाता है। जहां यह पाये जाते हैं उन का ठीक ठीक स्थान प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) भारतीय अणु शक्ति आयोग अगस्त १९४८ में स्थापित आ था।

(ग) और (घ). अभी किसी भी देश में अणु शक्ति को औद्योगिक शक्ति के उत्पादन के लिये प्रयुक्त नहीं किया गया है, किन्तु जलयानों तथा पनडुब्बियों के लिये अणु शक्ति युक्त संयंत्र शीघ्र उपलब्ध हो सकेंगे। औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अणु शक्ति का उपलब्ध होना एक दशक के भीतर सम्भव हो सकेगा, भारतीय अणु शक्ति आयोग ने भारत में अणु प्रतिक्रिया सूचक यंत्र लगाने के विषय में सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखे हैं।

सचिवालय प्रक्रिया सारग्रन्थ

***१३१४. श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्त मंत्रालय में कार्य के विभिन्न स्तरों पर शीघ्रता, दक्षता तथा तत्परता से पूर्ण किये जाने के लिये प्रक्रिया में कौन कौन से नये मुख्य मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ?

(ख) क्या वह केन्द्रीय सचिवालय की प्रक्रिया-सारग्रन्थ में समाविष्ट कर लिये गये हैं ?

(ग) क्या यह परिवर्तन अन्य मंत्रालयों में भी लागू किये गये हैं ?

(घ) क्या संशोधित सारग्रन्थ की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : मुख्य मुख्य परिवर्तन यह हैं :—

(१) डाक के आते ही सम्बद्ध पदाधिकारी उसे तुरन्त पढ़ते हैं और उस प्रक्रम में जितने भी मामले निपटाये जा सकते हों उन्हें वह निपटा देते हैं और उस रीति के सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश भी दे देते हैं जिस के अनुसार अन्य मामले निपटाये जाने चाहियें ;

(२) अपने देरेबरेख सम्बन्धी कृत्यों के अतिरिक्त अधीक्षकों [अनुभाग (सैक्शन) पदाधिकारियों] को विशिष्ट प्रकार के मामले स्वयं ही निपटाने पड़ते हैं;

(३) प्रत्येक अनुभाग कुछ चुने हुए सहायकों को अपना कार्य अनुभाग पदाधिकारियों के द्वारा भेजने के स्थान पर सीधे सम्बद्ध शाखा पदाधिकारियों के पास भेजने की आज्ञा दे दी गई है;

(४) कार्यालय सहायकों के द्वारा अनावश्यक टिप्पणी लेखन की समाप्ति।

(ख) जी हां।

(ग) जहां तक मुझे ज्ञात है इस सम्बन्ध में मुख्य मुख्य उपबन्धों का पालन अन्य मंत्रालयों में किया जा रहा है ?

(घ) जी हां, ज्योंही उस सारग्रन्थ को अन्तिमरूप दे कर मुद्रित किया जायेगा।

कमीशन प्राप्त कनिष्ठ पदाधिकारी

*१३१५. **श्री वीरस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कमीशनप्राप्त कनिष्ठ पदाधिकारियों की पदाली को समाप्त कर के उस के स्थान पर वारंट पदाधिकारियों की पदाली आरम्भ करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : जी नहीं ।

अफ़ीम की खपत

*२८६. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन राज्यों नें अफीम की खपत नियत मात्रा से अधिक है ;

(ख) क्या इन राज्यों ने विहित मात्रा तक आ जाने के लिये अपनी आवश्यकताओं को क्रमशः घटाना स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो किस तिथि तक ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने उत्पाद-कर तथा मद्यनिषेध विनियमों के अधीन अपने अपने राज्य क्षेत्रों में अफीम के उपभोक्ताओं के लिये जो मात्रा निर्धारित करती हैं उस के अतिरिक्त कोई अन्य नियत मात्राएं निर्धारित नहीं की गई हैं। केन्द्र को विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अखिल भारतीय अफ़ीम सम्मेलन, १९४९ में तत्कालीन प्रान्तों तथा रियासतों ने सन् १९५९ के मार्च के अन्त तक (औषधियों तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के अन्यथा) अफ़ीम का खाया जाना सम्पूर्णतः समाप्त करना स्वीकार किया था । तदनुसार सन् १९४९ से भारत सरकार प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली अफीम के परिमाण में प्रति वर्ष १० प्रति शत की उत्तरोत्तर कमी करती आ रही है ।

(ग) आशा की जाती हैं कि मार्च १९५९ तक प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली अफीम का परिमाण घट कर शून्य हो जायेगा । आशा की जाती है कि मद्य-निषेध वाले राज्यों में (उदाहरण के लिये बम्बई, मद्रास तथा आसाम में) अफीम का अनऔषधिक उपयोग उस से भी पहले सम्पूर्ण तया समाप्त हो जाएगा ।

रक्षा भण्डार अग्रदाय

२८७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने वास्तविक तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर अग्रदाय राशि को सीमित करने के विषय में लेखा-परीक्षा अधिकारियों का सुझाव मान लिया है ;

(ख) क्या सेना लेखा विभाग के पदाधिकारी रोकड़ बाक़ी की समय समय पर पड़ताल करते रहते हैं ;

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या इन्हें वस्तुतः क्रियान्वित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) से (ग) तक । जी हां, सेना के अतिरिक्त अन्यों के सम्बन्ध में रोकड़ बाकी की समय समय पर पड़ताल करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचारधीन है ।

व्यय पर नियंत्रण

२८८. **श्री एम० एल० [redacted]दी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक नियम और विनियम बन चुके हैं जिन से व्यय करने वाले मंत्रालय

आय-व्ययक के सम्बन्ध में समुचित अंकुश लगा सकें और सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन कर सकें और व्यय पर नियंत्रण रख सकें ;

(ख) यदि हां, तो ये नियम कब लागू किये गये थे अथवा इनके कब लागू किये जाने की सम्भावना है ; तथा

(ग) क्या उन की प्रति सदन पटल पर रखी जा सकती है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) तक। मैं १९ जून, १९५२ को अतारांकित प्रश्न संख्या २१८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ अनुदेश हाल ही के हैं, जिन का लक्ष्य उन स्थितियों में सुधार करना है जिन में आवश्यकता हो।

आंक समिति

२८९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आंक समिति के पंचम प्रतिवेदन में जो सिफारिशें इस सम्बन्ध में समाविष्ट की गई हैं कि विभिन्न योजनाओं पर संसद का पूरा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये कोई विशिष्ट तंत्र हो, और योजना का स्वरूप, लागत, उस कार्य को ग्रहण करने के लिये प्रस्तावित संगठन और अन्य सम्बद्ध विषयों का दर्शक व्याख्यात्मक ज्ञापन योजनाओं के सहित संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और जब भी योजनाओं या प्राक्कलनों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो संसद् का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाए, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ;

(ख) क्या ऐसे समस्त विषयों में संसद् का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये निश्चित प्रस्ताव लोक सभा के समक्ष लाये जा रहे हैं ; तथा

(ग) क्या योजनाओं के कार्य की प्रगति तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर चर्चा करने के लिये वर्ष का कुछ भाग पृथक् कर दिया गया है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : आंक समिति का पंचम प्रतिवेदन, १९५१-५२ अभी सरकार के विचाराधीन है।

सशस्त्र सेनाओं में भरती

२९०. **श्री गणपति राम** : क्या **रक्षा** मन्त्री सन् १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में सेना, नौ-सेना तथा बिमान-सेना में भरती की गई अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता बतलाने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : इन तीनों सेवाओं में पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि भरती चाहे वह पदाधिकारियों की हो या जवानों की, बिना किसी वर्ग या धर्म के भेद-भाव के की जाती है।

अफीम

२९२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में अफ़ीम की खेती से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) भारत में इन वर्षों में से प्रत्येक में कितने परिमाण में अफीम पैदा की गई और उपभोग में लाई गई ;

(ग) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में विदेशों को (नाम सहित) कितने परिमाण में अफ़ीम का निर्यात हुआ ;

(घ) इन वर्षों में से प्रत्येक में कितना निर्यात शुल्क प्राप्त हुआ।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) विदेशों को अफ़ीम के निर्यात से भारत सरकार को जो लाभ होता है उस के अतिरिक्त उसे कोई राजस्व नहीं मिलता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा "न लाभ न हानि" के आधार पर राज्य सरकारों को दी जाने वाली अफ़ीम से जो राजस्व प्राप्त होता है उस में केन्द्रीय सरकार कोई भाग नहीं लेती है।

विदेशों को निर्यात की गई अफ़ीम से यह लाभ हुआ :

अफ़ीम-वर्ष	रुपये
१९४९-५०	४१,६२,४८१
१९५०-५१	९२,२१,६६३
१९५१-५२	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत में पैदा की गई और उपभोग में लाई गई अफ़ीम का परिमाण इस प्रकार है :

अफ़ीम-वर्ष	उत्पादित मात्रा (मनों में)	मात्रा जो उपभोग में लाई गई (मनों में)
१९४९-५०	११,९६२	३,९३८
१९५०-५१	१४,३८९	३,५६४
१९५१-५२	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।	

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्य ४७]

(घ) अफ़ीम पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है

अस्थायी सेवा नियम

२९३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जो व्यक्ति अर्ध स्थायी कर्मचारी-वृन्द की नामावली में प्रविष्ट किया गया है उसके विषय में क्या अस्थायी सेवा नियम लागू किये जा सकते हैं ; तथा

(ख) असैनिकों के अस्थायी सेवा नियम, १९४९ के नियम ५ का प्रयोग कर के कितने व्यक्तियों को निकाला गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) १३.

निर्वाचन न्यायाधिकरण

२९४. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या विधि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल के सामान्य निर्वाचनों में राज्यवार कितने व्यक्ति अनर्ह करार दिये गये और इसके परिणाम स्वरूप कितने स्थान रिक्त घोषित किये गये ; तथा

(ख) अपील के मामलों के निपटारे के लिये राज्यवार कितने न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मन्त्री (श्री बिस्वास) : (क) २० जून, १९५२ तक अनर्ह घोषित किये गये व्यक्तियों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	घोषित अनर्ह व्यक्तियों की कुल संख्या
आसाम	३१
बिहार	४९१
बम्बई	४११
मध्य प्रदेश	९९३
मद्रास	३०८
उड़ीसा	१९७

राज्य का नाम	घोषित अनर्ह व्यक्तियों की कुल संख्या
पंजाब	१४०
उत्तर प्रदेश	१२८
पश्चिमी बंगाल	१८७
हैदराबाद	११२
मध्य भारत	२४०
मैसूर	१६९
पेप्सू	१३१
राजस्थान	९५
सौराष्ट्र	९६
त्रावनकोर-कोचीन	२३१
अजमेर	७०
भोपाल	४३
विलासपुर	१
कुर्ग	८
दिल्ली	२८५
हिमाचल प्रदेश	५७
कच्छ	१९
मनीपुर	३१
त्रिपुरा	६८
विन्ध्य प्रदेश	१४०

२० जून, १९५२ तक कोई स्थान रिक्त घोषित नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न का यह भाग स्पष्ट नहीं है कदाचित अपेक्षित जानकारी का संकेत निर्वाचन याचिकाओं के निपटारे के लिये निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधिकरणों से है; यदि ऐसा है तो १८ मई, १९५२ तक राज्यवार नियुक्त किये गये न्यायाधिकरणों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	नियुक्त निर्वाचन न्यायाधिकरणों की संख्या	विचार के लिये निर्दिष्ट निर्वाचन याचिकाओं की संख्या
आसाम	४	५
बिहार	—	—
बम्बई	८	९
मध्य प्रदेश	१	१
मद्रास	७	७
उड़ीसा	१	१
पंजाब	१९	१९
उत्तर प्रदेश	—	—
पश्चिमी बंगाल	१	१
हैदराबाद	—	—
मध्य भारत	२	२
मैसूर	—	—
पेप्सू	२	३
राजस्थान	—	—
सौराष्ट्र	२	२
त्रावनकोर-कोचीन	२	२
अजमेर	—	—
भोपाल	—	—
बिलासपुर	१	१
कुर्ग	—	—
दिल्ली	३	३
हिमाचल प्रदेश	४	४
कच्छ	—	—
मनीपुर	—	—
त्रिपुरा	—	—
विन्ध्य प्रदेश	—	—

रक्षा सेवाओं की प्रचार गति विधियां

२९५. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या रक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे । कि सन् १९५० और

१९५१ में रक्षा सेवाओं की प्रचार गति, विधियों पर कितनी राशि व्यय की गई और सन् १९५२ में कितनी व्यय करने का विचार है ?

(ख) सेना, नौ-सेना और विमान-सेना की गतिविधियों पर पृथक् पृथक् कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

(ग) क्या मितव्ययता की कोई गुंजाइश है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क)

१९५०–५१	६,८५,००० रुपये
१९५१-५२	६,८२,००० रुपये
१९५२-५३ (प्राक्कलन)	६,९१,००० रुपये

(ख) यह व्यय एक अन्तर सेवा संगठन के द्वारा किया जाता है ; अतः तीनों सेवाओं के लिये पृथक् पृथक् आंकड़े देना संभव नहीं है ।

(ग) इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर देना मेरे लिये इस समय सम्भव नहीं है ।

आय-कर

२९६. **सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में भाग 'ख' में के राज्यों में कितना आय-कर संग्रहीत किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८**]

तत्र भवती परम श्रेष्ठ सम्राज्ञी की आस्ट्रेलिया को यात्रा

२९७. **श्री गोपाल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज-कुमारी एलिजाबेथ (अब तत्रभवती परम श्रेष्ठ सम्राज्ञी) की प्रस्तावित आस्ट्रेलिया यात्रा (जो बाद मे रद्द कर दी गई थी) में भारतीय नौ यान द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली प्रहरी सैन्य दल की व्यवस्था की तैयारियों में कितना व्यय हुआ ।

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : तत्रभवती परम श्रेष्ठ सम्राज्ञी की प्रस्तावित आस्ट्रेलिया यात्रा में हमारे नौ-यानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली प्रहरी सैन्य दल की तैयारियों पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ ।

लोहे और स्पात का उत्पादन

२९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में लोहे और इस्पात के उत्पादन के विस्तार के लिए भारत ने विश्व बैंक से कितना ऋण मांगा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना बनाई है;

(ग) यदि ऋण दिया जाये तो क्या वह सीधे इस्पात उत्पादन करने वाली कम्पनियों को दिया जायेगा या भारत सरकार को;

(घ) सरकारी स्तर पर लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिये भट्टियां (ब्लास्ट फरनेंस) बनाने और फलतः उस ऋण की उपलब्धता की सम्भावनायें कितनी हैं; तथा

(ङ) क्या यह सम्भव है कि यदि सरकार द्वारा संचालित लोहे तथा इस्पात परियोजना की व्यवस्था की जाये तो अमरीका या कोई अन्य देश उस में भाग ले ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि आरम्भ में किसी विशेष परियोजना के लिये कोई निश्चित ऋण विश्व बैंक से मांगा जाय । तदनुसार

भारत में लोहे और इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये कोई विशिष्ट धन राशि ऋण के रूप में नहीं मांगी गई है। बैंक का शिष्ट मण्डल इस समय भारत में है और जब वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा तब ऋण की राशि के विषय में बातचीत होगी ।

(ख) सरकार ने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं जो अब बैंक के शिष्ट मण्डल के साथ चर्चाधीन हैं ।

(ग) वह ऋण इस्पात उत्पादन करने वाली कम्पनियों को सीधा ही अथवा भारत सरकार को दिया जायेगा यह प्रश्न भी बैंक के शिष्ट मंडल के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत ने के पश्चात् बैंक से बातचीत करने का विषय होगा ।

(घ) और (ङ) । सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के ऋण की सहायता से और किसी भाग लेन वाले वर्त्तमान इस्पात निर्माणकर्ता के सहयोग से लोहे और इस्पात उत्पादन के किसी सरकारी कारखाने के निर्माण की सम्भवनाओं के सम्बन्ध में खोज कर रही है । ऐसी प्रयोजना के साकार रूप ग्रहण करने की सम्भावनाओं के विषय में कोई सम्मति देना समयोचित नहीं होगा ।

सेनाओं के लिए धर्मोपदेशक

२९९. **श्री वीरस्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में धर्मोपदेशक नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) यदि हां तो सेनाओं को कौन से भिन्न भिन्न धार्मिक विषय पढ़ाये जाते हैं ;

(ग) ऐसे उपदेशकों की संख्या और वेतनक्रम क्या हैं; तथा

(घ) सन् १९५१–५२ में इन उपदेशकों पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई और इस बर्ष के लिए कुल कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) धर्मोपदेशक स्थल सेना में नियुक्त किये जाते हैं परन्तु नौ-सेना तथा विमान-सेना में नहीं ।

(ख) सेना में हिन्दू, सिख, मुस्लिम और इसाई धर्मोपदेशक नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) नियुक्त धर्मोपदेशकों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है; क्योंकि कर्मचारियों की जातिवार नियुक्ति के पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । यूनिट के आधार पर ३१ मई, १९५२ को प्राधिकृत धर्मोपदेशकों की संख्या इस प्रकार थी:—

पंडित	४४५
मौलवी	८
ग्रन्थी	८८
योग	५४१

नियुक्त पादरियों की संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि वह स्थान के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं जहां विशिष्ट ईसाई पंथ के अनुयायियों की नियमोचित संख्या हो। उन का वेतन १०० रु० मासिक है ।

पादरियों को छोड़ कर अन्य धर्मोपदेशकों का वेतन ३५ रुपये से ४५ रुपये तक मासिक होता है ।

(घ) न तो धर्मोपदेशकों पर किये गये व्यय के पृथक् आंकड़े ही रखे जाते हैं और न कर्मचारियों के प्रवर्गों के लिये आय-व्ययक में कोई पृथक् प्रबन्ध ही होता है ।

सामान्य निर्वाचन

३००. **श्री नानादास** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) (गत सामान्य निर्वाचन में) हमारी सशस्त्र सेनाओं में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उन में से कितनों को मतदान पत्र दिये गये थे; तथा

(ग) उन में से कितनों ने मत दिया ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) से (ग) । यह जानकारी निर्वाचन आयुक्त के पास उपलब्ध नहीं है इसे एकत्रित करके यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारतीय सेना में कमीशन

३०१. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुल कितने कमीशन दिये गये ?

(ख) कितने सैनकादि को कमीशन दिये गये ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) :

(क) ४८०

(ख)

Saturday, 28 June 1952

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

∞

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, २८ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८-१९ म० पू०

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय: अब हम अनुदानों की मांगों—विधि मंत्रालय सम्बन्धी—तथा कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कुछ समय पहले जिन दिनों मैं दुर्भाग्यवश विधि विरोधी समझा जाता था मुझे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बताया कि जो विधि पर जीवित रह सकते हों उन्हें अवश्य ही उसका अनुसरण करना चाहिये । इस बात का निर्देश मेरे विधिजीवी व्यवसाय की ओर था । किन्तु अभी कुछ दिन पूर्व मैं ने विधि मंत्रालय सम्बन्धी सदन में हुई चर्चायें पढ़ लीं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस देश के विधि बनाने वाले कदाचित् ही विधि मंत्रालय के कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं । मैं सनिश्चय कह सकता हूं कि स्वयं विधि मंत्रालय विधिपूर्वक काम नहीं कर रहा है । इस मंत्रालय के साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी रखा गया है किन्तु इस बाद के मंत्रालय की रूप-रेखा अभी बहुत ही अस्पष्ट है । सरकार ने भी इस अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को इतना महत्वहीन समझा है कि इसकी कोई अलग सत्ता नहीं रखी गई है, यहां तक कि जब आप गृह कार्य मंत्रालय की मद-सूची की पूरी छानबीन कर लें तब ही आप को पता चलेगा कि इस नाम का कोई मंत्रालय है । गृह कार्य मंत्रालय के 'विश्वरूपदर्शन' में ही इस अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की रूप रेखा का पता चल सकता है ।

१९५० के भारत-पाकिस्तान करार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को जन्म दिया । वेदना में इसका जन्म हुआ और तब से यह वेदना भरा जीवन ही व्यतीत कर रहा है । मैं सरकार को किसी आपाधापी में नहीं डालना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार ने जो भी मार्ग चुने, वह सब बेकार हो जायेंगे, क्योंकि जब तक विभाजन के अपराध दूर नहीं होते तब तक हमारी कठिनाइयां भी दूर नहीं हो पायेंगी । हां, मैं कह रहा था कि यह घोर अपराध हुआ क्योंकि विभाजन से ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद का वह नाटकीय स्थानान्तरण पूरा हो सका, क्योंकि उन्होंने जिस दल के हाथों वह शक्ति सौंपी वह यहां के जन-आन्दोलन से डर रहा था, यही कारण था कि उन्हें छोड़ कर जाना पड़ा । किन्तु उन के साथ समझौता करने के बाद उन्हें

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

विभाजन ही एकमात्र उपचार दिखाई दिया । किन्तु यदि आप भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के व्यक्तियों को देख लें तो आप को पता चलेगा कि इनकी इच्छायें पूरी नहीं हो पाई हैं । और जब तक हम आंग्ल-अमरीकी पंजे से नहीं छूटते, तब तक हमारी यहां की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती ।

अल्पसंख्यक सम्प्रदाय यहां के हों अथव पाकिस्तान के उन्हें कोई भी चैन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वे भय और त्रास भरे दिन काट रहे हैं, और इस बात से घबरा रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा । यह कहना भी ठीक नहीं कि पाकिस्तान पर ही इस बात का सारा दोष है । अल्पसंख्यकों की समस्यायें तभी सुलझ सकती हैं जब हम वस्तुस्थिति को ठीक ठीक समझ सकें ।

इस संदर्भ में मैं काश्मीर के सम्बन्ध में जो थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि कई सामान्य किन्तु ठोस बातों के आधार पर हम मुसलमान प्रधान क्षेत्र को उन की अपनी इच्छा से भारत में मिला भी सकते हैं । वहां, लोगों के समक्ष यही बात है कि इस नये सिद्धान्त और विलयन से हम पुराने नौकरशाहों के अन्तर्निहित हितों को मिटा सकते हैं । और इस कार्य में भारत का साथ ही सफल और सहायक हो सकता है । मैं समझता हूं कि आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से ही संप्रदायवादी आपाधापी दूर हो सकती है, और इस प्रकार की सभी समस्यायें सुलझ सकती हैं । बेचारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी इस विषय में क्या कर सकते हैं ! वह कुछ एक सूत्र बताते हैं, और लोगों से कहते हैं कि वे उस पर चलें किन्तु यदि लोग उसका अनुसरण नहीं करते तो उनका क्या दोष है । अब पाकिस्तान स्थित अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों को वहां की पारपत्र-पद्धति के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वे बेचारे किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, और सच यह है कि हमारी सरकार भी उन की सहायता नहीं कर सकती । ये ही कारण हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सकता और जब तक हमारी सरकार अपनी मूल नीति में कुछ एक परिवर्तन नहीं करती तब तक हमारे और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध भी ठीक नहीं रह सकते । कितना ही अच्छा होता कि विधि मंत्री जो वर्तमान विधियों को संविधान के उपबन्धों से समन्वित करने के साथ-साथ और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को तत्काल निपटा लेते । अब देखिये : अभी उस दिन प्रधान मंत्री जी ने काश्मीर के सम्बन्ध में हवाला दिया था । यदि उन्हें इस बात का स्मरण हो, उन्होंने कहा था कि स्वयं उन्हें तथा उनकी राजनीतिक विचारधारा को मूल अधिकारों में से एक अधिकार का उपबन्ध स्वीकार्य नहीं है । यह उपबन्ध अन्तर्निहित हितों की क्षतिपूर्ति की अनिवार्य भुगतान के सम्बन्ध में है । किन्तु इस उपबन्ध से हम काश्मीर की कृषि-सम्बन्धी नीति को स्वीकार भी नहीं कर सकते । और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि काश्मीरियों पर मूल अधिकार सम्बन्धी इस विशेष उपबन्ध को लागू नहीं किया जाना चाहिये । इस से यह सिद्ध होता है कि वह मूल अधिकारों की यह विशेष मद संविधान से भी हटा लेना चाहते हैं । अब, यदि किसी बड़े राष्ट्र के प्रधान मंत्री की ही ऐसी नीति हो तो उस के विधि मंत्रालय को भी उसका अनुसरण करना चाहिये, अतः विधि मंत्रालय को चाहिये कि वे ही विशेष विधिसम्बन्धी उपबन्ध बनाये जिन की ओर प्रधान मंत्री ने निर्देश किया है । मैं इसी आवश्यक बात की ओर विधि मंत्री एवं प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री से जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं न्यायिक से कार्यकारी पक्ष को पृथक् किये जाने के इस सामयिक विषय की ओर निर्देश करना चाहता हूं। अब न केवल निम्न स्तरों में अपितु उच्च स्तरों में भी कार्यकारी पक्ष का प्रभाव मालूम पड़ेगा; चुनाचि मेरे मित्र श्री चटर्जी ने कल अपने भाषण में इस की ओर निर्देश भी किया था। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उच्च न्यायलय तक इस कार्यकारी पक्ष का प्रभुत्व है। जिस समय निवारक निरोध अधिनियम को संविधि ग्रंथ में सम्मिलित किया जा रहा था, उस समय सरकार के वक्ता प्रतिनिधियों द्वारा कई एक अधिकारपूर्ण वक्तव्य दिये गये थे, और अब में उन्हीं की ओर निर्देश कर रहा हूं। हां मुझे ठीक याद आ रहा है कि १९५० में कलकत्ते के उच्च न्यायालय में जब कई एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही लम्बित थीं— और वह प्रक्रिया विधान के इतिहास में बिल्कुल नई थी —तो एक विचित्र रीति से न्यायमंडली के कार्य को छलने के लिये यह निवारक निरोध अधिनियम इस विधान में घुसेड़ दिया गया था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कार्यकारी सदस्यों के साथ नोकझोंक कर के एक ऐसी गुत्थी उलझा दी थी कि कलकत्ता के अधिवक्तृ-परिषद् को एक विशिष्ट संकल्प में यह सुझाव देना पड़ा कि उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों को कार्यकारी सदस्यों के साथ इस प्रकार की नोकझोंक नहीं करनी चाहिये। यह नोकझोंक कदाचित् इस लिये पैदा हुई थी कि निवृत्त होने की आयु के सम्बन्ध में इन दोनों पक्षों में कुछ अन्तर था। उच्च न्यालय के न्यायाधीश साठ वर्ष की आयु में निवृत्त होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु में। किन्तु ऐसा क्यों? अतएव इन दो में से एक को रद्द करना होगा।

यह प्रश्न भी हमारे सम्मुख है कि एक मिला जुला अधिवक्तृ-परिषद् हो, और यह प्रश्न एक समिति के सामने रखा भी गया है। चुनाचि वह समिति अब नियुक्त की जा चुकी है यद्यपि उसे १ जून, १९५२ तक रिपोर्ट देनी चाहिये थी। राजस्व अथवा उच्च न्यायालयों में, अथवा अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों के समक्ष वकालत करने वाले विधिजीवियों के लिये एकरूप नियम बनाना सुगम नहीं। किन्तु मैं यही सुझाव दूंगा कि नौकरशाही ढंग को छोड़कर अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयत्न करें। हमें यह चाहिये कि निर्धन अभियोक्ताओं को कानूनी सहायता दें। संविधान में संगत संशोधन करने से केवल जमींदारी उन्मूलन करना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिये, अपितु हमें विधि में इस प्रकार का सुझाव करना चाहिये कि इस देश के निर्धन और जनसाधारण व्यक्ति की भी सहायता हो सके। हमें विधि मंत्रालय के कार्य में भी उसी प्रकार के परिवर्तन करने चाहिये, जो समय और परिस्थिति की दृष्टि में परमावश्यक हों। इंगलैंड, फ्रांस और तुर्क के कानून वहां के लिये ठीक हो सकते हैं, किन्तु फिर भी उन्होंने उन में परिवर्तन किये हैं। इधर नये चीन में अब आप न तो ठेकेदार देख लेंगे और न वकील। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी भी उस समय बहुत प्रसन्न होंगे जब हमारे देश में भी कोई वकील नहीं होगा। हो सकता है कि चीन में कुछ वकील हों किन्तु वे भिन्न रूप में होंगे, क्योंकि वहां की जनता के कानून कुछ भिन्न हैं और अब इस नये युग में हम यदि अपनी सामाजिक संस्था से सामन्तशाही और पूंजीवादी विशेषतायें मिटाना चाहते हों तो इस बात की ओर हमें अवश्य ध्यान देना होगा।

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारी सरकार हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विषय में बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रयत्नशील है । अखिल भारतीय अधिवक्तृ-परिषद् के समक्ष कलकत्ता अधिवक्तृ-परिषद् ने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है । वह इस प्रकार है : "संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार इस बात की सिफारिश हुई है कि राष्ट्रीय भाषा हिन्दी १५ वर्षों में ही सरकारी भाषा बननी चाहिये किन्तु अनुच्छेद ३४८, जो न्यायालय की भाषा के सम्बन्ध में है, इस प्रकार की कोई भी अवधि परिनियत नहीं करता । इस प्रकार का भेद बहुत ही समझ बूझ के बाद रख गया है ।" कलकत्ता का अधिवक्तृ-परिषद् अंग्रेज़ी को ही रखने के पक्ष में है, किन्तु स्वयं मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि अंग्रेजी ही सदा के लिये न्यायालय की भाषा बनी रहे, किन्तु यदि हम अपनी वैधानिक प्रक्रिया में सादगी पैदा नहीं करेंगे, और उसी आंग्ल-सैक्सन न्यायशास्त्र भाषा की दुहाई देते रहेंगे तो कभी भी हिन्दी की बारी नहीं आयेगी । किन्तु, इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम इस हिन्दी भाषा के प्राकृतिक प्रवाह को रोकें, उस में से मुसलमानों के युग के शब्द निकाल दें, और यदि ऐसा हुआ तो बहुत बुरी दशा होगी ।

जब बहुत बड़े परिवर्तन पनप रहे हैं, और नये सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध बन रहे हैं, तो एक नये कानून का होना भी परमावश्यक है । किन्तु इधर विधि मंत्रालय महान्यायवादी से ले कर महा-अनुप्रार्थी तक के पदों पर नियुक्तियां कर रहा है; उसी पुराने ढर्रे से कानून और प्रारूप बनाया जा रहा है; जिस से कानून की भाषा और भी रहस्यमयी होती जा रही है; अतः हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा, और जितना भी हो सके, इस पुराने ढर्रे का उन्मूलन कर के नया सीधा-सादा मार्ग ढूंढ़ना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि दोनों मंत्री उत्तर देंगे । उन्हें कितना समय लगेगा ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मुझे १०-१२ मिनट लगेंगे ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में कम से कम आधा घंटा लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं माननीय मंत्री को आरम्भ करने को कहूंगा ।

डा० काटजू : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से सविनय निवेदन करता हूं कि वे बोलते समय कुछ असंगत चीजें कह देते हैं । आज प्रातः मैं ने विधि और विधि-वेत्ताओं की निन्दा तथा उनके विनाश के सुझाव सुने । किन्तु मुझे इस बात का निश्चय है कि कुछ एक ही दिनों में, जब सदन एक और विधेयक पर विचार करेगा तो उसी विरोधी दल से इस बात की पुकार उठेगी कि उन्हें विधिवेत्ताओं से सहायता लेने का मौका दिया जाय ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : अपने ही हथियारों से लड़ रहे हैं ।

डा० काटजू : मैं आप को इस बात का स्मरण करा दूं कि मेरठ षड़यंत्र में अभियुक्तों को वहां के सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी सफाई पेश करने में दो ढाई वर्ष लगे थे । इसी तरह जब विरोधी दल के वे सदस्य नजरबन्द होंगे तो वे सभी प्रकार के विधि-वेत्ताओं की पूरी सहायता लेंगे, और उस समय वह यह बात नहीं कहेंगे कि विधिवेत्ताओं को मारा काटा जाये जैसा उन्होंने आज प्रातः कह दिया ।

यह कहना भी बड़ा सुगम है कि न्यायाधीशों की नोक-झोंक नहीं होनी चाहिये। मैं पूरा सहमत हूं; किन्तु ठीक अधिकारपूर्ण स्रोतों से मुझे इस बात का पता चला है कि उन देशों में भी, जिन के साथ विरोधी दल के इन माननीय मित्रों का आध्यात्मिक सम्बन्ध है, वहां के न्यायाधीश कार्यकारी प्रशासन के ही अंग होते हैं, और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और जहां तक परीक्षणों का सम्बन्ध है, वहां न्यायालयों में परीक्षण नहीं होते — रेडियो तथा टेलीफ़ोन द्वारा, और बाजारों में परीक्षण होते हैं——टेलीफोन द्वारा साक्ष्य सुने जाते हैं, और न्यायाधीश, बिना अभियोग सुने, टेलीफोन द्वारा निर्णय सुनाते हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम) : जनता का न्यायालय जो है।

डा० काटजू : मैं ने भी यही कहा कि जनता के न्यायालयों में न्यायाधीश कार्यकारी सदस्यों से नोंक-झोंक नहीं करते। मेरे माननीय विद्वान मित्र जब भी बोलने उठें, तो कृपया संगत बातें कहें, और एक निश्चित धारणा बनाने का प्रयत्न करें। उन की इन बातों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।

मैं अपने मान्य मित्र विधि मंत्री का अधिक समय नहीं लेना चाहता और केवल भूमिका के रूप में दो तीन बातों की ओर निर्देश करना चाहता हूं। अपने माननीय मित्र श्री चटर्जी की बात सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मेरा विचार था कि वह सांविधानिक कानून को जानते हैं : उन्हें यह जानना चाहियें था कि मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। इस सदन के समक्ष इस प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है कि अमुक मामला विधि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा गृहकार्य मंत्रालय का है, अतः वे ही उनके महत्वपूर्ण प्रशासकीय प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, अपितु हर इन बातों के लिये सारा मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। यहां के घरेलू मामलों को सुलझाना प्रधान मंत्री का ही काम है, अतः इस सदन के सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि मंत्रिमंडल की अर्थनीति किस तरह चलाई जाती है। सारा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था से आप को संतोष प्राप्त होता है और इस बात की भी तसल्ली होती है कि यह न्यायसंगत तथा कार्यकुशल है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कुछ एक बातें कही गई थीं। मुझे मालूम नहीं कि उन की क्या धारणा थी : ऐसा लग रहा है कि गृहकार्य मंत्रालय इस मामले में एक प्रकार का तानाशाह सा रहा हो, और विधि मंत्रालय ने कोई नया स्वर्ग सम्हाला हो, जिस से नई धरती को जन्म मिला हो। मुझे सचमुच बहुत ही आश्चर्य हुआ जब मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने संविधान के अनुच्छेद २१७ के अनुबन्धों की अवहेलना की; यद्यपि उस में यह परिनियत हुआ है कि —

" भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।"

कृपया स्मरण कीजिये। " भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परमर्श करके, "—

" . . . . उस राज्य के राजपाल से, और मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से।"

किसी भी राज्य में वहां के उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधिपति एक अतिमहत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, और संविधान भी इसी बात को प्रतिपादित करता है कि किन्हीं भी दो सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारियों से

[डा० काटजू]

परामर्श लेना चाहिये, अर्थात् उस विशेष राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से, और सर्वप्रथम भारत के मुख्य न्यायाधिपति, तथा उस राज्य के राज्यपाल से— यानी स्वयं राज्यपाल तथा उस राज्य के मुख्य मंत्री अथवा मंत्रिमंडल से परामर्श लेना चाहिये। उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति की नियुक्ति कोई हल्का और सुगम कार्य नहीं है। इस राज्य के सम्बन्ध में मध्यस्थ अथवा अस्थाई विचारों के अनुसार ऐसा काम निपटाया नहीं जा सकता, न तो उस तरीके से यह काम होता है जिस से न्यायाधिपतियों को नियुक्त किया जाता.....

एक माननीय सदस्य : जनता का न्यायालय।

डा० काटजू: हां नये स्वर्ग का उद्घाटन है जनता का न्यायालय! मुझे यह मालूम नहीं कि वे काम कैसे चलाते हैं, किन्तु यहां अपने देश में हम इसे बहुत ही गंभीर समझते हैं, और चाहे विधि मंत्रालय हो अथवा गृहकार्य मंत्रालय, इस में वस्तुतः प्रशासकीय प्रक्रिया रहती है, और मंत्रिमंडल के स्तर पर ही निश्चय किया जाता है।

वह एक बात रही। दूसरी बात, जिसकी ओर निर्देश हुआ है यह ह कि न्यायिक तथा कार्यकारी पक्षों को एक दूसरे से पृथक किया जाय। बात तो वास्तव म "सहकारी खेती" जैसी है, यह कुछ ऐसा है जिसे बिना ठीक समझ-बूझ के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार यह सुन्दर वाक्यांश—"न्यायिक तथा कार्यकारी कामों का पृथक् किया जाना" मुझे कुछ विचित्र सा लगता है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं विरोधी दल के सदस्यों से इस का उत्तर मांगता कि आखिर वे लोग चाहते क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद ५० में एक विशेष निदेश है कि न्यायिक तथा कार्यकारी कार्यों को एक दूसरे से अलग किया जाना चाहिये। मुझे इस बात का भी निश्चय है कि व्यावहारिक रूप से सभी राज्य सरकारों में इन दोनों कार्यपक्षों को एक दूसरे से या तो अलग किया जा चुका है, या अलग किया जा रहा है। आप को यह सुनने में रुचि होगी कि हैदराबाद में न्यायिक और कार्यकारी कार्यों को पूरी तरह से एक दूसरे से अलग किया जा चुका है। और जहां तक मैं इसे समझता हूं इस का यही अभिप्राय है कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को इस बात का कतई अधिकार नहीं होना चाहिये कि वे प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, लोगों को बुला कर उन के अभियोगों का निर्णय कर सकें। उन्हें कार्यकारी अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भी नहीं होना चाहिये। किन्तु, अन्ततः अन्तिम विश्लेषण में यह बात किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर आ जाती है यानी सम्बद्ध न्यायाधिपति अथवा मजिस्ट्रेट का चरित्र और व्यवहार किस प्रकार का है। किसी भी गणराज्य में सभी नियुक्ति-अधिकार का स्रोत राष्ट्रपति अथवा राज्य पाल से ही, जो अपने सांविधानिक परामर्शदाताओं के कहने पर चलते हैं, बनाया जाना चाहिये। प्रत्येक न्यायाधिपति अथवा मैजिस्ट्रेट गणराज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसे गणराज्य का ही कोई व्यक्ति नियुक्त कर लेगा। अतः इस में देखने की केवल एक बात है कि जब नियुक्ति की जा रही हो तो मैजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधिपति अपने मन में कहें कि: "अब तो मैं एक अर्द्ध-देवता बन गया हूं, और भले ही कुछ भी हो, मुझे इसी बात में शोभा दिखाई देगी कि मैं न्यायाधिपतियों को दिलाये गये न्यायिक शपथ के अनुसार काम करूं और मैं भय अथवा पक्षपात, स्नेह अथवा द्वेषरहित निष्पक्ष भाव से न्याय जताऊंगा।"

मैं अपने चालीस वर्ष के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि जब भी आप इस आधार पर दिये गये न्याय के दुरुपयोग की शिकायतें सुनेंगे तो आप को मालूम हो जायेगा कि ऐसी बात पद्धति के किसी दोषवश नहीं अपितु व्यक्ति के अपने दोषों से ही होगी। मैं जिस समय अधिवक्तृ परिषद् में शामिल हुआ था तो मैंने गाजीपुर के एक उप-मैजिस्ट्रेट की कहानी सुनी थी; वह १८८६ की कहानी है और एक प्रकार से प्राचीनतावादी सी है – वह यों है कि उक्त उप-मैजिस्ट्रेट इसलिये ज़िला मैजिस्ट्रेटों और आयुक्तों के लिये भयावह सिद्ध हुये थे, क्योंकि वह उनकी बातों की ज़रा भी परवाह नहीं करते थे। इस के विरुद्ध भी आप को ऐसे कई एक दृष्टान्त मिलेंगे जहां पक्षपात, भीरुता अथवा कमज़ोरी के आने से पहले ही न्यायाधीश अथवा मैजिस्ट्रेट उच्च स्तर से गिर गया हो। अतएव मैं सदन को इस बात का निश्चय दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में संविधान का यह निदेश सदा ही प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के समक्ष रहता है, और हम इस बात का प्रत्येक संभव उपचार करते हैं कि हमारे न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट सचमुच ही स्वतंत्र हो जायें और उन्हें किसी भी प्रकार से त्रस्त न होना पड़े ताकि उन की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का अन्तर न पड़े। आप इस बात की गलतफ़हमी में न रहें कि वे लोग कार्यकारी पक्ष के सदस्यों के साथ नोक-झोंक क्यों करते हैं, या वे सामाजिक गोष्टियों में जाकर बराबर के स्तर की बातचीत क्यों करते हैं। आप यह नहीं चाहते कि आप के न्यायाधीश परदानिशीन स्त्रियों की तरह रहें और अपना अलग-थलग जीवन व्यतीत करें। मैं पुनः इस बात का स्पटीकरण करूंगा कि यह तो अपने अपने स्वभाव का प्रश्न है।

अन्त में इस बात की ओर निर्देश किया गया था कि एक निवृत्त न्यायाधीश को राज्यपाल का पद दिया गया। मुझे मालूम नहीं कि वास्तव में माननीय सदस्यों का क्या अनुभव है। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि कोई भी न्यायाधीश अथवा व्यक्ति जो इस गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख हो, अपने उस पद पर होते हुए, इस बात से अपना निर्णय बदलेगा कि निवृत्त होने के बाद उसे राज्यपाल-पद अथवा किसी अन्य पद पर बिठाये जाने के लिये ध्यान में रखा जाय? मैं मंत्रिमंडल का मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि तत्काल यह बोलना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस प्रकार सोच लेता कि किसी भी प्रान्त के राज्यपाल-पद के लिये कोई न्यायाधीश अथवा निवृत्त न्यायाधीश ही सब से उचित व्यक्ति सिद्ध होगा क्योंकि सांविधानिक राज्यपाल का कार्य वही व्यक्ति संभाल सकता है जो अपने भूतकाल में सब से अलग-थलग रह चुका हो, और किसी भी प्रान्त में भेजे जाने पर वहां के या किसी अन्य स्थान के राजनीतिक दलों से बहुत ऊपर रह चुका हो और जिसका किसी भी गुट या दल के साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा हो।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियार): किसे परदानशीन स्त्री समझा जाना चाहिये?

डा० काटजू: मुझे पहली बार विरोधी दल के माननीय सदस्यों से बोलने का अवसर मिला है। अतः मैं उचित उत्तर देना नहीं चाहता। वह स्वयं ही इस पर सोच लें।

मुझे इस प्रकार सोचना चाहिये था कि निवृत्त न्यायाधीश ही एक आदर्श राज्यपाल बन सकेगा। किन्तु कभी कभी विरोध मात्र के लिये विरोध किया जाता है। हम, इस ओर के सदस्य भले ही कोई भी भली बात करें – उन्हें वह बुरी दिखाई देगी: हम ठीक काम करें किन्तु वह उन्हें बुरा मालूम देगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री बिश्वास : मेरे बोलने के लिये अधिक समय नहीं रहता। मैं केवल उन बातों को छेड़ूंगा जो विरोधी दल के सदस्यों ने उठाई हैं।

मेरे माननीय सहयोगी गृह मंत्री महोदय ने मेरे मान्य मित्र श्री चटर्जी की बातों की ओर निर्देश किया है। मुझे उन की अनुभूतियों और उनके विचारों से सहानुभूति है। इस में ऐसी कोई भी बात नहीं कि एक मंत्री दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छा उत्तर दे सकें। प्रश्न यह है जैसा कि वकीलों ने बताया है कि यह कहना मात्र कि न्याय किया जाना चाहिये, पर्याप्त नहीं है, किन्तु लोगों का यही अनुभव होना चाहिये कि न्याय हो रहा है, और ऐसे योग भी कम नहीं जब कि न्यायिक तथा कार्यकारी पक्षों के एक साथ रहने की पद्धति की धज्जियां उड़ाई गईं। कलकत्ता के उच्च न्यायालय की प्रथा है, कि किसी युग में मुख्य न्यायाधिपति सरकारी भवन के क्षेत्र के पास नहीं जाते। आप शायद यों कहें कि यह एक अतिशयता की स्थिति है, किन्तु यह भले ही ऐसी हो, इस की दिशा तो ठीक है, क्योंकि विपरीत दशा में भी अतिशयता की स्थिति आ सकती है जो राज्य के हित में नहीं होगी।

सत्य यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सरकारी शासन-व्यवस्था के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी राज्य तब तक आदर्श राज्य नहीं हो सकता जब तक इस बात का संदेह रहे कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव रहेगा। यही सिद्धान्त सदा ही दृष्टि में रखा जाना चाहिये और सार्वजनिक मत पर इस प्रकार का प्रभाव डालने में कोई भी कसर शेष नहीं रहनी चाहिये। हम प्रत्येक मामले तथा प्रत्येक पहलू में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने में असावधानी नहीं कर सकते। यही मेरा मत है। किन्तु मेरा यह भी प्रतिपादन है कि भले ही कुछ भी हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी भी मंत्री द्वारा की जाती है। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी सदन को स्मरण करा चुके हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं संविधान द्वारा बहुत ही संतोषजनक एवं ठीक ढंग से सुरक्षित की जा चुकी है। अतः, इस में किसी भी आपत्तिजनक बात का पैदा होना संभव नहीं है। तथ्यों को घटना के आधार पर देखिये। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गृह मंत्री ने जो कोई भी नियुक्ति की है, उस पर कोई भी आपत्ति नहीं की गई। इस से यही सिद्ध होता है कि व्यावहारिकता के आधार पर इस बात से कोई भी अन्तर नहीं पड़ता कि गृह मंत्री अथवा विधि मंत्री ने नियुक्ति की। वास्तव में गृह मंत्री या विधि मंत्री ही, जो कोई भी उस विशेष नियुक्ति के लिये उत्तरदायी हो, राष्ट्रपति को नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श देता है, अथवा किसी की सिफारिश करता है। संविधान के अन्तर्गत तो राष्ट्रपति को सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श के अनुसार ही चलना पड़ता है। यों तो, इन नियुक्तियों के अतिरिक्त भले ही इस प्रकार के अन्य मामले हो सकते हैं जिन्हें किसी भी मंत्रालय के सुपुर्द किया जा सकता है। किन्तु यह प्रशासन सम्बन्धी प्रश्न है जिसे संभवतः अथवा वास्तव में उसी समय ध्यान में रखा जायेगा जब व्यवहार का पुनः बंटवारा हो। किन्तु मैं नहीं समझता कि इस बात के आधार पर कोई अति महत्वपूर्ण अथवा आवश्यक संविधानिक बात खड़ी की जानी चाहिये। इस मामले के सम्बन्ध में मेरा यही अनुभव है।

इस के पश्चात्, कल विधि पुनरीक्षण समिति के प्रश्न की ओर भी कई निर्देश किये गये। मैं विरोधी दल के सदस्यों को इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार

इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सावधान है। माननीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी ने इस बात की आवश्यकता की ओर निर्देश किया था कि हमारे देश के कानूनों का इस प्रकार से पुनरीक्षण हो कि वे संविधान के साथ एक रूप बनें, और उन्हों ने इस प्रसंग में अनुच्छेद १३ की ओर निर्देश भी किया। अनुच्छेद १३ यह बताता है कि वे सभी वर्तमान संविधियां जो संविधान के उपबन्धों से असंगत अथवा उन के विरुद्ध हैं, अर्थशून्य हैं। आप उन्हें न्यायालय के समक्ष ले कर उन पर निर्णय दिला सकते हैं। कार्यपालिका भी इस पर कार्यवाही कर सकती है और कई एक संविधियों को अर्थशून्य घोषित कर सकती है। एक और अनुच्छेद भी है जिस की ओर निर्देश नहीं हुआ, किन्तु मुझे इस बात का निश्चय है कि श्री चटर्जी के ध्यान में यह बात भी थी। वह है अनुच्छेद ३७२। इस अनुच्छेद के खंड (२) में स्पष्ट रूप से यह उपबन्धित है कि---"भारत राज्य-क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों को इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकूलन और रूप भेद चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, कर सकेगा जैसे कि आवश्यक या इष्टकर हों।" इसके अनुसार तो पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। मैं आप को उन संविधियों की एक सूची दे सकता हूं जिन्हें संविधान से असंगत घोषित किया गया, और उन में रूप भेद किया गया, अथवा उन्हें निराकृत किया गया। उन कई एक संविधियों के सम्बन्ध में जो प्रत्यक्षतः मूल अधिकारों के विरुद्ध दिखाई देती हैं, विधि मंत्रालय ने जान बूझ कर कोई भी कार्यवाही नहीं की क्योंकि उन के सम्बन्ध में इस प्रकार के संदेह पैदा हुए थे कि क्या सचमुच उन से मूल अधिकारों का उल्लंघन भी हुआ, और इसी लिये यह आवश्यक अथवा अभीष्ट समझा गया कि इन मामलों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये। अतः उन संविधियों के सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित की गई। उन विशेष बातों के प्रकाश में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। समय से पहले ही यह कहना कठिन है कि न्यायालय इन अधिनियमों के सम्बन्ध में क्या विचार प्रकट करेंगे अतएव यही ठीक समझा गया कि इन में से किसी भी कानून में रूप भेद न करना ही अच्छा होगा।

अनुच्छेद १३ (१) के अन्तर्गत यदि कोई भी कानून अर्थशून्य हुआ तो उसे अर्थशून्य घोषित किया जायेगा। इस के अतिरिक्त भी अनुच्छेद ३७२ (२) के अन्तर्गत कई मामलों की जांच-पड़ताल की जा चुकी है। उदारहणतया, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कानूनों को विधि-मंत्रालय में जांचा गया, और भाग क राज्य सरकारों से भी साथ ही साथ, इस की जांच करने को कहा गया, जिस में प्रान्तीय कानूनों की ओर विशेष निर्देश भी था। और परिमाणतः यह पता चला कि प्रान्तीय सरकारें इस काम को समय पर समाप्त नहीं कर सकीं। हमारा उद्देश्य था कि संविधान को पारित करने तथा प्रारम्भ करने के बीच की अवधि में ही यह काम समाप्त किया जायेगा। चुनाचि, केन्द्र में इस प्रकार की कार्यवाही भी की गई, किन्तु प्रान्तीय सरकारें समय पर, हमारी इस प्रार्थना को पूरा नहीं कर सकीं। १९५० में विधि अनुकूलन आदेश पारित किया, जिस में सभी भारतीय कानूनों का साधारण अनुकूलन तथा केन्द्रीय कानूनों के सम्बन्ध में सविस्तर अनुकूलन शामिल थे। संविधान के प्रारम्भ किये जाने के दिनांक---यानी २६ जनवरी, १९५० को ही यह आदेश जारी किया गया। १९५० में और दो अनुवर्ती संशोधक आदेश जारी किये गये। पहला ५ जून, १९५० को और दूसरा ४ नवम्बर, १९५० को जारी हुए। इस पहले आदेश में

[श्री विश्वास]

२६ जनवरी, १९५० के मुख्य आदेश में कुछ एक छोटे छोटे तथा अनावश्यक संशोधन करने के अतिरिक्त मद्रास तथा बम्बई में कई लागू कानूनों के सम्बन्ध में सविस्तार अनुकूलन भी दिये गये थे। दूसरे संशोधन में उस ग़लती को ठीक किया गया था जो किसी असावधानी के कारण मूल अनुकूलन आदेश में हो चुकी थी। और ४ अप्रैल, १९५१ को जारी किये गये तीसरे अनुकूलन आदेश में, मद्रास और बम्बई को छोड़ कर अन्य सभी भाग क राज्यों में लागू कानूनों के सम्बन्ध में सविस्तर अनुकूलन दिये गये थे। यही वास्तविक स्थिति है।

९ म० पू०

संविधान के साथ कानूनों को एकरूप करने के विचार से उन का अनुकूलन तो एक विशाल समस्या का ही एक भाग है और इसी लिये इस समय मैं इस बात की ओर निर्देश करूंगा कि इस काम को निपटाने के लिये एक स्थायी संविधि पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति का प्रश्न कहां तक ठीक है। भूतकाल के अनुभव से हमें इस मामले में काई भी प्रोत्साहन नही मिला। १९२१ में, उन दिनों की सरकार ने, एक संविधि पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी जिस का अध्यक्ष सर एलेक्जांडर मडिमन था, और अन्य सदस्यों में सर हैनरी मोनक्रीफ़ स्मिथ तथा हमारे दिवंगत डा० हरि सिंह गौड़ थे। किन्तु इस समिति ने कोई भी प्रगति नहीं की। इस समिति ने उतना कुछ प्राप्त नहीं किया जितना कि इन से आशित था। इन्हों ने संचयन के रूप में वणिक-पोत, अपराधजीवी आदिमजाति, उत्तराधिकार, वन, दान, आदि बातों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण कानूनों का पुनरीक्षण किया। उन का यह भी विचार था कि न्यास, परक्राम्य आलेख, संविदा, जिन्ह, तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों से सम्बद्ध कानूनों का पुरनरीक्षण किया जाय, किन्तु वह निष्फल रहा। मामला वहीं का वहीं पड़ा रहा। इस के विरुद्ध, उक्त समिति की सहायता के बिना ही, बहुत सी विधियों में संशोधन हुआ अथवा उन का संचयन किया गया, और इन विधियों में वस्तु-विक्रय अधिनियम, भागिता अधिनियम, कारखाना अधिनियम, भारतीय तटकर अधिनियम, पेट्रोल अधिनियम, बीमा अधिनियम, मोटर गाड़ी अधिनियम, आदि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हां तो यही कुछ हुआ था।

दिवंगत हरि सिंह गौड़ ने इस समिति के समक्ष एक प्रस्थापना यह रखी थी कि संविधि पुनरीक्षण की समग्र समस्या को हल करने के लिये एक स्थायी विधि आयोग होना चाहिये। समिति ने उस की प्रास्थापना स्वीकार नहीं की। तब उन्हों ने उन दिनों की विधान सभा के समक्ष एक संकल्प रखा, और मैं समझता हूं कि लोग उस के विपक्ष में थे जिस से वह संकल्प आगे बढ़ ही नहीं पाया। यह थी उस मामले की स्थिति।

इस प्रकार, १९२१ में नियुक्त की गई समिति १९३२ में समाप्त हुई और इस के साथ ही साथ उन दिनों की राज्य-परिषद् के अध्यक्ष सर हैनरी मोनक्रीफ़ स्मिथ निवृत हुए। १९४७ में पुनः डा० हरि सिंह गौड़ द्वारा उक्त प्रस्थापना प्रस्तुत हुई थी, जब कि उन्हों ने संविधान सभा (न्यायिक) में निम्नवर्ती संकल्प प्रस्तुत किया था :

> "इस सभा का यह मत है कि स्पष्टीकरण पेक्षी प्रश्नों को स्पष्ट करने तथा सुलझाने के लिये एक परिनियत विधि पुनरीक्षण समिति नियुक्त की जानी चाहिये।"

उन दिनों के विधि मंत्री डा० अम्बेडकर ने उक्त संकल्प के उद्देश्य से सहानुभूति प्रकट तो की किन्तु कई कठिनाइयां भी जतलाईं। उन्हों ने १९२१ में पहले की विधि समिति द्वारा प्राप्त किये गये कुछ एक बहुत निराशा-

जनक परिणामों की ओर भी निर्देश किया। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि यह व्यवस्था का ही प्रश्न है। यदि आप के पास एक स्थायी आयोग हो, और यदि वह स्थायी आयोग प्रभावकारी रूप से कार्य करना चाहता हो, तो उस के साथ पर्याप्त रूप से बड़ा एक सचिवालय होना चाहिये। और उस का यह परिणाम होगा कि उस पर बहुत धन व्यय होगा। अतः, इस आधार पर, तथा इस अन्य कारण से भी कि उन अग्रणी अधिवक्ताओं का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका, जो इस कार्य के लिये समय बचा नहीं सके, यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया और परिणामस्वरूप, यह मामला वहीं का वहीं पड़ा रहा। मेरे माननीय मित्र डा० काटजू ने इस प्रस्थापना को पुनः आप के समक्ष रखा, और मैं यह बताना चाहता हूं कि अब इस की जांच हो रही है। सारा प्रश्न तो व्यवस्था का है : और यों है कि क्या यह कार्य विधि मंत्रालय से पृथक कार्य करने वाले एक पृथक विधि आयोग द्वारा प्रभावकारी रूप से दिया जा सकता है अथवा क्या यह स्वयं विधि मंत्रालय द्वारा ही कराया जा सकता है। हां, यदि विधि मंत्रालय को अधिकृत किया जाता, तो कदाचित् वह इस मामले को निपटा सकता। अब मान लीजिये कि इस के स्थान पर आप के समक्ष एक स्थायी विधि आयोग हो। तो वह आयोग, संभवतः वर्ष में एक दो बार बैठक बुला लेता; किन्तु इस सारे काम का बोझ तो सचिवालय के पदाधिकारियों पर ही पड़ेगा। संहिताबद्ध करने तथा पुनरीक्षण के इस कार्य के लिये समर्थ व्यक्ति होने चाहिये। आप को यह भी अधिकार होना चाहिये कि आप सारी विधि को जांच सकें। जहां तक विधि की विशेष शाखाओं का प्रश्न है, आप उस विशेष मामले को प्रस्तुत करने के लिये सम्बद्ध हितों पर निर्भर कर सकते हैं। मान लीजिये कि व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बद्ध कई मामलों के लिये विधान बनाने का प्रश्न हो। आप इस प्रकार इस पर निर्भर कर सकते हैं कि चैम्बर्स आफ कामर्स (वाणिज्य मंडल) यदि वे अभिनव विधान की आवश्यकता का अनुभव करते हों, तो इस मामले को सर्वप्रथम सरकार के ध्यान में लायेंगे।

एक और भी प्रश्न है। यद्यपि आप के समक्ष एक ऐसा स्थायी परिनियत विधि आयोग हो जो यह देखने के लिये कि किस विधि में संशोधन होना चाहिये, किस का स्पष्टीकरण होना चाहिये, किस का रूपभेद होना चाहिये, आदि, बातें मालूम करने के विचार से पुनर्विलोकनाधीन वर्तमान विधान पारित करेगा, फिर भी आप महत्वपूर्ण विषयों पर वर्तमान विधानों पर विचार करने के लिये तदर्थ समितियों की नियुक्तियों से बच नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता, दण्डविधान प्रक्रिया संहिता, अथवा भारतीय दण्ड संहिता के पुनरीक्षण का प्रश्न लीजिये, परिनियत विधि आयोग केवल यह बता सकता है कि यह यह बात होनी चाहिये, अथवा यह कि कुछ एक महत्वपूर्ण मामलों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये किन्तु जनमत का परामर्श जानना, सभी सम्बद्ध दलों अथवा हितों से परामर्श करना, प्रारूप विधेयक बनाना, अथवा प्रश्न के सभी पहलुओं से सम्बद्ध सविस्तर सिफारिशों की सूची बनाना, आदि—ये सभी काम तदर्थ समितियों द्वारा कराने पड़ेंगे। मैं कोई अन्तिम सम्मति नहीं दे रहा हूं किन्तु इन मामलों पर विचार किया जाना चाहिये। मैं विरोधी दल के सभी मित्र सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह मामला जांच के अधीन है, और इस के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी पड़े, वह की जायेगी। इस में संदेह नहीं कि विधि को आधुनिकतम बनाने के लिये निर्दिष्ट कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अप्रचलित संविधियों के निरसन या संशोधन के सम्बन्ध में मैं उन अनेक संशोधन

[श्री बिश्वास]

तथा निरसन विधेयकों की ओर ही निर्देश करूंगा जो इस सदन में पुरःस्थापित किये जा चुके हैं तथा समय समय पर, लम्बी अवधियों के बाद कहीं पारित किये जा चुके हैं, और उस से कानूनों के नवीकरण को बहुत ही सहायता पहुंची है। वह किया जा चुका है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा ताकि माननीय सदस्यों की यह आशंका दूर हो कि व्यवहारिक पक्ष में इन विधियों का नवीकरण अथवा आधुनीकरण नहीं होता ।

मेरे विचार में मुझे विधि मंत्रालय से सम्बद्ध अन्य मामलों की ओर निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को लेता हूँ । सब से पहले, मैं सदन को इस बात की व्याख्या देना चाहता हूं कि यद्यपि मुझे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कहा जाता है, फिर भी मेरा कार्य बस वहीं तक सीमित है जो मैं अप्रैल १९५० के प्रधान मंत्री करार को कार्यान्वित करने के सिलसिले में पहले भी कर रहा था। इन दोनों में कुछ आपाधापी और गलतफहमी थी, और मुझे भारत के अन्य भागों तथा देश की सभी अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों से शिकायती चिट्ठियां मिल रही थीं, मुझे उन्हें कहना पड़ा कि यह मेरा इस समय का काम नहीं। मैं केवल पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल एवं शेष भारत के बीच की समस्याओं को सुलझा रहा हूं ।

अपने माननीय मित्र डा० एस० पी० मुखर्जी के समान मैं बार बार यह नहीं दोहराना चाहता कि प्रधान मंत्री करार का कोई भी लाभ नहीं रहा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं ने कभी भी यह बात नहीं कही ।

श्री बिश्वास : यहां नहीं, बल्कि सदन के बाहर कही है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने कहीं भी नहीं कहा कि इस करार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जहां तक आने जाने का प्रश्न है, इस से पाकिस्तान के तो पौ बारह हो गये और हमारे देश को भी कुछ लाभ हुआ।

श्री बिश्वास : उस समय मेरे ध्यान में भारत के परिणाम थे, पाकिस्तान के नहीं, जब मैं ने कहा था कि उनके विचार में अभी इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। मैं उन के दृष्टिकोण को समझता हूं और जानता हूं कि वे पाकिस्तान के हित में ही चाहते हैं, भारत के लिये नहीं । चाहे कुछ भी हो, उन के भाषणों ने हमें परेशान कर रखा है, और इसके कई कारण हैं। खैर, वह तो एक अलग बात है । मैं आशा करता था कि वे आज प्रातः भी एक ज़ोरदार भाषण करेंगे ।

उक्त करार का एक वाक्यांश इस प्रकार है। दोनों सरकारें इस बात से सहमत हैं कि :

> "किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, प्रेस या रेडियों द्वारा इस प्रकार के समाचार जिन से सांप्रदायिकता अथवा कुत्सित ज़नमत फ़ैले, का प्रचार रोकने के लिये तत्काल प्रभावशाली कार्यवाही की जाय । इस प्रकार का अपराध करने वालों से बहुत कड़ा व्यवहार किया जायेगा।"

इससे अगले वाक्यांश को देखिये :

> "वे दोनों किसी भी देश में इस प्रकार का प्रचार नहीं होने देंगे जिस से एक दूसरे की प्रादेशिक पर आघात होता हो, अथवा एकता एक दूसरे के बीच युद्ध को उत्तेजना मिलती हो, और यदि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस प्रकार का अपराध करे तो उसके विरुद्ध कड़ी और तत्काल कार्यवाही करेंगे।"

पाकिस्तान ने अनेक वार इस बात की शिकायत की थी—यद्यपि मैं उस शिकायत को उचित नहीं समझता—कि हम (भारतीय) उपरोक्त इन दोनों वाक्यांशों में लगाई गई पाबन्दी का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत के संविधान द्वारा लगाई गई सीमायें भी वर्त्तमान थीं, अतः हम कोई भी कार्यवाही नहीं कर सके। शायद है कि क़रार किये जाने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के समय, इन सीमाओं का पूरा पूरा प्रभाव ध्यान में नहीं रखा गया था। किंतु, यह पाबन्दी पहले से ही मौजूद थी और किसी भी साधारण प्रारूप के समान, प्रत्येक क़रार को, यदि आप उसे सफ़लता पूर्वक कार्यान्वित करना चाहते हों, दोनों पक्षों की सद्भावना और सहयोग की आवश्यकता रहती है। इस पर विचार करने का एक और भी दृष्टिकोण है। किसी भी क़रार के अन्तर्गत बहुत बढ़िया परिणाम इस तरह से भी मिल सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की प्रक्रिया को ग़लत बताये। यदि आप स्वयं निर्मल हों तो आप दूसरे पक्ष या विरोधी दल को उचित ढंग से दोषी अथवा अपराधी ठहरा सकते हैं। किंतु यदि आप का अपना व्यवहार दोषपूर्ण हो तो दूसरे दल को शिकायत करने का मौका मिलेगा जिस से आप का पक्ष कमज़ोर पड़ जायेगा। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी पाकिस्तान ने क़रार की इन शर्तों का उल्लंघन किया, भारत ने उनके विरुद्ध पूरी कार्यवाही करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अस्तु, मैं इस बात को भी छोड़ देता हूं।

श्रीमान्, इस क़रार के दिये जाने के बाद आने-जाने की स्वतंत्रता के संबंध में काफ़ी अच्छी प्रगति रही। इस क़रार का मुख्य उद्देश्य यह था कि निष्क्रमणार्थी को जाने की सुविधायें मिलें और स्थानान्तरण में उनकी पूरी रक्षा हो, यानी उन्हें किसी भी बात के कारण परेशान न होना पड़े। यह सब पूरा किया गया। इसमें संदेह नहीं कि हमारे पास शिकायतें पहुंचीं किंतु वे शिकायतें मामूली तरह की थीं। श्रीमान्, उन शिकायतों को रोका नहीं जा सकता था। आपके पास अच्छे से अच्छे कानून हों। उदाहरणतया, भारतीय दंड विधान को ही लीजिये। किंतु इससे सभी अपराध थम तो नहीं गये। अपराध होते ही रहेंगे। किंतु प्रश्न यह है कि क्या पहले जितने ही अपराध हो रहे हैं। इस क़रार के विरोधी आलोचकों को भी यह मानना पड़ेगा कि जब से अपराधों में बहुत बड़ी कमी हुई है, और यही इस की एक बड़ी सफ़लता है।

मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है कि आजकल स्थिति बिगड़ गई है। आजकल पूर्वी बंगाल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं जितनी पहले थी। इसका कारण है, इस पर भिन्न भिन्न मत हैं। हमारा भी अपना मत है, किंतु पाकिस्तान उस से सहमत नहीं।

कदाचित् माननीय सदस्य श्री बर्मन ने कल हमें यह सुझाव दिया था कि एक पूछताछ आयोग होना चाहिये। आखिर, एक पूछताछ आयोग क्या करेगा ? हम शिकायतें करते हैं। उन के पास वे मामले ले जाते हैं जो हमारे ध्यान में आये हों—यानी अपहरण, आदि प्रकार के सभी मामले। उसके बाद पाकिस्तान के पास सूचियां भेजी जाती हैं। जिस किसी मामले की रिपोर्ट हमें मिल जाती है, वह हम उन के पास भेज देते हैं, और कदाचित् इस के छः महीने बाद पूछताछ की यह रिपोर्ट आ जाती है। "पूरी पूछताछ की गई, जिस में एक से अधिक अधिकारी साथ थे ; किंतु हम इसी परिणाम पर पहुंचे कि ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं।" अब बताइये कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिलने के बाद भारत के हाथ में क्या रहा ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : केवल सविनय आत्मसमर्पण।

श्री बिश्वास: जिस प्रकार वे हमारी रिपोर्ट स्वीकार करने में बाध्य हैं उसी प्रकार हमें उनकी रिपोर्ट स्वीकार करनी पड़ती है। इस सब का इसी बात पर निर्भर है कि क्या वह पूछताछ उसी ढंग से हुई जिस ढंग से होनी चाहिये थी। हम उनसे ब्योरा मांगते हैं। कभी कभी ब्योरा भेजा जाता है और कभी नहीं भी भेजा जाता। तो यही स्थिति है। अब, ऐसी दशा में क्या करना चाहिये? मान लीजिये कि हम कोई पूछताछ आयोग नियुक्त करते हैं तो वह आयोग पाकिस्तान नहीं जा सकता, न तो वहां से लोगों की साक्ष्य ही ला सकता है। और यदि अल्पसंख्यक संप्रदाय से साक्ष्य मांगा भी गया तो वे इस डर के मारे कुछ बता भी नहीं सकते कि कहीं उन्हें शिकार न बनना पड़े। अतएव, आयोग की नियुक्ति का लाभ ही क्या है? इसके विरुद्ध, यदि हम इस प्रकार का एक आयोग नियुक्त भी कर लें तो हमें हानि होगी। क्योंकि पाकिस्तान यह कह सकेगा कि: "आप ही बताइये। आप ने आयोग की नियुक्ति की। फिर भी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। आप देखते हैं कि जो कुछ भी हम ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है।" अतः हमें दूसरे दल के हाथ में कठपुतली नहीं बनना चाहिये। हमें चाहिये कि अपने पक्ष तक ही अपनी कार्यवाही सीमित रखें। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पक्ष ने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कुछ भी भारत के लाखों अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिये किया जा सकता था अथवा किया जाना चाहिये था, वह हमने किया। मैं पूरे साहस से इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस चीख-पुकार के बावजूद भी, जो हम प्रायः सुना करते हैं, भारत में रहने वाले मुसलमान पूर्वी बंगाल में रहने वाले अल्पसंख्यक संप्रदायों की अपेक्षा स्वतंत्रतापूर्वक रह रहे हैं, और अधिक सुरक्षित हैं।

श्री चटर्जी ने यह भी कहा है कि उक्त समझौते को कार्यान्वित करने के लिये विगत दो वर्षों में जो भी कार्यवाही की गई उसका पुनर्विलोकन किया जाय। मेरे पास यहां सभी सामग्री रखी है। मैं उन को निपटाने के लिये तैयार हूं किंतु, दुर्भाग्यवश, मेरे पास कोई भी समय नहीं है, और यदि मैं इसके विस्तार में जाऊं तो मुझे एक और घंटा लगेगा क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे मामलों पर विचार प्रगट करना होगा जिन के संबंध में इस प्रकार की बातें उठेंगी कि हम ने क्या किया, दूसरे दल से हमें क्या उत्तर मिला, आदि आदि। इस एक विशेष मामले की ओर निर्देश किया गया था कि श्री सतीन सेन, गोबिन्द बनर्जी और मनोरंजन धर जैसे अल्पसंख्यक नेताओं की गिरफ़्तारी क्यों हुई। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में उनकी गिरफ़्तारी की रिपोर्ट पढ़ते ही, बल्कि उससे पहले, मैं विरोधी दल के सदस्य से मिला और मैंने इन गिरफ़्तारियों का बहुत ही कड़ा विरोध किया। मैं ने उसे यह सुझाव दिया कि अल्पसंख्यक संप्रदाय के इन नेताओं की गिरफ़्तारी से पूर्वी बंगाल स्थित अल्पसंख्यकों का विश्वास ढीला पड़ जायगा, अतः उसे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये। उन का उत्तर यह था कि "लोक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ये गिरफ़्तारियां की गईं। इस मामले पर तो प्रांतीय सरकार ही विचार कर सकती है, अतएव प्रांतीय सरकार के न्याय में मेरे हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।" मैं ने उत्तर में कहा कि वह मित्र के नाते मेरे लिये इतना ही करे: प्रांतीय सरकार से पत्र मंगाये और अपने आप को इस बात का संतोष दिलाये कि क्या उचित आधार पर कार्यवाही की गई थी या नहीं। इस बात का भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं ने उसे इस बात का स्मरण कराया कि जब डा० मलिक ने मुझे गिरफ़्तारी के उन कई एक मामलों का निर्देश किया जो पश्चिमी

बंगाल में निवारक निरोध के अन्तर्गत हुई थीं उस समय मेरा रवैया उस प्रकार का नहीं था जो पाकिस्तान में स्थित अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस समय अपनाया है। मैं ने पश्चिमी बंगाल सरकार से पत्र मंगाये और उसी प्रकार उनका स्वयं ही अध्ययन किया जिस प्रकार परामर्शदात्री मंडली का कोई भी सदस्य करे। मैं ने तदनुसार डा० मलिक के पास रिपोर्ट भेजी और उन्होंने उस के बाद कोई भी आपत्ति नहीं उठाई। मैं ने अपने मित्र श्री अज़ीज़ुद्दीन को यही सुझाव दिया कि वह भी इसी तरह कर लें। इतना कहने पर भी वह कुछ बदले नहीं। अंततः मैं ने सुझाव दिया कि इन संबद्ध व्यक्तियों की परीक्षा की जाय। वे यह कहें कि उनकी किसी न्यायालय में परीक्षा की जाय, ताकि उन पर आरोपित मामलों की जांच हो सके। इस बात का भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बताइये कि मैं और क्या कर सकता था ? क्या ऐसा कोई सुझाव है कि इस काम को और किसी ढंग से किया जा सकता था ?

डा० एस० पी० मुखर्जी: एक बार और विरोध कीजिये।

डा० एन० बी० खरे: एक ज़ोरदार विरोध और सविनय आत्मसमर्पण !

श्री बिश्वास: सविनय आत्मसमर्पण। विरोधी पक्ष से यही ताना कसा जाता है। बहुत अच्छे, आप इस सस्ती तानेबाज़ी में पड़ जाइये।

डा० एस० पी० मुखर्जी: निस्संदेह सस्ता। इसीलिये सस्ता है कि लाखों के जीवन अन्तर्ग्रस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति।

डा० एस० पी० मुखर्जी: श्रीमान्, वह कहते हैं कि सस्ती तानेबाज़ी है। जब लाखों की जानें खतरे में पड़ी हों तो, निस्संदेह, वह बहुत ही सस्ता है।

श्री बिश्वास: सरकारी बैंचों पर बैठने वाले सदस्यों पर तानेबाज़ी : "आप एक विरोध कीजिये, और वह पुनः सविनय आत्मसमर्पण होगा"। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि वे और कौन सी कार्यवाही कर सकते थे ?

डा० एन० बी० खरे ने तने घूंसे का प्रदर्शन किया।

श्री बिश्वास: ज़बरदस्ती करना बहुत ही आसान है। आखिर, इससे क्या होगा ? कितना ही अच्छा होता कि वे थोड़ी देर सोच लेते कि इस बात से सारे देश को कितनी हानि पहुंचेगी। यों तो यह एक भिन्न बात है, और मैं जानता हूं कि इससे विरोधी दल के इन सदस्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और किसी भी देश के प्रशासन के प्रभारी उत्तरदायी मंत्री को इस पर विचार करना पड़ेगा। और भी कई चीज़ें कही जा सकती हैं किंतु मैं इतने पर ही बस कहूंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अतः मैं अपने मित्र को कोई भी सूचना नहीं दूंगा न तो घूंसा दिखा दूंगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: अतः सदन यही समझेगा कि इस में कोई भी उपाय नहीं .....

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। हम वाद-संवाद के लिये इकट्ठे नहीं हुये हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मुझे तो केवल मात्र आश्चर्य हो रहा है कि माननीय सदस्य पाकिस्तान के दिवंगत प्रधान मंत्री की भावना का अनुकरण कर रहे हैं और घूंसा दिखा रहे हैं।

डा० एन० बी० खरे : शठे शाठयम् समाचरेत् । (ठग के साथ ठगी की जानी चाहिये)

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक ही थैले के चट्टे-बट्टे ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस प्रकार की नोक-झोंक को बढ़ावा नहीं देना चाहिये । इस से वाद-विवाद का उद्देश्य दूर हो जाता है ।

अब हम विविध मंत्रालयों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये प्रस्तुत करते हैं ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये और अस्वीकृत हुये ।

मांग संख्या ६८—विधि मंत्रालय—(८२,४७,००० रुपये)

मांग संख्या ६९—न्याय-प्रशासन—(१,४६,००० रुपये)

मांग संख्या ५५—मंत्रिमंडल—(१६,७३,००० रुपये)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों को प्रस्तुत करेंगे ।

मांग संख्या ४२—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—(३१,११,००० रुपये)

मांग संख्या ४३—वन—(२४,२३,००० रुपये)

मांग संख्या ४४—भारतीय भू-परिमाप—(६८,३५,००० रुपये)

मांग संख्या ४५—वानस्पतिक पर्यालोकन (९७,००० रुपये)

मांग संख्या ४६—प्राणकीय परिमाप—(२,८५,००० रुपये)

मांग संख्या ४७—कृषि—(२,१५,००,००० रुपये)

मांग संख्या ४८—नागरिक शालिहोत्रि सेवायें—(२३,२५,००० रुपये)

मांग संख्या ४९—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय—(१२,३९,३७,००० रुपये)

मांग संख्या ११६—वनों पर पूंजीगत व्यय—(१६,६९,००० रुपये)

मांग संख्या ११७—अनाज की खरीद—(१,२६,९२,३९,००० रुपये)

मांग संख्या ११८—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजीगत व्यय—(२०,२१,३३,००० रुपये)

नीति

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

खाद्य नीति

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषतया देवरिया तथा अन्य जिलों में वर्तमान अकाल स्थिति

श्री रामजी वरमा (ज़िला देवरिया-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

उड़ीसा की चिल्का झील में मीन क्षेत्रों का विकास

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

अकालपीड़ित क्षेत्रों को खाद्य राशियों की रसद तथा सिंचाई नीति

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़प्पा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

आयात किया गया मिलो तथा लोक-स्वास्थ्य

श्री रघवय्या (ओंगोल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

निर्धक कृषकों तथा कृषि-श्रमिकों की सामन्तशाही भूस्वामियों से रक्षा

श्री के० एस० राव (एलूरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

निजी वनों का राष्ट्रीयकरण

श्री दामोदर मेनन: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'वन' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

जूट की कृषि तथा जूट सम्बन्धी अनुसन्धान

श्री टी० के० चौधरी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'कृषि' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

कृषि की नीति

श्री मोहन राव (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'कृषि' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

किसानों द्वारा काश्त होने वाली भूमि से उनको बेदखल करने के विरुद्ध राज्यों को परामर्श देने की असफलता

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विज़ियानगरम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'कृषि' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

वास्तविक किसानों में भूमि के समान वितरण के लिय एक नई नीति बनाने की आवश्यकता

श्री वाघमारे (परभणी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'कृषि' संबंधी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

कृषि करने के लिए बढ़िया प्रणालियां

श्री कण्डासामी (तिरुचनगोड): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'कृषि' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

त्रावनकोर-कोचीन राज्य को पूरी खाद्य सहायता दिलाने की आवश्यकता

श्री नेसामनी (नागरकोइल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

हमारे देश में खाद्यान्न का आयात पूणतया बन्द होना चाहिये क्योंकि यदि हम "प्रति सप्ताह एक बार अनशन" आन्दोलन चलायें तो हम खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

जूट के मूल्यों में अकस्मात् गिरावट आने के कारण श्रीकाकुलम् जिला में जूट उगाने वालों की स्थिति

श्री राजगोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'कृषि' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सफलता

श्री राजगोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

मद्रास राज्य स्थित श्रीकाकुलानी जिला के चिपुरुपल्ली तालुक के अकालग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सम्बन्धी अन्य सुविधायें पहुंचाना, तथा सेना की सहायता से वहां कुएं खोदना, और वहां के कृषकों को वित्तीय सहायता देना

श्री राजगोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी नीति

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

रायलासीमा की खाद्य स्थिति तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की असफलता

श्री शेषगिरि राव (नंदयाल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

आधुनिक तथा बड़े शहरों और ग्रामीणक्षेत्रों में साधारणतया और विशेषतया हैदराबाद राज्य में विनियन्त्रण नीति

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

कृषि उपज के मूल्य निर्धारित करने में सरकार की नीति तथा देश में उपजने वाले खाद्यान्नों के पर्याप्त तथा मितव्ययी मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन की सफलतायें

श्री पोकर साहेब : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

रसद की अस्वीकृति

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के

अन्तर्गत विविध व्यय' सम्बन्धी मांग को १०० रुपये तक घटाया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : अब हम कटौती प्रस्तावों की बहस प्रारम्भ करेंगे। चूंकि ये सब प्रश्न देश की खाद्य स्थिति से सम्बन्धित हैं, और बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, अतः मैं उन्हें इस बात का स्मरण करा दूंगा कि वे कम से कम समय लें।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : जन हित चाहने वाले दल का कभी भी इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं होना चाहिये कि मात्र विरोध के लिये विरोध किया जाय। हम सरकारी बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों के काम अथवा उन की बातों का विरोध करने के लिये यहां नहीं आये। मुझे माननीय गृह-मंत्री की यह बात भी अच्छी नहीं लगी कि बहुमत कभी ग़लत नहीं हो सकता, न तो मैं उन की भलाई को ही भूलना चाहता हूं। मैं खाद्य मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने मद्रास सरकार को विनियंत्रण करने की आज्ञा दी है, किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन की खाद्य नीति असफल रही। हम ने कभी भी अपने संसाधनों और अपनी जन-शक्ति पर विश्वास नहीं किया बल्कि बाहर से खाद्य का आयात करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पौण्ड पावना तथा अन्न साधन समाप्त हो गये। और इस सारे काम के बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिला। कितनी ही अच्छी बात होती कि हमने जनता का सहारा लिया होता। मुझे विश्वास है कि हमारा देश ही अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और विरुद्ध इस के हमने विदेशी सहायता का आसरा लिया जिस से बरबादी ही बरबादी हुई। १९४६ में हम ने विदेशों से २२·५ लाख टन अनाज का आयात किया। १९४७ में हम ने २३ लाख टन मंगाये। १९४८ में २८ लाख टन और १९४९ में ३७ लाख टन, यद्यपि १९५० में आयात घट गया और हम ने केवल २१ लाख टन का आयात किया, और १९५१ में पुनः ४७ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया। यदि १९५२ में खाद्य सहायता नहीं रोकी गई होती तो हमें राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिये ७१ लाख टन खाद्यान्न मंगाना पड़ता। व्यक्ति ही नहीं, अपितु सरकार भी खाद्य का राशिकरण करते हैं।

हमें बाह्य सहायता की बहुत कम आवश्यकता होती थी। युद्ध से पहले हमने बाहर से केवल १५ लाख टन के क़रीब खाद्यान्न मंगाया—जो हमारी आवश्यकताओं के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं था। मान लीजिये कि आबादी बढ़ भी गई हो तो यदि विगत ६ वर्षों में १० प्रतिशत बढ़ती भी हुई, तब भी हम उत्पादन में १५ प्रतिशत वृद्धि करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। मैं ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि सलेम के एक कृषक ने एक एकड़ भूमि में १२,००० पौण्ड चावल उगाये। अभी उस दिन मलबार के एक किसान को एक एकड़ भूमि में ९,००० पौण्ड चावल उगाने के लिये पुरस्कार मिला। तो, फिर हमारा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन क्यों असफल रहा। इस का एक मुख्य कारण यह था कि हम ने कभी भी अपने देशीय उत्पादन पर अधिक ध्यान नहीं दिया, हम सदा ही विदेशी सहायता पर निर्भर करते रहे।

अब हमारे नियंत्रण, समाहार, और राशनिंग का क्या हश्र हुआ ? क्या हमें सफलता मिली ? नहीं, इन बातों में भी हम बुरी तरह से असफल रहे। राशनिंग पद्धति को ही लीजिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

हर किसी जगह १२ औन्स राशन मिलता था, और हमारे प्रान्त के लोगों को केवल

[श्री केलप्पन]

९ औन्स चावल मिला, और वह भी धीरे-धीरे घट कर आठ, सात, छः, और कहीं कहीं, जहां अनुविहित राशनिंग पद्धति नहीं थी, पांच औन्स का राशन मिला ; और कभी कभी लोगों को इस से भी वंचित रहना पड़ा। हां, काले बाज़ार में अनाज मिल तो सकता था, लेकिन सभी उसे ख़रीद नहीं सकते थे। इसी तरह हमारी समाहार नीति और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन असफल रहे। सरकारी आंकड़ों से पता चलेगा कि १९४८-४९, और १९४९-५० में लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के बीच ज़्यादा अन्तर नहीं रहा किन्तु १९५०-५१ में हमारा लक्ष्य १७ लाख टन था, और हम केवल ११ लाख टन का उत्पादन कर सके। कुछ भी हो, हम ने जहां एक ओर अनाज का आयात बढ़ाया, वहां राशन को धीरे-धीरे ९ औन्स से घटा कर ६ औन्स तक पहुंचाया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि हमारा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन असफल रहा। और, भला, ऐसा हो भी क्यों नहीं सकता था जब सरकार ने गांव में रहने वाले वास्तविक कृषकों को कभी भी विश्वासपात्र नहीं समझा। अनाज की ख़रीद करने वाले पदाधिकारी गांव में निर्धन कृषकों को परेशान करते थे, और उन्हें अधिक अनाज देना पड़ता था जब कि बड़े बड़े भूस्वामियों से बहुत कम अनाज वसूल किया जाता था, यही कारण था कि उन्हों ने बचा-खुचा अनाज काले बाज़ार में बेचा। इस की प्रतिक्रिया में कई एक कृषकों ने तंग हो कर खाद्य फसलों की कृषि के बदले नगदी फसलों की कृषि आरम्भ की। बंगाल और मद्रास में भी ऐसी ही स्थिति रही। अब बताइये कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सफलता कहां रही।

यदि हमारा इसी प्रकार का व्यवहार रहा तो पंचवर्षीय योजना तथा सामुदायिक परियोजनायें भी असफल रहेंगी। अब इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिये गांव की जनता की जीवन-प्रणाली को आधार बनाया जाना चाहिये था, लेकिन यह तभी हो सकता था जब गांव-गांव में पंचायतें होतीं, जिन के द्वारा हमें गांव वालों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता। इससे निश्चय ही सफलता मिल सकती थी। यदि चीन में २० लाख आदमी एक बांध बना सकते हैं तो भारत के ३६ करोड़ आदमी उन से भी अधिक प्रगति दिखा सकते हैं। हमारे देश में १७०० लाख एकड़ भूमि पड़ती है जिसे कृषि में लाया जा सकता है, और यहां के उत्पादन और यहां की उत्पादन-दर में वृद्धि की जा सकती है। अभी भी समय है और जनता को विश्वासपात्र बना कर बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आप राशनिंग पद्धति पर पुनः दृष्टि डाल लीजिये। मेरे ज़िले मलबार को ही लीजिये। वहां के लोग ६ या ७ औन्स राशन पर गुज़ारा तो नहीं चला सकते थे। वे टैपियोका को भी उपयोग में लाते रहे, और इस तरह उन की खाद्य कठिनाई दूर होगी। इसी प्रकार, पश्चिमी तट की भूमि-अपक्षारण से बहुत बड़ी हानि पहुंचा करती है, किन्तु सरकार ने कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है। पश्चिमी तट की बनावट बहुत ही विचित्र है, किन्तु मलबार के बनों से हमें जितनी सामग्री प्राप्त हो सकती है उतनी और किसी भी वन से प्राप्त नही होती। दुर्भाग्य है कि वहां वन उड़ाये जा रहे हैं, और भूमि में बहुत से कटाव हो गये हैं। परिणामतः, वर्षा ऋतु में यह भूमि कट-कट कर धान की खेतियों में चली आती है, या समुद्र में बह जाती है। आश्चर्य है कि सरकार ने कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, और इस वननाशन से अब वह भूमि ऐसी बन गई है कि वहां घास भी उग नहीं सकती।

श्रीमान्, वनमहोत्सव का भी यही हाल है। दक्षिण भारत में इसका परिहास उड़ाया गया —यानी वनमहोत्सव के नाम पर कहीं गांव के मुनसिफ के कार्यालय के सामने एक-आध वृक्ष लगाया जो कालान्तर में पशुओं ने चबा डाला, और यही बात अन्य स्थानों में भी होती रही। यदि इसका यही हश्र रहा तो हमें कोई भी सफलता नहीं मिल सकती।

वनमहोत्सव का अभिप्राय वन लगाने से है, और वह भी नियमपूर्वक : ताकि हमारे देश की समृद्धि बढ़ सके। आप यदि वनों को सुरक्षित रखना चाहते हों, तो आप को मलबार के निजी वनों का राष्ट्रीयकरण करना होगा।

मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्धाधुन्ध व्यय की ओर भी निर्देश करना चाहता था, किन्तु मेरे पास इतना समय नहीं रहा है। फिर भी एक बात कहूंगा ही कि उक्त मंत्रालय ने ७२ मोटरगाड़ियों और १९४ ट्रकों के संभरण पर ही २१ लाख रुपये का व्यय किया। अब देखिये कितना अपव्यय हो रहा है : आखिर यह धन कहां से आया। यह तो निर्धन जनता से कर के रूप में लिया गया। मुझे एक राजनीतिज्ञ के इन शब्दों में १०० प्रतिशत सचाई दीख रही है कि समाज करदाताओं और कर-उपभोक्ताओं में विभाजित है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज अपने फूड मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। यह मुबारकबाद रुटीन (शिष्टाचार) का मुबारकबाद नहीं है बल्कि मैं दिल से निकली हुई मुबारकबाद पेश करता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के इस मुल्क में कंट्रोल करने की नीति को इतने अरसे के बाद एक नये सिरे से एक नया ढंग देने की कोशिश की है।

मैं इस मौके पर इस हाउस में श्री राजगोपालाचार्य जी की खिदमत में भी मुबारकबाद का पैग़ाम भेजना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत कर के उन्हों ने एक ऐसा कदम उठाया जिस से आम तौर पर लोग इस तरह का कदम उठाने में डरते थे। उन्हों ने जो कदम उठाया है उस में सिर्फ इतना ही नहीं कि कामयाबी होगी बल्कि देश की जनता की भलाई होगी, मैं साथ ही इस मौके पर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे ऐसे असहाब (व्यक्तियों) को जो इस बारे में खुला दिल रखते हैं, उन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इन लोगों ने अपने पुराने ख्यालात की रोशनी में नई हालत को देखते हुए ऐसे कदम की इजाजत दी और उस का खैर मक़दम किया।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दरअसल जो भाई आज कंट्रोल की खराबियां बयान करते हैं मैं भी किसी हद तक उन के साथ हूं। लेकिन हमें कभी किसी पालिसी को देखने के वास्ते इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि वह पालिसी किन हालतों में बनी और किस तरह से वह चलाई गई। यह पालिसी पुरानी गवर्नमेंट ने बनाई थी। और यह उसी की ही लिगेसी (विरासत) थी। यह लिगेसी उन हालतों में आई जिस समय एक नेशनलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन (राष्ट्रवादी प्रशासन) क़ायम हुआ। जिस समय हम ने अपनी आज़ादी हासिल की गवर्नमेंट को हर तरह की दिक्क़तें पेश आईं। और अक्लमन्दी का तक़ाज़ा था कि एक दम तब्दीलियां न की जायें। उस वक्त गवर्नमेंट यह चाहती थी कि इन पालीसियों को जो पहिले से आ रही हैं कायम रक्खा जाये और आहिस्ता आहिस्ता मौका आने पर उन को दुरुस्त करने की कोशिश की जाये। रेवोल्यूशन (क्रान्ति) कभी जल्दी में नहीं आता है (रेवोल्यूशन डू नाट कम इन ए फ्लड— क्रान्ति एक दम नहीं आती) वह तो आहिस्ता आहिस्ता आता है। इस तरह से सन् १९४८ और १९४९ में जो मुसीबत हमारी गवर्नमेंट के सामने थी उस वक्त एक दम तबदीली का तवक्को (आशा) करना ग़ैर मुनासिब था

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और उस समय गवर्नमेंट भी यह नहीं चाहती थी कि वह एक दम अपनी पालिसी तबदील कर दे ।

मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि उस समय देश के अन्दर गेहूं और चावल की कमी थी मगर वह थोड़ी सी कमी थी । इस देश के अन्दर गल्ले की कमी भी ऐसी कमी नहीं थी जिस से कि इस देश के लोग भूखों मर जाते । लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में खतरा मोल नहीं ले सकती थी । गवर्नमेंट पबलिक की नुक्ते निगाह (दृष्टिकोण) में माई बाप का दर्जा रखती है । तो क्या मां अपने बच्चे के साथ किसी तरह का खुराक के मामले में तजुर्बा करना पसन्द करेगी ? उस के लिये इस तरह की बात सोचना भी मुमकिन नहीं है वह अपनी औलाद के साथ इस तरह का तजुर्बा करें । अगर मुल्क में काफी गल्ला हो कि जिस से गवर्नमेंट हर व्यक्ति को छै छटांक राशन दे सके तो भी कोई गवर्नमेंट डिकंट्रोल (अवनियंत्रण) करने में हक बजानिब (उचित) न होगी । खसूसन (विशेषतया) यह गवर्नमेंट जिस की पालिसी बिल्कुल साफ है । उस की पालिसी खतरा मोल लेने की नहीं बल्कि हिफ़ाज़त की है और हिफ़ाज़त की पालिसी चाहती है कि देश में गल्ला काफ़ी हो । जिस समय बंगाल में सन् १९४३ में क़हत पड़ा था और कलकत्ते की गलियों में लोग मच्छरों और मक्खियों की तरह मरने लगे थे तो क्या इन सब बातों को देखते हुए यह सरकार के लिये मुमकिन था कि वह सरकार की बागडोर को हाथ में लेते ही गल्ले से कंट्रोल हटा देती । मैं यह अर्ज़ करता हूं कि गवर्नमेंट की यह पालिसी नहीं थी कि वह कंट्रोल को हमेशा के लिये जारी रक्खे । खसूसन हमारी गवर्नमेंट के वास्ते तो यह बात मुमकिन नहीं थी कि वह एक आदमी को भूखा मरने दे और एक दम डिकंट्रोल (अवनियंत्रण) कर दे । उस समय हमारी सरकार के सामने कुछ मजबूरियां थीं जिन की वजह से ही वह डिकंट्रोल नहीं कर सकती थी । दूसरे हमारे एदाद शूमार (आंकड़े) ठीक नहीं थे जिस की बिना पर हमारी सरकार कोई ठीक कदम उठा सकती मगर सरकार के सामने यह बात थी कि समय ठीक होने पर कंट्रोल को उठा दिया जायेगा ।

१० म० पू०

आज श्री किदवई साहब के आते ही पालिसी में तबदीली हो गई है । जिस रोज श्री के० एम० मुन्शी यहां से तशरीफ़ ले गये, उस के बाद से न कोई फसल हुई, न मेंह बरसा और न किसी तरह की तबदीली हुई । उन्हों ने आते ही जादूगर की तरह काम किया । जादू भी इस क़िस्म का नहीं था जिस तरह का जादूगर करते हैं । बल्कि उन्हों ने मामले का वाक़आत को समझा और सोचा और उसी के मुताबिक़ उन्हों ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी । मैं उन की इस कार्यवाही के लिये उन को मुबारकबाद देना चाहता हूं । He is a man of action and a man of destiny---वह काम के धनी हैं ।

मैं चाहता हूं कि इस सवाल को हल अच्छी तरह से किया जाय । मैं इस सवाल के पीछे ७-८ सालों से पड़ा हुआ हूं । मैं ने गवर्नमेंट की हर रिपोर्ट और हर चीज़ (आंकड़े) वग़ैरा को पढ़ा है । मैं हमेशा इस हाउस में कहता आया हूं कि इस देश के अन्दर गल्ले की कमी नहीं है, जिस से लोग भूखे मर जायेंगे । इतना बड़ा मुल्क हिमालय से ले कर कोचीन तक और आसाम से ले कर पंजाब तक का हमारा है । अगर हम हर एक आदमी को ६ छटांक या ८ छटांक अनाज दे सकते तो इलाज बड़ा सीधा था । मगर सरकार के सामने मजबूरी भी थी । पंजाब से जितना अनाज बचता था वह सब का सब साउथ (दक्षिण) को भेज

दिया जाता था। मगर इस के साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जो खराबियां होती हैं उस का भी तो सरकार को सामना करना पड़ा। माल एडमिनिस्ट्रेशन (कुप्रशासन) होने की वजह से भी गवर्नमेंट मजबूर थी। यह गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं थी। बल्कि मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट के लिये मुमकिन हो सका उस ने उतना काम किया (श्री रामनारायण सिंह की तरफ मुखातिब हो कर) आप सर क्या हिला रहे हैं। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि सरकार ने अरबों रुपयों का गल्ला बाहर से मंगाया और यहां की जनता को भूख से मरने से बचाया और इस के अलावा करीब ६५ करोड़ रुपया इस गवर्नमेंट ने खर्च किया। मगर इस के साथ साथ आप को यह भी महसूस करना चाहिये कि जो आदाद शुमार हम को मिले वह ग़लत थे जिस से हम ठीक तरह से सही अन्दाज़ा हालत का नहीं कर सके। हम को बतलाया गया कि गल्ले की ज्यादा पैदावार नहीं होती। मैं आप से पूछता हूं कि मद्रास के रहने वाले और जो सब काम कर रहे हैं लड़ाई में भी लड़ रहे हैं तो वह किस तरह से और क्या खा कर यह सब काम कर रहे हैं। अगर वहां पर सूखा ही पड़ता है तो किस तरह से हमारे वैलायुधन साहब यहीं पर इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। अगर वहां पर सूखा ही पड़ता तो किस तरह से वहां पर लोग अपनी गुजर कर सकते थे। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि गवर्नमेंट के जो आदाद शुमार (आंकड़ें) हैं यह दुरस्त नहीं हैं। गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के आप जरा जो रिकार्ड (अभिलेख) हैं उन को देखें। मेरे पास गवर्नमेंट की फिगर्स हैं। मगर मुझे अफ़सोस है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन को आप के सामने रख दूं। पिछले साल गवर्नमेंट ने ४७६६ टन गल्ला बाहर से मंगवाया। उस साल ३७६६ टन चने की पैदावार को गल्ले में शुमार नहीं किया। मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो आदाद शुमार गवर्नमेंट की ओर से शाया (प्रकाशित) किये जाते हैं वह दुरस्त नहीं होते हैं और इस से सरकार को अपनी पालिसी बनाने मे मदद नहीं मिल सकती है बल्कि उस से तो नुकसान ही होता है। गवर्नमेंट न्यूट्रेशनल स्टैंडर्ड (पोषण सम्बन्धी प्रभाप) को बढ़ाना चाहती है और वह हर एक तरह से जनता का मयार (मापदण्ड) बढ़ाना चाहती है। पार्लियामेंटरी कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी (संसदीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति) की ओर से एक रिपोर्ट शाया की गई थी जिस का कि मैं प्रेज़ीडेंट (अध्यक्ष) था। जिस के अन्दर हम ने साबित कर दिया था कि दरअस्ल देश में गल्ले की कमी नहीं है। हमारे देश में कई किस्म के गल्ले पैदा होते हैं जिस की काश्त करीब ५० लाख एकड़ भूमि में की जाती है। उत्तर प्रदेश में इतना मटर पैदा होता है कि कहा नहीं जाता और उस को लोग गल्ले के तौर पर खाते हैं। किसी तरह से और भी दूसरे अनाज वहां पर और दूसरे प्रान्तों में होते हैं। मद्रास में टेपिओका होता है और मंडरवा होता है। मेरे ज़िले में चना बहुत होता है मगर उस को वह सीरियल (खाद्यान्न) के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं और चीज़ों में भी वह काम में लाते हैं। मगर वह सब अनाज सीरियल में नहीं गिना जाता है। इसलिये अगर यह सब सीरियल में शुमार होते गल्ले की तादाद हमारी ज़रूरत से कम नहीं है। स्माल मिलेट (छोटा बाजरा) के ठीक ऐदादों शुमार (आंकड़े) नहीं हैं। कैसे ऐदादों एक दिन में पैदा हो सकते हैं। बराबर पचासों बरस तक स्टैटिस्टिकल रैकार्ड (समंक अभिलेख) हो तो यह ठीक मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ने नया रैकार्ड बनाया है, उस के ऐदादों शुमार आ रहेहैं। लेकिन मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बनते बनते वक्त लगेगा । पिछले स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं । इसलिये हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते । इस में हमारा क्या क़सूर है । इस का इलाज भी क्या है । इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हम को खुशी है कि आज डिकंट्रोल की तरफ़ राजा जी ने क़दम उठाया और मुझ को उम्मीद है कि आइन्दा सारे देश में डिकंट्रोल हो जायेगा । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस कंट्रोल की वजह से जितनी लोअर मिडिल क्लास (निम्न मध्य वर्ग) थी वह तबाह हो गयी थी । बेचारे वह दूकानदार जो बेजुबान हैं, जिन के वास्ते कोई शख्स अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है उन की रोज़ी खत्म हो गई थी । ज़मींदार, जिन की हालत तो किसी कदर अच्छी थी, महसूस करते थे कि हमें इनीशियेटिव (साहस) नहीं है । मेरी पैदावार जो मैं अपने खेत में पैदा करता हूं उसे गवर्नमेंट प्रोक्योर (समाहार) कर के ले जाती है । और यह गवर्नमेंट के जो और एम्प्लाइज (कर्मचारी) थे यह रोज गवर्नमेंट को गालियां देते थे । जनाब वाला, पंजाब के अन्दर जो गेहूं पैदा करने वाले हैं उन को तो गेहूं मिलता था १६ रुपये मन के हिसाब से और बम्बई के अन्दर मैरीन ड्राइव पर रहन वाले और यहां चांदनी चौक में रहने वालों को सस्ता अनाज मिलता था । जब कि गेहूं जो पंजाब से आता था वह यहां दिल्ली में ११ रुपये मन मिलता था और पंजाब के अन्दर १६ रुपये मन मिलता था । दिल्ली में ११ और पंजाब में १६, यह सबसिडी (सहायता) देने में कहां का इंसाफ़ था । किस के वास्ते यह कंट्रोल था ? मैं निहायत खुश हूं कि डिकंट्रोल की तरफ़ कदम उठाया गया । हालांकि यह बहुत जल्द नहीं उठाया गया है, लेकिन आज साबित हो गया कि डिकंट्रोल की कितनी ज़रूरत है ।

जनाब वाला, गवर्नमेंट की दो गलतियां थीं । एक तो यह कि हर एक फैडेरेशन (संघ) के कांस्टीट्यूशन (संविधान) में दर्ज है कि जो स्टेट्स (राज्य) हैं वह ज़िम्मेदार हैं गल्ला पैदा करने के लिये और लोकल पापुलेशन (स्थानीय जनसंख्या) के वास्ते अनाज पैदा करने के लिये । हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बड़ी मेहरबानी कर के यह जिम्मेदारी ले ली और स्टेट्स के मिनिस्टर साहबान आकर यहां ज़ोर देने लगे कि हमारे पास गल्ले की कमी है, हमें इतना गल्ला और चाहिये, हम अपनी डिमांड (मांग) कम नहीं कर सकते । सैंट्रल गवर्नमेंट ने उन के दबाव से बाहिर से गल्ला मंगवा लिया यही हालत होती रही । पिछली मर्तबा ८ मिलियन टन अनाज की डिमांड आ गयी । लेकिन जब यह कह दिया गया कि सबसिडी मौकूफ (समाप्त) तो एक दम वह डिमांड ४ मिलियन टन पर आ गई । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को चाहिये था कि सारी स्टेट्स को कह देती कि हम इस बारे में जिम्मेदारी नहीं लेते । हमारे कांस्टीट्यूशन में जो ३६९ दफा है, उस में हमारा कानकरेंट (एकसाथ) अख्तिया है, लेकिन यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की ज़िम्मेवारी नहीं थी । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ख्वामख्वाह अपने ऊपर इस की ज़िम्मेवारी ले ली, एक आफ़त मोल ले ली । इस वास्ते सारी स्टेट्स ने अपनी ज़िम्मेवारी महसूस नहीं की और इस वजह से यह हालत हुई । हमारी ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) शुरू हुआ लेकिन इस के चार चांद लग जाते अगर हर एक स्टेट में यह फिजा पैदा हो जाती कि गल्ले का पैदा करना स्टेट्स व काश्तकारों का फ़र्ज़ है ।

आज क्या सूरत मुल्क के अन्दर है । गवर्नमेन्ट के ख़ज़ाने में, गवर्नमेन्ट के अनाज के ख़ज़ाने में आज ३७ लाख टन ग़ल्ला पड़ा हुआ है । फ़ाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है

कि एक मिलियन यानी १० लाख टन ग़ल्ला हमारे पास रहना चाहिये, ताकि कहीं ग़ल्ले की क़ीमत ज्यादा हो जाय तो हम ग़ल्ला भेज सकें। आज गवर्नमेन्ट के पास ३७ लाख टन ग़ल्ला है। इस के अलावा आज प्राविन्सेज़ में इतना प्रोक्योरमेंट (समाहार) होता है कि सिवाय बंगाल और बम्बई के कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिस के अन्दर प्रोक्योरमेंट इतना ज्यादा न हो रहा हो कि वहां उन को मुश्किल हो रही है कि इस अनाज को कहां रखेंगे। जनाब वाला, आज गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट की क़ीमत ज्यादा है, उस क़ीमत से बहुत ज्यादा है जो कि मार्केट (मंडी) के अन्दर है। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि अब वक्त आ गया, अब टाइड (अवसर) आ गया है। हमारे ४०० करोड़ के बजट में से २०० करोड़ आर्मी (सेना) खा जाय, तो कैसे यहां हवाई जहाज़ बनेंगे और कैसे हमारे मुल्क में और काम होंगे। कैसे हमारे यहां तालीम बढ़ेगी और कैसे और चीज़ बढ़ेगी। इसी तरह हालत रही तो हम ख़त्म हो जायेंगे। इसलिये मुझे ख़ुशी है कि गवर्नमेन्ट ने यह क़दम उठाया। गवर्नमेन्ट को इस टाइड से फ़ायदा उठाना चाहिये। आज हिन्दुस्तान में ही क्या दुनिया के अन्दर टाइड (लहर) आ गया है। लड़ाई की वजह से जो हालत पैदा हुई थी वह अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे इस का डर नहीं है अगर हमें थोड़ा सा ग़ल्ला बाहर से मंगाना पड़े। दस लाख टन चावल आयन्दा हम इम्पोर्ट (आयात) करते रहें तो मैं इसका मुख़ालिफ़ नहीं हूं, क्योंकि हम आइल सीड्स (तेल के बीज) दूसरे मुल्कों को देते हैं। हम क्यों न उन से चावल लें। लेकिन आयन्दा से हमारे यहां दस लाख टन चावल के अलावा इस मुल्क के अन्दर कोई और इम्पोर्ट नहीं होगा और अनाज का एक कण भी हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है।

आप एक मिनट के वास्ते यह देखें कि आप यह डिकंट्रोल करेंगे तो क्या होगा। आज गवर्नमेन्ट सिर्फ़ कंट्रोल के इन्तज़ामात पर दस करोड़ रुपये ख़र्च कर रही है और अकेले उत्तर प्रदेश में इसके अलावा नौ करोड़ रुपया ख़र्च होता है। फिर सबसिडी पर ३० करोड़ रुपया ख़र्च होता था। यह नुक़सान किसको पहुंचता है। यह बेचारे उस ग़रीब शख़्स को पहुंचता है जो अनाज पैदा करता है। जनाब वाला, वह कंट्रोल उन लोगों के नाम पर रखा गया जिन को इस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अरबन पापुलेशन (नागरिक जनसंख्या) को आप ग़ल्ला देते हैं, रूरल पापुलेशन (ग्रामीण जनसंख्या) तो ऐसे ही है, उस को आप ग़ल्ला व दूसरी चीज़ें नहीं देते, वह तो शिकायत ही करते रहते हैं। तो अदब से मेरी गुज़ारिश यह है कि लड़ाई के ज़माने में तो यह कंट्रोल ठीक हो सकता है लेकिन अब नहीं है। एक छोटे से मुल्क में, जैसे कि इंगलिस्तान में तो यह चल सकता है जहां कि और तरह की पापुलेशन है। लेकिन मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि यहां सब भाई दिल पर हाथ रख कर मुझे बतायें कि कितने ऐसे हैं जिन्हों ने ग़ल्ले के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में ब्लैक मार-केटिंग न की हो, जिन्हों ने ब्लैक मारकेट (काले बाज़ार) में ग़ल्ला न ख़रीदा हो। इसलिये ऐसे हालत के अन्दर नामुमकिन है कि कामयाबी हो सके। इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि आप डिकंट्रोल करें। जो ऐसे इलाक़े हैं कि जहां कमी है उनको आप जो सरप्लस एरियाज़ (आधिक्य क्षेत्र) हैं उन से ग़ल्ला ले कर दें। और कुछ अर्से के लिये रीजिनल कंट्रोल से काम ले लें। मैं नहीं चाहता कि एकदम डिकंट्रोल कर के इस देश में कनफ्यूज़न (आपाधापी) पैदा किया जावे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक मैं चाहता हूं कि काशन (सावधानी) से हम चलें, हम आहिस्तगी से चलें। हम ने क़दम डिकंट्रोल की तरफ़ उठाया है और मैं चाहता हूं कि सारे देश में डिकंट्रोल कर दिया जाय। लेकिन इस तरह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

से नहीं कि किसी जगह की इकानामी (अर्थ-नीति) को हम डिस्टर्ब (बिगाड़) कर दें। अगर कहीं ग़ल्ले की कमी हो तो हमें वहां ग़ल्ला पहुंचाना होगा।

ग्रो मोर फूड के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। इसके मुताल्लिक़ मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि शायद १५-२० फ़ी सदी रुपया इस में ज़ाया हुआ हो तो हुआ हो इस से ज्यादा नहीं। मुझे एक कमेटी में बैठने का मौका मिला और मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि बहुत सी ख़राबियां जो ग्रो मोर फूड के बारे में हूई बताई जाती हैं वह सब बिल्कुल ग़लत हैं। तहक़ीक़ात (जांच) से साबित हो गया है कि यह रुपया इस तरह से ज़ाया नहीं हुआ जैसा कि लोग समझते हैं। अभी मेरे दोस्त केलप्पन साहब ने कुछ फ़िगर्स पढ़ कर सुनाये कि गवर्नमेन्ट का इतना ग़ल्ला बढ़ा। इस में कोई शक नहीं कि ग़ल्ले में बढ़ोत्तरी हुई। कमी अब नहीं है और बढ़ोत्तरी ग्रो मोर फूड से हुई है। अब इस में कोई शक नहीं है कि ऐसी हालत आ गई है कि जिस के अन्दर हम सैल्फ सफिशियेन्ट (आत्मनिर्भर) हैं, इस ख्याल से कि कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रीशनल (पोषण सम्बन्धी) स्टैण्डर्ड बहुत छोटा है। दुनिया में तीन हज़ार कैलोरीज़ तक लोग खाते हैं और यहां हिन्दुस्तान में आदमी को हज़ार बारह सौ कैलोरीज़ पर गुज़ारा करना पड़ता है। बात क्या है? मैं जनाब की इजाज़त से एक मिनट के लिये दूध के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूं। दूध एक प्रोटेक्टिव फूड (संरक्षक खाद्य) है, जिस की नदियां इस देश में बहा करती थीं। हमारे मुल्क से जो आदमी बाहर गये हैं वे जानते हैं कि स्वीडन में, डेनमार्क में और इंगलैन्ड में, हर एक लड़के और लड़की को, कोई भी हो, उस को स्कूल में सरकार की तरफ़ से मुफ्त दूध मिलता है। मैं चाहता हूं कि यह आइडियल (आदर्श) हमारे सामने हो कि हर एक स्कूल गोइंग एज के लड़के छात्र को और लड़की को १६ औंस दूध मिले। दूध मार्केटिंग रिपोर्ट (दुग्ध मंडी प्रतिवेदन) में लिखा है कि इस देश के अन्दर १६ फी सदी ख़ानदान ऐसे हैं कि जिन को दूध देखने को नसीब नहीं होता। यह इतना अभागा मुल्क है कि जिस के अन्दर गौ की परस्तिश (पूजा) होती है फिर भी १६ फ़ी सदी ख़ानदान को दूध नसीब नहीं होता। हमारे यहां गायें ११ छटांक रोज़ के औसत से दूध देती हैं और डेनमार्क में साढ़े ग्यारह सेर फ़ी रोज़ के हिसाब से दूध देती हैं। (**एक आवाज़**: हरियाने में क्या हाल है?) मेरे लायक़ दोस्त मुझ से हरियाना की हालत पूछते हैं। मैं आप से अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं, मैं रोकर आंसू बहा कर कहता हूं कि आज हरियाना के अन्दर यह हालत है कि हिसार के अन्दर हज़ारों गायें मर रही हैं और गवर्नमेन्ट ने उन की वह परवाह नहीं की जो करनी चाहिये थी। जनाब वाला, गवर्नमेन्ट ने जहां ६५ करोड़ रुपया ग्रो मोर फूड पर ख़र्च किया वहां सिर्फ़ पिछले साल में की विलेज स्कीम (ग्राम योजना) पर सिर्फ़ ६ लाख रुपया ख़र्च किया। मैं अदब से फूड मिनिस्टर साहब की ख़िदमत में अर्ज़ करूंगा कि अगर आप आयन्दा इस देश में अच्छे न्युट्रीशनल स्टेंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके दूध की पैदावार को बढ़ाइये और गौओं की तरफ़ ज्यादा ध्यान दीजिये।

ज़िला हिसार में चन्द वर्ष हुए जब वहां की गायें १०-१२ सेर प्रति दिन दूध देती थीं। आज गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि दूध वहां पहले से बहुत कम पैदा होता है और यह दूध की कमी वाक़े होना नेशनल डिज़ास्टर (राष्ट्र की बरबादी) है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ को न समझना

चाहे, तो उस की मर्ज़ी है। जनाब वाला, आज हालत क्या है। सन् १९३५ में एक आदमी का दूध का औसत रोज़ाना इस्तेमाल ७ आऊंस था, जो सन् १९४० में घट कर ५.४४ हो गया और अब सन् १९५२ में दूध की इतनी कमी वाक़े हुई कि वह ४.७ रह गया है जिस के मानी यह हैं कि इस देश के अन्दर दूसरे देशों की अपेक्षा निरन्तर दूध की कमी होती जाती है और यह चीज़ बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली है।

जनाब वाला, जिस ज़िले से मैं आता हूं वहां के ग़रीब लोग सीरियल में या तो मोटा अनाज खाते हैं या छाछ पीते हैं, लेकिन आप को सुन कर तकलीफ़ होगी कि अब हमारे ज़िले में छाछ की कमी है क्योंकि घी कम होता है, इसलिये छाछ की कमी है। सन् १९३५ में इस देश के अन्दर २ करोड़ ४० लाख मन घी पेदा होने लगा, तो इस क़दर कमी घी की पैदावार में पांच साल में हो गई और १९४५ में यह घी की कमी और ज्यादा हो गई और अब कुल १ करोड़ ११ लाख मन घी इस देश में पैदा होता है और ज्यों ज्यों घी कम होता गया छाछ की भी कमी इस देश में होती गई। अगर इस देश में गांव वालों की ख़ुराक का यही हाल रहा, तो मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह हालत ऐसी होगी कि जिस को गवर्नमेन्ट को सोचना होगा। मैं उन बहादुर लोगों की जगह से आता हूं जहां के लोगों ने दूसरे मुल्कों में हिन्दुस्तान का सिक्का बिठाया और दूसरे मुल्कों में जाकर विदेशी फ़ौजों के दांत खट्टे किये हैं, आज गवर्नमेन्ट अपने फ़रायज़ (कर्तव्यों) को अदा नहीं कर सकती। इस वास्ते मैं अदब से गवर्नमेन्ट की ख़िदमत में अर्ज़ करूंगा कि वह चाहे और मांगों को माने या न माने, लेकिन गवर्नमेन्ट को जहां तक दूध और घी का सवाल है, उस की तरफ़ ख़ास तवज्जह देनी चाहिये, और अगर वह उस की तरफ़ तवज्जह नहीं देती, तो वह अपने फ़रायज़ को अदा नहीं करेगी जो उस पर क़ायम ह। आख़िर में मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि जनाब वाला ने मुझे दो तीन मिनट ज्यादा टाइम अता फ़रमाया (समय देने की कृपा की)।

श्री ईश्वर रेड्डी: हमारे देश की भूमि बहुत ही समृद्ध है, और यहां के प्राकृतिक संसाधन अनन्त हैं; इतना ही नहीं, यहां का जनबल अतुल्य है और यहां की तीन चौथाई आबादी कृषक है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद यहां सदा अनाज का अभाव रहता है और अकाल अपने पर फैलाये रहता है। ब्रिटिश राज्य में यही स्थिति थी और कांग्रेस राज्य में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। और, अब इस अभाव के उपचार में हमारी सरकार ने बाहर से आयात करना आरम्भ किया। हम ने शायद ही कोई देश छोड़ा होगा। अरजनटाइना, आस्ट्रेलिया, कैनाडा और प्रायः अमरीका से हमने अनाज का आयात किया। केवल मजबूरी की स्थिति में हम ने रूस और चीन से अनाज का आयात किया, किन्तु बहुत ही कम मात्रा में। हम ने प्रायः अमरीका से आयात किया, और उस के परिणामस्वरूप हमें बहुत ऊंचे दाम देने पड़े और बहुत ऊंचे भाड़े से सदा ही दबना पड़ा। अब देखिये, कि अमरीको अपने ढोर-डंगरों पर ३ करोड़ टन गेहूं व्यय करते हैं यानी वहां के पशु, जिन में सुअर, मुर्गे आदि सम्मिलित हैं, वहां की भूमि से उपजा गेहूं खाते हैं, और वे ७० लाख टन तेल के स्थान पर उपयोग में लाते हैं। उन के इस अपव्यय से एक कृत्रिम अभाव बढ़ गया है। वे पिछड़े और परतंत्र देशों में दाम बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अभाव पैदा करने के लिये ही इतना अपव्यय करते हैं। और इतना अपव्यय करने के बाद वे हमें मिलो भेंट करते हैं। देखिये रद्दी प्रकार का उपोत्पाद मिलो भारतीयों को दिया जाता है और बढ़िया गेहूं वहां के ढोर-डंगरों को खिलाया जाता है।

[श्री ईश्वर रेड्डी]

इस के बाद हम ने अमरीका में ही गेहूं ख़रीद कर उन से एक प्रकार का ऋण लिया, और इस प्रकार उस गेहूं से जो कुछ भी प्राप्ति होगी वह भारत-अमरीकी टैकनिकल सहयोग करार के अन्तर्गत वहां की उस निधि में ही चली जायेगी । इस प्रकार हमें बहुत से अमरीकियों को इस क़रार के अन्तर्गत भारत में रखना पड़ेगा, जिस से अपव्यय में और भी वृद्धि होगी । तो इस तरह ऋण के बढ़ने के साथ-साथ हम अमरीकियों को यहां की राजनीतिक स्थिति और यहां के जीवन के विविध पहलुओं में हस्तक्षेप करने का न्यौता दे रहे हैं ।

अपने इस देश के जाज्वल्यमान् साम्राज्य-शाही विरोधी भूतकाल को और अब वर्तमान आवश्यकताओं एवं हितों को दृष्टि में रखते हुए, हमें यही दीख रहा है कि हमें न केवल अन्न की आवश्यकता है बल्कि मूल मशीनों की । और इधर से अमरीका अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा रहा है, तो मैं सरकार से इस बात की अपील करता हूं कि वह अमरीका के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखे, और रूस तथा चीन--यानी पूर्वी देशों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत शुरु करे, ताकि खाद्यान्न का अंतर्राष्ट्रीय संचय हो, और सभी पिछड़े देशों को सस्ते दामों पर अनाज मिल सके । देखने का विषय है कि किस तरह रूस ने अपने पड़ौसी चीन को पूरी पूरी सहायता दी । चीन से लौटे हुए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों से ही पूछ लीजिये कि किस तरह रूसियों ने बिना किन्हीं शर्तों के चीन की सहायता की ।

अब आप सरकार की समाहार नीति को लीजिये । इस में भी उसे घोर असफलता मिली है । कभी भी वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी । भला, क्यों? यह इसी-लिये कि वह ज़मींदारों और भूस्वामियों की बड़ी बड़ी राशियों को छती तक नहीं और बेचारे निर्धन कृषकों का आख़िरी दाना उड़ा ले जाती है । इस तरह भारत के निर्धन कृषक को साहूकार के पंजे में रहना पड़ता है और काले बाज़ार को बढ़ावा मिलता है । सौ बात की एक बात यह है कि सरकार ने भूस्वामी को इस बात की बिल्कुल आज़ादी दी है कि वह चोरबाज़ारियों को अनाज बेचता रहे, और इधर से निर्धन कृषकों को वह हमेशा लूटती रहती है जिस से उन्हें काले बाज़ार का मुंह ताकना पड़ता है ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : श्रीमान् जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य कोई लिखा हुआ बयान पढ़ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो कभी कभी अपने लिखे हुये बयान को देखे बिना, ज़बानी बोलते हैं । माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री ईश्वर रेड्डी : यदि समाहार-नीति इसी प्रकार की रही तो लाखों मनुष्यों को भुखमरी से कैसे बचाया जा सकता है, और किस प्रकार उन्हें अधिक अन्न उपजाने के लिये विवश किया जा सकता है ? आप किसानों से दाना-दाना उड़ा ले जाते हैं लेकिन उन्हें उन की आवश्यकताओं को नियंत्रित दामों पर नहीं देते । आप को इस समाहार नीति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा । ज़िमींदारों और भू-स्वामियों से सभी फालतू अनाज लेना पड़ेगा और निर्धन कृषकों को सस्ते दामों पर अनाज देना पड़ेगा, मध्यवर्ग तथा निम्न वर्ग के कृषकों से सभी समाहार रोकना पड़ेगा और किसान का लगान भी बन्द करना पड़ेगा; इतना ही नहीं, आपको भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी और काला बाज़ार करने वालों के विरुद्ध बहुत कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी । मैं १९४५ के

जवाहरलाल नेहरू के समान क्रूर नहीं बनना चाहता, और यह नहीं चाहता कि काला बाज़ार करने वाले उन व्यक्तियों को लटकाया जाय, हां इतना तो है कि उन्हें कारावास के रूप में बहुत कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये ।

इसी तरह सरकार ने राशनिंग का क्षेत्र बहुत ही सीमित कर दिया है । ब्रिटिश राज्य में भी राशनिंग के क्षेत्र में शनैः शनैः वृद्धि हुई थी, और १९४४ से १९४७ तक की अवधि में राशनिंग का क्षेत्र बहुत हद तक बढ़ गया था, किन्तु कांग्रेस राज्य में विनियंत्रित क्षेत्र में वृद्धि होती गई । इन दिनों दो-तिहाई जन-संख्या राशनिंग रहित है, और राशनिंग के तोड़ दिये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता, मध्य वर्ग तथा अन्य निर्धन जनता भुखमरी की ओर क़दम बढ़ा रही है । मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सारे भारत में अनुविहित राशनिंग को लागू किया जाय और चोरी-छिपी खाद्यान्न लाने-लेजाने, तथा अन्य विभागीय भ्रष्टाचार को पूर्णतया रोका जाय ।

खाद्य सहायता को भी वापिस नहीं लिया जाना चाहिये । इस के लिये बम्बई में काम-करों की हड़ताल, समाजवादियों का सत्याग्रह तथा कलकत्ता में हुए बड़े बड़े प्रदर्शन पर्याप्त उदाहरण हैं कि लोग इस बात से कितने चिढ़े हुए हैं ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अमरीका और भारत के बीच किये गये क़रार के अनुसार हमें अमरीकी टैकनिकल कर्मचारी वर्ग पर भी अपव्यय करना पड़ेगा, और वह व्यय इसी गेहूं से प्राप्त किये जाने वाले विक्रय-मूल्य से पूरा करना होगा । तो इस तरह भारतीय जनता को भुखमरी की ओर ढकेल कर अमरीका की तिजौरियां भरी जा रही हैं, अतः मैं यह मांग करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र खाद्य सहायता को फिर से दिया जाय ।

आजकल सरकार की विनियंत्रण नीति पर बहुत गरम बहस हो रही है । इन दिनों, जब कि चारों ओर से अभाव ही अभाव है, विनियंत्रण बहुत ही हानिकर है । और लीजिये, कि आप सब की स्वीकृति से मद्रास में अनाज का विनियंत्रण किया जा चुका है । आखिर, आपने विनियंत्रण के लिये यह कौन सी अवधि चुनी ? अभी छः महीने बाद फसलें काटी जायेंगी, और आज ही से सारी की सारी फसलें चोर बाज़ारियों के हाथ में पहुंच जायेंगी । खाद्य मंत्री मद्रास में दिये गये विनियंत्रण से संतुष्ट नहीं हुए हैं, अतः वह देश के प्रत्येक भाग का दौरा करके वहां की सरकारों को श्री सी० राजगोपालाचार्य की नीति पर चलाना चाहते हैं—और मैं यह भी बता दूं कि मद्रास के मुख्य मंत्री किसी दूर के उद्देश्य से ही इतनी बुरी तरह से विनियंत्रण-नीति का अनुसरण कर रहे हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई) : वह दूर का उद्देश्य क्या है ?

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : श्रीमान्, क्या सदन में अनुपस्थित व्यक्ति पर इस प्रकार का आरोप लगाना उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रान्तीय सरकार के आचरण की ओर इन शब्दों में निर्देश करना न केवल ग़लत है अपितु बिल्कुल अनुचित है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हमें तो कई बार उन प्रान्तीय प्रशासनों की जो केन्द्रीय सरकार के आधीन हैं, समालोचना करनी पड़ती है, और यदि इस प्रकार की पाबन्दी लगाई गई तो हम समालोचना नहीं कर सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, किन्तु माननीय सदस्य को यह ध्यान होना चाहिये कि यह संघीय संविधान है—एकल राज्य नहीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

कई ऐसे विषय हैं जो प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में हैं, और ऐसे भी अन्य विषय हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार में हैं किन्तु ऐसे भी विषय हैं जिन पर दोनों को अधिकार है। जहां कहीं भी इस प्रकार की बात हो कि प्रान्तीय सरकार पर आरोप लगाया जाय, वहां आप केन्द्रीय सरकार से यदि सम्बद्ध प्रान्तीय सरकार एक अभिकरण के रूप में काम करती हो, उस की पूछताछ कर सकते हैं। जिन बातों पर प्रान्तीय अथवा राज्य सरकारों का ही पूर्ण अधिकार हो, वहां इस प्रकार का कोई भी निर्देश नहीं किया जा सकता ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि वे मामले केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो भिन्न बात है।

श्री एस० एस० मोरे : अन्न ही को लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कल्पनात्मक विनिर्देश देना तो मेरा काम नहीं है। जहां तक प्रान्तीय सरकार द्वारा किये जाने वाले विनियंत्रण तथा कुत्सित उद्देश्य का सम्बन्ध है यह निर्देश ही बिल्कुल गलत है। और 'कुत्सित उद्देश्य' तो और भी बुरे उद्देश्य हैं। माननीय सदस्य को भविष्य में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिये। प्रान्तीय सरकारों तथा प्रान्तीय मंत्रियों की ओर निर्देश किया जाना बिल्कुल असंगत है, हां तभी ऐसा किया जा सकता है जब वे किसी विशेष विभाग में केन्द्रीय सरकार के अभिकर्त्ताओं के रूप में काम करें।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। (**अन्तर्बाधा**) क्या आपका यही विनिर्देश है कि हमें भविष्य में इस सदन में राज्य सरकारों के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई भी बात नहीं करनी चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक; इस सदन में राज्य सरकारों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जायेगा; हां तभी इस प्रकार की टिप्पणी की जा सकेगी जब वे केन्द्रीय सरकार के अभिकर्त्ताओं के रूप में काम करते हों। माननीय सदस्य कृपया नियमों का पुनरावलोकन करें। माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री ईश्वर रेड्डी : इन अन्तर्बाधाओं से ही मेरा समय समाप्त हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने लेख्यों को सविस्तार रूप से पढ़ा है और अधिक समय लिया है।

श्री ईश्वर रेड्डी : केवल और एक मिनट दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : और समय नहीं मिलेगा।

डा० एन० बी० खरे : उपवाचस्पति महोदय, मुझे इस विषय में कुछ बहुत बोलना नहीं है। मेरे बायें तरफ़ जो महानुभाव बैठे थे उन्होंने इस संसद् को एक आह्वान दिया है कि क्या यहां कोई भी शख्स ऐसा है जो छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि मैंने कोई चीज़ ब्लैक मार्केट (काले बाज़ार) से नहीं ख़रीदी। मैं ऐसा शख्स हूं जो छाती पर हाथ रख कर कह सकता हूं कि किसी भी वक्त में ने अनाज, सीमेन्ट या शक्कर के लिये ब्लैक मार्केट का आश्रय नहीं लिया। मैंने यह चैलेन्ज (चुनौती) स्वीकार किया।

एक माननीय सदस्य : किस ने यह चैलेन्ज दिया ?

डा० एन० बी० खरे: He has given the challenge You are, perhaps, deaf. उन्होंने चुनौती दी आप शायद सुन नहीं सके । महाशय, जिस पक्ष का मैं हूं उस पक्ष ने गये तीन साल से विनियंत्रण के पक्ष में प्रस्ताव पास किया हुआ है । लेकिन सरकार की ऐसी मर्ज़ी थी कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया । मैं समझता हूं कि नियंत्रण से कांग्रेस के जो पिछलग्गू हैं उन का ही फ़ायदा हुआ करता है । शायद इस के लिये ही तवज्जह न दी हो। लेकिन चाहे देर से ही सही और चाहे थोड़ी सी ही क्यों न हो गवर्नमेंट को अक्ल आ गई, इसलिये मैं इस गवर्नमेंट को बधाई देता हूं ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (गया पश्चिम) : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सदन के समक्ष तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करके हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि देश में किसी भी प्रकार का घाटा नहीं। उन्होंने खाद्य मंत्री तथा मद्रास के मुख्य मंत्री को विनियंत्रण पर बधाई भी दी है । मैं उन की इस बात से सहमत हूं किन्तु मुझे अभी भी सन्देह है कि हमारा देश खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं है। मेरे पास आंकड़े नहीं किन्तु प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर मुझे यह कहने का साहस होता है कि १९३८-३९ में भारत संघ की १६ करोड़ ७१ लाख एकड़ भूमि में कृषि हुई थी और ४ करोड़ ६२ लाख टन का उत्पादन हुआ था। इसके पश्चात् कृषि में वृद्धि होती गई और १९५०-५१ में १९ करोड़ ३१ लाख एकड़ भूमि में कृषि हुई यद्यपि ४ करोड़ १७ लाख टन का कुल उत्पादन हुआ। इस तरह जहां अधिक भूमि में कृषि हुई वहां औसत कृषि-उत्पादन घट गया। इस से मैं एक असमंजस में पड़ा हूं कि किन आंकड़ों पर विश्वास करूं ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व) : आप आंकड़ों पर क़तई विश्वास न कीजिये ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : बार बार कहा गया है कि सरकारी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते, किन्तु मैं समझता हूं कि उन आंकड़ों में थोड़ा बहुत सत्य तो रहता है । कुछ भी हो हमारे उत्पादन में बहुत कमी पड़ गई है । मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कृषि के उत्पादन के आंकड़ों का ठीक अनुपात ध्यान में नहीं रखा; अस्तु मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इस काम के लिये खाद्य मंत्री ही सब से अधिक समर्थ हैं क्योंकि वे देश भर का दौरा कर चुके हैं, और वास्तविक स्थिति से परिचित हैं ।

योजना आयोग ने भी इस समस्या पर विचार किया है। उन का कहना है कि देश को लगभग ३० लाख टन खाद्य की आवश्यकता है, और उन्होंने १९५६ तक लक्ष्य-पूर्ति निर्धारित की है, और वे समझते हैं कि तब तक यहां की जनसंख्या में ५ करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि होगी और उत्पादन भी पूरा हो सकेगा मैं खाद्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उत्पादन के विषय में बहुत ही सतर्क और सावधान रहना चाहिये, और नीति में तदनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिये ।

हम अब के तो पहली बार खाद्यान्न का आयात नहीं कर रहे हैं विभाजन से पहले भी हम अनाज का आयात किया करते थे। इधर कुछ वर्षों से स्थिति बिगड़ चुकी है, और सारे संसार का ध्यान इस बात की ओर केन्द्रित हुआ है कि यह कैसे हुआ। किन्तु लार्ड बायड़ ऑर जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन और जनसंख्या में समान अनुपात से वृद्धि नहीं हो पा रही है। हमें अब यह प्रयत्न करना

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

है कि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से ही हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हो। मैं कोई कट्टरपन्थी या सनकी व्यक्ति नहीं हूं जो आप को यह सुझाव दूं कि नियंत्रण रखा जाये। यदि नियंत्रण हटाने से स्थिति ठीक हो सकती हो तो आप निस्सन्देह नियंत्रण हटा लीजिये, और इस विषय में माननीय मंत्री ने भी यही कहा है कि नियंत्रण तो उद्देश्यपूर्ति का एक साधन मात्र है, यह अपने में कोई उद्देश्य नहीं है। हां, इतना तो मैं निवेदन करूंगा कि खाद्य की दीर्घकालीन मांग को दृष्टि में रखा जाना चाहिये। हम श्री किदवाई से इस बात की भी आशा करते हैं कि वह इस प्रकार की खाद्य नीति का निर्माण करेंगे जिस से जनता की सारी शिकायतें दूर हो जायेंगी, और यह भी कि उस नीति में वह निर्धन किसान को ही केन्द्र माना जायेगा, और उसी की भलाई के लिये सर्वप्रथम विचार किया जायेगा अन्यथा, इस नीति में आप को सफलता नहीं मिल सकेगी।

अब आप 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की गतिविधियो को देख लीजिये। श्री के० एम० मुन्शी द्वारा नियुक्त की गई समिति कुछ दिनों बाद अपनी सिफ़ारिशें भेज देगी, किन्तु मुझे जो कुछ भी पता चला है उस के आधार पर मैं यही कहूंगा कि यह आन्दोलन असफल रहा है। इस में सरकार का ही दोष नहीं, कुछ अन्य बातें भी हैं, किन्तु मैं इतना कह देना चाहता हूं कि कृषकों और किसानों की अवहेलना करने से ही यह आन्दोलन असफ़ल रहा है।

अब इस समय यह स्थिति है कि निर्धन कृषिक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती जिस से वह अपना कृषि का काम चला सके। उस की खेतें भी इतनी अनार्थिक, अमितव्ययी और छोटी हैं कि उन पर कोई भी बढ़िया से बढ़िया योजना सफल नहीं हो सकती अब बतलाइये कि क्या एक निर्धन कृषक ट्रैक्टर खरीद सकता है, और उसके छोटे छोटे खेतों को उस ट्रैक्टर से लाभ भी क्या हो सकता है। आप को चाहिये कि उन निर्धन कृषकों में विश्वास पैदा करें, और उनकी मनोवृत्ति में इस प्रकार का परिवर्तन करें, कि उन में एक जागृति आ जाय ताकि वे सरकार की इन भेंटों को सहर्ष स्वीकार करके उन से लाभान्वित हो सके, तभी आप की योजनायें सफल हो सकती हैं।

अभी उस दिन मेजर-जनरल शाह-नवाज़ ने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ घटनायें सुनाते हुये कहा कि वहां की फ़सलों को कुछ विशेष प्रकार की कृमियों से बड़ी भारी क्षति पहुंची। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें कुछ रसायन देने का वचन भी दिया किन्तु जब रासायनिक औषधियां देने का समय प्रस्तुत हुआ तो वहां की सरकार ने बताया कि वे औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। अब आप ही बताइये कि इस प्रकार का उपचार बताने से लाभ ही क्या है जो उपलब्ध नहीं हो। आप को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार निर्धन किसानों को सहायता पहुंचाई जा सकती है, किस प्रकार उन्हें अधिक कृषिसार मुहैया किये जा सकते हैं, आदि, आदि। और इस के लिये आप को उन की मनः स्थिति को परिवर्तित करना पड़ेगा ताकि वे इन बातों के लिये तैयार हो जायें।

श्रीमान्, पशुपालन की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं : क्योंकि इस पक्ष की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। हमारे देश में इस प्रकार के असंख्य पशु हैं जो केवल चारा खाते हैं, और कृषि को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाते, उनके लिये हमें अधिक चरागाहों की आवश्यकता

है। स्वयं मैं यह समझता हूं कि हमें बड़े पैमाने पर कृषि करनी पड़ेगी। इन दिनों जितनी भी भूमि में कृषि हो रही है, उसका संचय करना होगा, और कृषकों में इस प्रकार की अनुभूति का संचार करना होगा कि वे अपने सारे संसाधनों का संचय करें और सहकारी कृषि करें, तभी तो वे कृषि को मितव्ययी बना कर उस से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार के संचय के बाद ही वे कृषिसार खरीद सकते हैं, कृषि के अधिक अच्छे औजार, अच्छे बैल, और अन्य अच्छा सामान खरीद सकते हैं और समृद्ध बन सकते हैं। यदि आप उन में इस प्रकार की अनुभूति का संचार कर सकें तो आपकी दीर्घकालीन और स्थायी योजना सफल हो सकती है।

सरदार लालसिंह (फीरोजपुर-लुधियाना) : नियंत्रण के सम्बन्ध में मैं पंडित भार्गव से पूरा सहमत हूं। स्वयं मैं नियंत्रणों के पक्ष में नहीं किन्तु जब वे कहते हैं कि देश में खाद्य का अभाव नहीं, तो मुझे उन से असहमत होना पड़ता है। यदि खाद्य का अभाव न होता तो क्यों सरकार अनाज के आयात पर १,२०० करोड़ रुपये व्यय करती? इस से स्पष्ट होता है कि या तो खाद्य का अभाव है अथवा देश में प्रशासन की धांधली है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं ने बतलाया कि चावल और गेहूं की कमी तो है, किन्तु हमारे देश में मोटे चावलों की बहुतायत है।

सरदार लालसिंह: लोगों की कुछ आदत सी हो गई है कि वे विभाजन अथवा जनसंख्या में वृद्धि को खाद्याभाव का कारण बताते हैं। मेरी समझ में इस प्रकार की बात न्यूनाधिक रूप में, तथ्यों अथवा सरकार की अक्षमता को छिपाने के लिये कही जा रही है। कारण कुछ और ही हैं।

मैं ने अपने पिछले भाषण में भारतीय कृषि के कुछ तथ्यों का अनावरण करने के अतिरिक्त उस सरकारी रिपोर्ट की ओर निर्देश किया था जिस में यह बतलाया गया है कि खाद्य का उत्पादन ४ करोड़ ६० लाख टन से घटकर केवल ४ करोड़ २० लाख टन रह गया है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ करते समय, यानी आज से लगभग ८ साल पहले हम ने १६ लाख टन का उत्पादन किया था, और अब २५० करोड़ रुपय व्यय करने के बाद हमारा उत्पादन ५० लाख टन तक पहुंच गया है। मैं यह भी बतला चुका हूं कि हम ने खाद्यान्न के आयात पर १,२०० करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

स्पष्ट है कि यदि हम अनाज का आयात करते रहें तो हमें दीवालिया बनना होगा, और यदि हम आयात बन्द करें तो देश भर में अराजकता फैल जायेगी और हमारे सिर फोड़ दिये जायेंगे क्योंकि जनसाधारण खाद्याभाव को एक मामूली चीज नहीं समझता। अतः भले ही कुछ भी हो, हमें खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और यह एक ऐसा विषय है जो दलगत राजनीति से बहुत ऊंचा समझा जाना चाहिये। मैं श्री अचिन्त राम का कृतज्ञ हूं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें निष्पक्ष होकर इन चीजों पर विचार करना चाहिये।

लोग प्रायः पूछा करते हैं कि हम सचमुच इस निराशापूर्ण स्थिति में है कि भारत को अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम निश्चय ही स्थिति को ठीक कर सकते। खाद्य के सम्बन्ध में हम भारत को तभी आत्मनिर्भर बना सकते हैं जब हम इस समस्या

[सरदार लालसिंह]

को सक्रिय रूप से लें। संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति के पास एक एकड़ भूमि है यानी अन्य देशों की अपेक्षा यहां एक व्यक्ति के हिस्से में बहुत ही कम ज़मीन आती है किन्तु यदि विदेशी अपनी भूमि से अधिक से अधिक उपजा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उगा सकते। दूसरा यह कि अन्य देशों के मुकाबले में भारत में प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही कम है। तो इन दो कारणों से हम कभी भी अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। घाटा भले ही कुछ भी हो, पूरा किया जा सकता है। इस में कोई भी कठिनाई नहीं होती। और अब लीजिये कि हमारे पास ८ या ९ करोड़ एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। इस में कृषि की जा सकती है, किन्तु अभी इस भूमि का उद्धार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि इन दोनों बातों में सुधार हुआ तो इस समस्या को हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं आयेगी।

इन तथ्यों को देखते हुए भी यदि हम में से कई एक व्यक्ति निराश हो जाते हों तो उसका यही अभिप्राय है कि वे इस समस्या को सक्रिय रूप से सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते। हमें यथार्थ रूप से इन घटनाओं को देखना चाहिये और ऐसे साधन काम में लाने चाहिये जिन्हें प्रयोग में लाया जा सके। घिसी पिटी बातों को ले कर रह जाने से कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। हम अनेक प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में सुनते रहते हैं। कभी गर्भनिरोध का तो कभी और किसी बात का सुझाव दिया जाता है खैर, मैं उस के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

सामूहिक खेती करने की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। मैं सहकारिता के पक्ष में हूं, और इस क्षेत्र में काम भी कर चुका हूं। मैं स्वयं एक किसान हूं और लगभग २० हज़ार एकड़ भूमि में फैले एक सहकारी उद्यान का संस्थापक हूं। मैं ने ही पंजाब सहकारी फल विकास बोर्ड की स्थापना की थी; और मैं सहकारी संस्थाओं का बड़ा भारी समर्थक हूं। मुझे कृषि की सभी बातें मालूम हैं और मैं आप को बता सकता हूं कि किस तरह सफलता प्राप्त हो सकती है, और किस तरह नहीं हो सकती। मैं सदन में इस बात की घोषणा किये देता हूं कि जिस प्रकार की सहकारी अथवा सामुदायिक खेती इन लोगों की दृष्टि में है, वह बिल्कुल असफल रहेगी। अतः मैं माननीय मंत्री को इस बात के विषय में पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की कोई नई योजना आरम्भ करने से पहले इन सभी बातों पर भली भांति सोच विचार करें, अन्यथा इन से बड़ी भारी क्षति पहुंचेगी।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर): हम सब आप से सहमत हैं।

सरदार लालसिंह: मैं और भी सुझाव दूंगा। इस योजना के बनाने वाले सारे भारत में से कोई भी पांच गांव चुनें और पहले उन ही पर प्रयोग करें; उस के पश्चात् वे अन्य स्थानों पर यह योजना चलायें। यह एक और सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी सभी राज्यों के कृषि-संचालकों; कृषि-विशारदों और कृषि में दिलचस्पी लेने वालों की एक बैठक बुलायें, और उन्हीं से पूछें कि कहां तक यह योजना सफल हो सकती है? मैं जानता हूं कि उनका क्या निर्णय होगा। हमें उन व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिये जो कृषि-सम्बन्धी यथार्थ को भूल कर कागज़ी योजनायें बनाने में व्यस्त रहते हैं।

श्री शाहनवाज खां (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व) : माननीय सदस्य ने यह तो बतलाया है कि सामूहिक खेती सफल नहीं रहेगी किन्तु इस के कारण नहीं बतलाये हैं।

सरदार लाल सिंह : मैं सहर्ष कारण बतला सकता हूं यदि मुझे आधा घंटा मिले और यदि मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकूं तो सदन से बाहर चला जाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : हम नहीं चाहते कि आप चले जायें।

सरदार लाल सिंह : मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता और यह जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सत्य है आप 'न्यू चायना' पुस्तक के पृष्ट ३४ को खोल कर देख लीजिये कि उन्होंने सहकारिता के सिद्धांत पर कितना ज़ोर दिया है। और यह भी बताया गया है कि यदि कृषक को भूमि का स्वामी बनाया जाय तो सभी गुत्थियां हल हो जायेंगी। यहां, उद्योगीकरण को भी इस समस्या का एक सुझाव बताया गया है। यह है साम्यावादी चीन की धारणा, और हमारी सरकार अभी भी सोई पड़ी है। हमारी समस्या उद्योगीकरण से ही सुलझ सकती है, कृषकों को बढ़ाने से नहीं सुलझ सकती।

भूमि-उद्धार की समस्या भी हमारे सामने खड़ी है। अभी उस दिन हमारे माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि हम सभी पड़ती भूमि को संभालेंगे और उस का उद्धार करेंगे।

श्री किदवाई : कहां कहा था ?

सरदार लालसिंह : संसद् सदस्यों को भाषण देते समय। मैं चाहता हूं कि केवल सरकार ही नहीं अपितु निजी व्यक्ति भी भूमि-उद्धार करें, क्योंकि इस तरह सरकार और व्यक्तियों में एक होड़ सी लगेगी, और दोनों की कार्यक्षमता बढ़ जायेगी ; परिणामतः अधिक से अधिक भूमि का उद्धार हो सकेगा। आप कहा करते हैं कि इतनी भूमि का उद्धार हुआ। ठीक है, किन्तु किस मूल्य पर ? यदि आप हिसाब लगा कर देख लें तो आप को पता चलेगा कि यह बहुत ही ऊंची दर पड़ जाती है। मैं सरकार को निश्चय दिलाता हूं कि भूमि-उद्धार का यही काम यदि निजी रूप में व्यक्तियों को सौंपा जाता तो अधिक कार्य हुआ होता।

कृषि संबंधी सुधार करने वालों को इस बात से परेशानी हुई है कि वैयक्तिक भूमि खंडों का क्षेत्रफल निश्चित किया जाय। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं भूस्वामित्व विस्वेदारी, जागीरदारी आदि पद्धति का विरोध करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के भूस्वामी आदि परजीवी होते हैं, और समाज को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाते। किंतु इसके साथ ही साथ मैं कृषि का नवीनकरण करने के पक्ष में हूं। इस से संबद्ध व्यक्तियों का यह सुझाव है कि भूमि खंडों का क्षेत्रफ़ल ५० एकड़ तक निश्चित किया जाय। अब आप उन की नारे बाज़ी को छोड़कर इस प्रकार के सुझाव का प्रत्येक पहलू देख लीजिये :

(क) क्या खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ही इस सीमा का सुझाव दिया जाता है ? यदि ऐसी बात है तो उन व्यक्तियों के संबन्ध में आपने क्या सोच रखा है जो अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं ? क्या आप उन्हें इसीलिये भूमि से वंचित रखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ५० एकड़ से अधिक भूमिखंड है ?

(ख) क्या कृषि-विकास के लिये ही इस सीमा को निश्चित किया जा रहा है। यदि ऐसी बात है तो माननीय मंत्री एक ऐसी विशारद-समिति नियुक्त करें जो ५० एकड़ भूमिखंड पर आधुनीकरण या मशीनीकरण का प्रयोग करे। हां, मैं जानता हूं कि इतने

[सरदार लालसिंह]

छोटे भूमिखंड पर इस प्रकार का प्रयोग असफल रहेगा ।

(ग) क्या भूमि-उद्धार के लिये इस प्रकार का सीमा-निर्धारण सहायक हो सकता है ? भिन्न भिन्न मूल्यों की भूमि के लिये इस प्रकार का सीमा-निर्धारण ठीक नहीं है । मान लीजिये कि कोई व्यक्ति मंहगी से महंगी भूमि लेकर उसका उद्धार करे, और उसके बाद उस के समक्ष सरकार का यह आदेश प्रस्तुत हो : "श्रीमान् जी, आप केवल ५० एकड़ भूमि रख सकते हैं और बाकी सरकार के हिस्से में जायेगी ।" तो इसका यही अभिप्राय हुआ कि सरकार निजी रूप में व्यक्तियों के उद्यम या उत्साह द्वारा भूमि का उद्धार नहीं कराना चाहती ? यदि इन संभालने वाले व्यक्तियों को कृषि उद्धार नहीं सौंपा गया, तो फिर और कौन व्यक्ति यह काम कर लेगा ? क्या क्लर्क करेंगे ? क्या किसान करेंगे ? या क्या हमारी अक्षम, भ्रष्टाचारपूर्ण तथा उपचारभरी सरकार कर लेगी ? कौन करेगा ? क्या इस बात में देश का हित है कि लाखों-करोड़ों एकड़ भूमि पड़ती रखी जायेगी ?

(घ) और अन्त में, क्या "स्वामित्व संपन्न और स्वामित्वहीन" व्यक्तियों के बीच अन्तर समाप्त करने के लिये ही इस प्रकार का सीमा-निर्धारण प्रतिपादित किया जा रहा है ? यदि ऐसी बात है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ५० एकड़ भूमि का कुल मूल्य १५ से ३० हज़ार रुपये तक होगा । क्या सरकार यही चाहती है कि जन संख्या के ९०% से अधिक हमारे ग्रामीण भाई ३० हज़ार रुपये से अधिक के स्वामी न हो जायं जब कि इन ही के नागरिक भाई करोड़ों रुपयों के मालिक बन सकते हैं । क्या हमारी कांग्रेस सरकार लोगों से यही न्याय बरतना चाहती है । क्या सरकार इस प्रकार का कानून बनाने के लिये तैयार है कि शहरों में भी कोई व्यक्ति ३० हज़ार रुपये से अधिक की संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता है क्या सभी कारखाने, मिलें बैंक, मकान, जायदाद स्वामित्वहीन व्यक्तियों में बांटे जायेंगे ? स्वयं मैं इसी बात के पक्ष में हूं । जहां तक भी हो सके, हमें पूंजीवाद से बचना चाहिये, किंतु सरकार लोगों से इस प्रकार का बरताव नहीं कर सकती ।

श्रीमान्, एक अन्तिम शब्द कहना चाहता हूं । यदि आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास ५० एकड़ से अधिक भूमि न हो, और चूंकि उसे उस भूमिखंड से केवल ५,००० रुपये प्रति वर्ष मिल सकेंगे, तो उसका यही अभिप्राय होगा कि मेधावी व्यक्तियों, पूंजी या उद्यम को स्थान नहीं मिल सकेगा, और सभी सन्यासियों के समान रहने लगेंगे । इस से यही अभिप्रेत है कि सरकार बुद्धिमान व्यक्तियों को कृषि में भाग लेने से रोक रही है । तो सरकार यह चाहती है कि कृषि सदा निरक्षर, अनभिज्ञ और निर्धनता-पीड़ित व्यक्तियों के हाथ में रहे ताकि जब भी आवश्यकता पड़े, देश के राजनीतिज्ञ उन की इस दरिद्रता-निरक्षरता से लाभ उठाकर उन के मत प्राप्त कर सकें ।

श्री के० पी० गौंडर (इरोड) : खाद्य की समस्या पर यों तो इतना ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि स्थिति इतनी आतंकमयी नहीं कि जितनी बाहर से दीख रही है । वर्ष भर में हम लगभग ४ करोड़ ५० लाख टन खाद्य का उत्पादन करते हैं और हमें जैसा अनुमान लगाया गया है, केवल ३० लाख टन खाद्य का घाटा रहता है । हम कई वर्षों से इतनी मात्रा का आयात करते रहे हैं, किंतु इस पर कोई भी शोर नहीं मचा रहा है ।

मेरे राज्य मद्रास में, जिसे घाटे का क्षेत्र कहा जाता है, विनियंत्रण हुआ है और चिन्ह भी इस प्रकार के हैं कि हमें वहां कोई भी हानि नहीं हो पायेगी । और यदि मद्रास जैसे राज्य का जहां ६ लाख टन खाद्य का अभाव रहता है, इस प्रकार का प्रयोग किया गया तो उत्तर भारत के आधिक्य क्षेत्रों में भी विनियंत्रण सफल हो सकता है ।

बार बार कहा गया है कि विनियंत्रण से खाद्यान्न के मूल्य बढ़ जायेंगे । मान लीजिये कि ऐसा हो भी तो दाम बढ़ने से लाभ किसे होगा । लाभ तो निश्चय ही निर्धन किसान को होगा । नियंत्रण नीति पर यह एक और आपत्ति की जा रही है कि हमारे पास इतने योग्य व्यक्ति नहीं हैं जो नियंत्रण चला सकें । ठीक भी है, किन्तु हम ने जहां तीन वर्ष तक नियंत्रण चला कर खाद्य का आयात किया, वहां हमें इस को कुछ और समय चलाना पड़ेगा जब तक हमारी समस्या सुलझ जायेगी ।

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें लगभग ८५ लाख एकड़ भूमि में बड़े पैमाने की सिंचाई करेंगे, और ७५ लाख एकड़ भूमि में छोटे पैमाने की सिंचाई करेंगे जिस से कुल १ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी । कम उपज होते हुए भी हमें इस भूमि से कम से कम ८० लाख टन अनाज मिल सकेगा । हम ऋषिसार को भी प्रयोग में ला रहे हैं और भूमि का उद्धार करना चाहते हैं जिससे हमें और ४०-५० लाख टन अनाज मिल सकेगा इस प्रकार और पांच वर्षों में हम १ करोड़ २० लाख टन अतिरिक्त अनाज उगा सकेंगे । यों तो हमें ३० लाख टन अनाज का वार्षिक घाटा रहता है, और इस तरह हम पांच ही वर्षों में सारा घाटा पूरा कर लेंगे, ताकि हमें बाहर से खाद्य का आयात नहीं करना पड़े ।

सदन एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दे । इस देश में केवल ४ या ५ करोड़ एकड़ भूमि को सिंचाई हो चुकी है, और अभी २० करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होना बाकी है । किंतु सत्य यह है कि हम अपनी नदियों का केवल ६% जल इस काम में लाते हैं, शेष ९४% समुद्र में चला जाता है या उसका अपव्यय हो जाता है । यदि इस प्रकार की योजना बनाई जाती जिस से सभी नदियों का जल, अथवा कई एक नदियों का जिन से कुछ काम लिया जा सकता, सिंचाई के काम में लाया जाता तो हमारे देश में खाद्यान्न का और भी अधिक उत्पादन हो सकता ।

विरोधी दल के सदस्यों ने कई बार यह बात दोहराई है कि चूंकि किसान भूमि का स्वामी नहीं है अतः उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती । मैं इन माननीय सदस्यों का ध्यान नवीनतम जन गणना के आंकड़ों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमान्, कृषकों में से ६७% कृषक ऐसे हैं जो अपनी भूमि के स्वामी हैं केवल १३% कृषक अन्य लोगों की भूमि पर काश्त करते हैं, और केवल २% भूमिहीन कृषक हैं । तो, जैसा मैं पहले भी बतला चुका हूं, देश की बड़ी बड़ी नदियों को एक दूसरे से मिला कर अधिक अच्छे ढंग से देश के काम में लाया जा सकता है और कन्या कुमारी से हिमालय पर्वत की तलहटी तक सारी भूमि को सींचा जा सकता है । हो सकता है कि इस कार्य के पूरा करने में आप को ५० या १०० वर्ष लगें लेकिन ऐसा करने से हमारी समस्या सदा के लिये हल हो जायेगी ।

अब जन संख्या में वृद्धि होने की बात को लीजिये । नवीनतम जन गणना के आंकड़ों के अनुसार प्रति दस वर्ष में हमारी जनसंख्या में १४% वृद्धि होती जाती है । इस हिसाब से और ७० वर्षों के बाद हमारी जनसंख्या ७० करोड़ होगी । यदि हम इन नये साधनों को अपनायें तो, मैं समझता हूं कि हमारी स्थिति अच्छी हो जायेगी और हम जीवन का माप स्तर भी ऊंचा रख सकेंगे ।

श्री शेषगिरि राव : स्वतंत्रता के पांच वर्षों में भी हमारे देश की खाद्य समस्या सुलझ नहीं पाई है, यही कारण है कि सरकार को हर किसी बात में मुंह की खानी पड़ती है। सारे देश के सम्मुख केवल एक प्रश्न है कि खाद्य का क्या होगा। और अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका है।

स्वतंत्रता तो मिली। लोग केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, अपितु अकाल, गरीबी तथा विदेशी अन्न से भी स्वतंत्र होना चाहते थे। किंतु होता क्या है कि हमें प्रति वर्ष बाहर के देशों से अनाज का आयात करना पड़ता है। इधर से हमारे राशन भी घटते जा रहे हैं, लेकिन खाद्य के आयात पर हमारा व्यय अधिक होता जा रहा है। सरकार अनाज का उचित वितरण नहीं कर सकती ; और लोगों के सामने यही प्रश्न है कि घाटे के कारण खाद्य का अभाव है अथवा बुरे प्रशासन के कारण ऐसी बात हो रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये केवल तीन मार्ग हैं : पहला—तत्काल दृष्टिकोण, दूसरा—अल्पकालीन अवधि का, और तीसरा दीर्घकालीन अवधि का। जहां तक पहले मार्ग का प्रश्न है सरकार को सभी स्थिति का पूरा पूरा ध्यान करके वर्तमान बोझ को हल्का करना होगा। अब जहां तक अल्पकालीन अवधि में बरती जाने वाली नीति का प्रश्न है, सरकार को उत्पादन में वृद्धि करके इसे आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुंचाना होगा। जहां तक दीर्घकालीन नीति का प्रश्न है उन्हें जीवन का माप स्तर ऊंचा करना पड़ेगा और इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि देश में उपज की बहुतायत हो ताकि अकाल की स्थिति का भय नहीं रहे।

अब मैं पहले मार्ग को आप के सामने रखता हूं। हमारी समस्या यह है कि सम्भरण मांग को पूरा नहीं कर सकता। तब तक यही एक उपचार है कि नियंत्रण और वितरण हो। १९४७ तक वर्तमान नियंत्रणों को १९४८ में हटा दिया गया। इस से मूल्य सहसा बढ़ गये। जिस के परिणामस्वरूप नियंत्रणों को पुनः बिठाना पड़ा। १९४९ में नियुक्ति की गई खाद्यान्न जांच समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वह इस प्रकार है :

"यह समिति नियंत्रणों की पद्धति की असफलता को स्वीकार करती है। नियंत्रणों की पद्धति के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें पहुंची हैं। प्रशासन सम्बन्धी व्यय तथा प्रकारविशेष—ये दोनों सभी जगहों में फैले हुए हैं।"

और अब सच्ची बात यह है कि प्रशासन की बुराइयों और वितरण में मिलने वाले घटिया प्रकार के अनाज के कारण लोग नियंत्रण को हटाना चाहते हैं। पांच वर्षों तक के नियंत्रण कार्य से लोग यह बात भली भांति समझ चुके हैं कि पदाधिकारियों के हाथों राशन लेने की अपेक्षा व्यापारियों के हाथ से राशन पाना अच्छा है। यह है नियंत्रण की प्रगति।

अब आत्म निर्भरता प्राप्त करने की अल्पकालीन नीति लीजिये। इस सम्बन्ध में सरकार एक तटस्थ दर्शी के समान रही है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन क्या था? १९४१ या ४२ में ब्रिटिशरों ने यह आन्दोलन प्रारम्भ किया था चूंकि वे सेना के लिये सभी अनाज लेना चाहते थे अतः वे लागों से कहते फिरते थे कि अधिक अन्न उपजाओ। और अब हमारी कांग्रेस सरकार ने भी यह आन्दोलन चलाया है और इस पर लाखों रुपये फूंके हैं। किन्तु उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं की है। मैं इस के लिये कुछ आंकड़े बतलाऊंगा। १९३८ में ८०·७ % भूमि में अनाज की कृषि हुई थी। १९४९ में ५०·७ % भूमि में

अनाज की कृषि हुई। यानी ३०% भूमि में वाणिज्य फसलों की कृषि की गई। अब जहां तक औसत उपज का प्रश्न है, १९४४ में प्रति एकड़ लगभग ४६% उपज हुई। १९४९ में लग भग ४२ % उपज हुई और अब यही उपज घट कर ३८% तक पहुंच गई है। मद्रास में इस आन्दोलन का, 'अधिक फाइलें बढ़ाओ' या 'अधिक मूर्ख उपजाओ' आन्दोलन कहा जाता है । खाद्य मंत्री ने अनेक बार कहा है कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन असफल रहा है। कदाचित् इसी त्रुटि को छिपाने के लिये वन महोत्सव और भूमि सेना का आश्रय लिया गया है।

अब वन महोत्सव को लीजिये। विगत एक-दो वर्षों में मेरे जिले में ५०० या १,००० वृक्ष लगाये गये जिन में से एक भी वृक्ष नहीं बचा, यद्यपि बड़े समारोह से उन वृक्षों को लगाया गया था। अब भूमि सेना पद्धति लीजिये। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ये भूमि सेनायें गांवों में जा कर लोगों में उत्साह भर दें जब कि हमारा देश मूल रूप में एक कृषि प्रधान देश है, और कृषक में काफी उत्साह मौजूद है। पहली भूमि सेना का उद्घाटन करते समय हमारे राष्ट्रपति ने कहा था : "भारतीय कृषक भले ही निरक्षर हो, उस के पीछे शताब्दियों की कृषि विद्या, कृषि-अनुभव, और कृषि की सभी बातें हैं, जो शुष्क सिद्धान्त से अधिक मूल्यवान हैं। आज कल के कालिजों के विद्यार्थी नवीनतम अनुसन्धानों से प्रोत्साहन पा कर भी भारतीय किसान से अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बशर्ते वे उस के पास विनयपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक ढंग से जायें।"

हां, फसल प्रतियोगिता प्रणाली भी चल पड़ी है। मैं समझता हूं कि ये सब दिखावे की चीजें हैं। ये सभी कल्पना की बातें हैं। और इन के पीछे यही दर्शन है कि अधिक अन्न उगाया जाये जिस से सरकार का भ्रष्टाचार छिप सके। अभी उस दिन प्रधान मंत्री जी ने भी फसल प्रतियोगिता पर बहुत जोर दिया। आखिर, इस के पीछे तत्व क्या है ? मैं समझता हूं कि यह तत्व किसान पर आरोप लगाता है। यों तो पारस्परिक सहयोग होना चाहिये, और कृषक को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिये।

मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग पर जो कुछ भी धन व्यय किया जा रहा है वह सब अपव्यय हो रहा है। आप इस की सचाई पर संदेह कर लेंगे। लीजिये, आज आप कृषि विभाग के सारे कर्मचारी वर्ग को नौकरी से हटा लीजिये। तब देखिये क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। जनसाधारण ने कभी भी इस विभाग की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसे कभी भी इस विभाग से लाभ नहीं हुआ। अब भी जब कभी कोई कृषक खाद अथवा बीज की मांग करता है तो उसे कहा जाता है कि उसे साथ में वे रद्दी कृषि-उपकरण भी खरीदने पड़ेंगे :

बहु-प्रयोजन परियोजनाओं की प्रणाली भले ही अच्छी हो, किन्तु कई ऐसी छोटी-छोटी परियोजनायें हैं जो देश के कुछ भागों के लिये परमावश्यक हैं। अब लीजिये। स्वयं मैं रायलासीमा का रहने वाला हूं। इस में अनन्तपुर, बेल्लारी, कुद्दपा, कुर्नूल और चित्तूर नाम के पांच जिले हैं। आज से २०० वर्ष पहले मद्रास प्रेजीडैन्सी में यह भाग देश का सब से अधिक समृद्ध भाग था। और अब यह घाटे का क्षेत्र है। ऐसा क्यों है ? केवल इसलिये कि सरकार ने कभी भी देश के इस भाग की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रदेश में तालाब और कुंयें हैं जो टूटी-फूटी स्थिति में हैं। मेरा विश्वास है कि यदि इस प्रदेश में एक-दो करोड़ रुपये लगा कर तालाब और कुंयें खुदवाये जायेंगे तो कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। किन्तु सरकार दामोदर और हीराकुंड जैसी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये

[श्री शेषगिरि राव]

खर्च कर रही है, और यह पैसा सीधे ही विदेशों को चला जाता है और हमें आपत्तियों में डाल देता है । ऐसी बातें हमारी समझ में नहीं आ सकतीं ।

एक और सुझाव सुन लीजिये । यदि हर एक किसान को, जिस के पास दो बैल हों, सरकार एक हजार रुपया दे और ४ बैल रखने वाले किसान को दो हजार रुपये दे और उन से यह कहे कि वे पांच वर्ष में यह रुपया लौटायें, तो मुझे विश्वास है कि कृषक अधिक उत्पादन कर सकेंगे आप इसी वर्ष इस का प्रयोग कीजिये ।

श्री नेसवी (धारवाड़ दक्षिण) : मैं माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं । मैं करनाटक का रहने वाला हूं । मैं जन्म और शिक्षा से एक कृषक हूं। मैं ने १९२९ में बम्बई यूनिवर्सिटी से कृषि में बी० ए० पास किया था ।

हां, प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में मुझे बाइबिल की एक कहावत याद आ जाती है । "रास्ता चौड़ा तो है किन्तु दरवाजा बहुत सांकरा है और वह चौड़ा रास्ता नरक को पहुंचता है । और विपरीत इस के स्वर्ग को पहुंचाने वाला रास्ता सांकरा तो है लेकिन उस का दरवाजा बहुत चौड़ा है ।" इस को ध्यान में रखते हुए मुझे यह बात याद आ जाती है कि हम ने सचमुच एक खराब रास्ता चुना है । ठीक है कि कुछ व्यक्तियों ने सोच विचार कर के ही बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ये रास्ते हमें किसी उल्टी दिशा को ले जा रहे हैं ।

आखिर खाद्य की वृद्धि के कारण क्या हैं ? भूमि, जल, वित्त, खाद, बीज तथा जनबल— इन्हीं से किसी भी देश के खाद्य उत्पादन को आंका जा सकता है । भूमि— हमारे देश में पर्याप्त भूमि है और बहुत सी भूमि पड़ती पड़ी है। मैं सब से पहले अतिमहत्वपूर्ण कारण 'जनबल' को ही लूंगा । वास्तव में कृषकों से ही पूछा जाना चाहिये कि अधिक अन्न उपजाने के लिये क्या क्या होना चाहिये । उन से पूछिये और वे बता देंगे कि हमें अधिक मूल्य दीजिये, और हम आप को अधिक से अधिक अन्न देंगे। किन्तु यदि उसे अधिक से अधिक मूल्य नहीं मिल सका तो उस में कैसे उत्साह रह सकता है । उस की उपज ली तो जाती है किन्तु उस के दाम नहीं दिये जाते, तो बताइये वह किस तरह अधिक उत्पादन कर सकेगा ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । अधिक मूल्य नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री नेसवी : मुझे कृपया बोलने दीजिये । यदि कृषक को उस की उपज के लिये अधिक दाम दिया गया तो उस का सारा परिवार अधिक फसल उपजाने में जुट जायेगा । वह अनेक प्रकार के साधनों को जुटा लेगा--खाद डालेगा, पानी पहुंचायेगा , आदि और अधिक फसल उगायेगा ।

दूसरी बात यह है कि हम कृषक मनोविज्ञान को समझ नहीं पाते । हमें चाहिये कि हम उस के निकटतम संपर्क में आ जायें और उस को जानने का प्रयत्न करें । आप ने ठीक किया जो योजनायें बनाई, लेकिन उन योजनाओं में कृषक को स्थान नहीं मिला— आप ने इन योजनाओं को बनाते समय वही दक़ियानूसी पदाधिकारियों का ढर्रा खड़ा किया, और कृषक की अवहेलना की । मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार का यह समरस नहीं हो तो वह कृषक कभी भी तन मन से कृषि नहीं करेगा, और कभी भी आप की योजना सफल नहीं होगी ।

हम बहुत सी योजनायें बनाते हैं जो कृषकों के पास नहीं पहुंच पातीं। वैज्ञानिकों और विशारदों को विदेशों में कृषि की प्रशिक्षा के लिये भेजा जाता है किन्तु इस से क्या लाभ होता है। मैं सुझाव करता हूं कि कृषि-विशारदों और वैज्ञानिकों को विदेशों में भेजने के स्थान पर आप भारत भर के गांव के सभी प्रकार-विशेष के किसानों को बुला कर इंगलैंड तथा अन्य देशों में जो कृषि-विज्ञान में आगे बढ़ चुके हैं, भेज दीजिये, तो देखिये कि वे वहां से लौट कर इस प्रकार का वातावरण पैदा करलेंगे कि वे सभी नये तरीके समस्त भारत में अपनाये जायेंगे और यहां के उत्पादन में वृद्धि होगी। रहे यहां के कार्यक्रम। इन में ग्रामों के सुधार को अवहेलना हुई है। जब तक ग्राम सुधार नहीं होता, तब तक हमारे देश का कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। सच पूछा जाये तो कृषि के दृष्टिकोण से तो देश भर में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। जब तक दीर्घ सूचियों को हटाया नहीं जाता और मात्र महावाक्य कहने वालों के स्थान पर कर्मठ व्यक्तियों को नहीं बिठाया जाता तब तक कोई भी काम नहीं होगा। हमें पूरी गंभीरता से काम करना पड़ेगा। अभी तो मैं आप से कह रहा था कि स्वर्ग-द्वार बड़ा चौड़ा है किन्तु उस का रास्ता सांकरा है।—अब मैं.....

श्री किदवई : भूमि को ....

श्री नेसवी : कृषि जैसे विषय पर बहुत समय तक विचार-विमर्श किया जाना चाहिये, विशेषतः भारत के लिये जब कि यहां कृषि पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो कृषि सुधार के लिये कई एक बातें बहुत ही आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, ऐसे कानून बनाये जाने चाहियें जिन से छोटे छोटे भूमि खंडों का एकीकरण एवं संचयन हो सके। ठीक इस समय के जैसे अमितव्ययी और अनार्थिक भूमिखंड न रहें। दूसरे, कृषकों को ऋण दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये, चूंकि पहले की ऋण दिलाने की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। गांव-गांव में इस प्रकार के बैंक खोले जाने चाहियें कि किसान भूमि को गिरवी रख के वहां से ऋण ले सकें। हां सिंचाई की सब से अधिक आवश्यकता है। सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं से हमें कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि उन के पूरा होने में बहुत समय लगेगा और तब तक देश की आर्थिक एवं खाद्य स्थिति और भी बिगड़ जायेगी और उन पर बहुत व्यय भी होगा। मैं समझता हूं कि छोटी छोटी योजनाओं को प्रारम्भ करने से ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है।। सिंचाई की इन छोटी छोटी योजनाओं के कई लाभ हैं—कुंयें खुदेंगे, नहरें निकलेंगी, घास उगेगी, खाद्य का उत्पादन होगा और देश की दशा सुधर जायेगी। आप करनाटक को ही लीजिये। वहां की घाट प्रभा योजना पर केवल ३० करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस के पूरा हो जाने पर ८ लाख एकड़ भूमि में कृषि होगी और २० लाख टन अनाज की उपज होगी लेकिन हम करोड़ों रुपयों की योजनाओं के बदले छोटी छोटी योजनायें आरम्भ कर सकते थे और उन से शीघ्र ही लाभ हो सकता था।

हां, सरकार से मेरा एक और सुझाव भी है, कि हमें अधिक नगर नहीं बसाने चाहियें, क्यों कि उन पर काफी धन व्यय हो जाता है, और हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपव्यय हो जाता है। देश भर में उद्योग तथा शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें फैलनी चाहियें, ताकि गांव वालों को भी लाभ हो सके। सरकार को चाहिये कि वह एक निश्चित क्रान्तिकारी योजना आरम्भ करे, ताकि सभी पहलुओं में एक दम परिवर्तन हो, और सभी को संतोष मिल सके अन्यथा हमारी इस बढ़ती समस्या को सुलझाया नहीं जा सकेगा।

श्री पोकर साहेब : मैं आप का इस बात के लिये धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मुझे मालूम नहीं कि क्या सरकार खाद्य समस्या की गंभीरता को समझ पा रही है ।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : वह समझ नहीं सकते ।

श्री पोकर साहेब : मैं बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में भुखमरी के कारण लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। इस बात को एक और तरीके से आंका जा सकता है । यह सत्य है कि पिछले दस वर्षों से लोगों को अच्छी तरह से अन्न नहीं मिल सका है। लोगों को पेट भर खाना नहीं मिला । और जो कुछ भी मिला वह घटिया प्रकार का मिला। तो लोगों की मृत्यु इस तरह हुई कि उन्हें बहुत समय से अपर्याप्त मात्रा में तथा घटिया प्रकार का खाना मिला। अब बताइये कि ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार काम कर सकते थे। इस दीर्घ-कालीन और शनैः शनैः चलने वाली भुखमरी ने हजारों की जानें लीं, और इस बात का उत्तरदायित्व सरकार पर ही है । श्री केलप्पन ने खाद्य नीति तथा खाद्य आयात के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा मैं उस से सहमत हूं। किन्तु सरकार के समक्ष और कौन सा साधन था जिस से अभाव दूर किया जा सकता था। निश्चय ही सरकार युद्धकाल में नियंत्रण बिठा कर ही इस समस्या का हल कर सकती थी, किन्तु सरकार की कुव्यवस्था और उस के कुप्रशासन से ही इतनी मृत्युयें हुई। सरकार ने अच्छा किया जो राशनिंग की पद्धति चलाई और अन्न का समाहार किया। किन्तु वितरण ठीक नहीं हो पाया और उसी के परिणाम स्वरूप लोगों में सदा असंतोष रहा। समाहार किये गये अन्न का उचित दाम न मिलने के कारण कषक का उत्साह भी भंग हुआ।

हां, एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इतनी सारी योजनाओं को परियोजनाओं को बनाते अथवा प्रारम्भ करते समय भारतीय कृषक को ध्यान में नहीं रखा गया। अब देखिये कि जिन वस्तुओं पर एक कृषक की आजीविका निर्भर होती है उन के दाम दो, तीन बल्कि चार गुना हो गये हैं। उस से अन्न लिया जाता है किन्तु उस का उचित दाम नहीं दिया जाता। अब बताइये कि ऐसी स्थिति में एक ईमानदार आदमी अनाज के उत्पादन एवं कृषि पर किस प्रकार निर्भर कर सकता है। यही कारण है कि उसे वाणिज्य-फ़सलों की कृषि करनी पड़ी, जिस के परिणामस्वरूप खाद्य का उत्पादन घट गया ।

अब मद्रास राज्य को लीजिये। वहां विनि-यंत्रण हुआ । इस में संदेह नहीं कि लोगों ने इस का स्वागत किया, किन्तु नियंत्रण हटाने के समय वहां के लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया था बल्कि वहां के मुख्य मंत्री ने ही इसे हटा लिया था। मैं उन के साहस की प्रशंसा करता हूं, और इस के साथ ही साथ मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उन की यह नीति सफ़ल हो जाये और अन्य राज्यों में भी नियंत्रण को हटाया जाये ।

मैं इस सिलसिले में यह भी बतला देना चाहता हूं कि विनियंत्रण के कारण मद्रास में समाहार बन्द हो चुका है। हमारे प्रदेश में मालाबार और नीलगिरि जैसे स्थान भी हैं जहां खाद्य का अभाव रहता है और सरकार को यहां खाद्य का आयात करना पड़ता है । हम मलाबारवासी बहुत ही विकट स्थिति में हैं क्योंकि हमें सरकार की दया पर ही जीवित रहना पड़ता है, अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमें खाद्य की सहायता मिलती रहनी चाहिये ।

जहां तक विनियंत्रण का प्रश्न है, हमारी समस्या का यही एक मात्र सुझाव नहीं हो

सकता । रहा यह कि लोग क्यों विनियंत्रण का स्वागत करते हैं : इस का यही कारण है कि नियंत्रण हटने के बाद से इन लोगों को सरकारी पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली परेशानी और ज्यादतियों से छुटकारा मिला है । हां, मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह मालाबार में मलमपुज़ा योजना को पूरा कर लें । इस योजना के पूर्ण होने के बाद ४०,००० एकड़ भूमि में कृषि होगी और वहां की खाद्य समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी । इस के साथ साथ सरकार को वहां अन्य छोटी बड़ी सिचाई योजनाओं को पूरा करना होगा ।

यह एक और सुझाव देना चाहता हूं कि नियंत्रण हटाये जाने के साथ साथ निजी व्यक्तियों को इस बात की स्वतंत्रता मिलनी चाहिये कि वह बाहर से खाद्यान्न का आयात कर सकें। तभी हमारी खाद्य सम्बन्धी समस्यायें हल हो सकेंगी ।

श्री अब्दुस्सत्तार (कलना-कटवा) : मैं सर्वप्रथम माननीय खाद्यमंत्री को उन की नई नीति पर धन्यवाद करना चाहता हूं, और इस सिलसिले में मद्रास के मुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचार्य को भी उन के उत्साह भरे पग पर धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्रीमान्, अभी हाल में मैं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, और मुझे पता चला कि वहां के लोगों ने इस नई नीति का स्वागत किया है । अभी हाल में पश्चिमी बंगाल में अनाज के दाम बढ़ गये हैं, कारण यह है कि कलकत्ता में चोरी-छिपे अनाज लाया जाता है, और चूंकि लोग वहां अधिक से अधिक दाम दे सकते हैं, अनाज के दाम भी बढ़ गये हैं। अब यदि कलकत्ता नगर में इस सारी पाबन्दी को समाप्त किया जाय और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, अनाज को लाने ले जाने की पाबन्दी हटाई जाये तो पश्चिमी बंगाल में खाद्य की कमी दूर हो जायेगी ।

अभी पिछले दिनों जब मैं कलकता नगर गया था मुझे बताया गया कि वहां केन्द्र से चावल की रसद नहीं पहुंचो है । और जब वहां के लोगों को इस बात का पता चला कि केन्द्र से सहायता मिलने वाली है तो काले बाज़ार वालों का साहस भंग हुआ और दाम गिरने लगे। पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री के वक्तव्य से पता चला है कि केन्द्र से सहायता मिलने वाली है और मैं आशा करता हूं कि इस से मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा ।

मैं बुरदवान ज़िले का हूं, और इस को आधिक्य क्षेत्र माना जाता है किन्तु इस में भी कई एक ऐसे स्थान हैं जहां घाटा रहता है। इस घाटे को पास पड़ौस के ज़िलों से चावल ला कर ही पूरा किया जाता है, किन्तु लाने ले जाने की पाबन्दी के कारण लोगों को बहुत कठिनाई होती है और चोरी छिपी अनाज लाने वालों को प्रोत्साहन मिलता है । यदि ज़िलों के बीच अनाज के आदान-प्रदान पर से पाबन्दी हटाई गई तो उन व्यक्तियों की कमर टूट जायेगी और अनाज के भाव गिर जायेंगे ।

पश्चिमी बंगाल के लोगों को खाद्य मंत्री की नई नीति की बात सुन कर बहुत ही सान्तवना मिली है । पश्चिमी बंगाल के कई भागों में खाद्य की कमी है, अतः अधिक उत्पादन करने से यह कमी दूर हो सकेगी । बहुत देर तक आयात करने की बात नहीं जंचती; यदि हम स्वयं ही अधिक उत्पादन कर सकें तो हमारी कठिनाइयां दूर हो जायंगी ।

हमें जल की ही सब से अधिक आवश्यकता है, और हम पश्चिमी बंगाल-निवासी आंखों में इंतिज़ार ले के बैठे हैं कि कब दामोदर घाटी परियोजना हमारी भूमि को सींचेगी मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री तथा अन्य

[श्री अब्दुस्सत्तार]

संबद्ध मंत्री इस बात की ओर ध्यान देंगे और शीघ्रातिशीघ्र इस योजना को पूरा करेंगे ताकि बुरदवान और अन्य जगहों में नहरों का पानी आ सके, और खाद्य का अभाव दूर हो सके ।

इन दिनों की समाहार नीति ठीक नहीं, और पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है; वहां के लोग यह सुन कर बहुत ही प्रसन्न हुये हैं कि नई आरोपण नीति चलाई जायेगी जिस से १५ बीघे से अधिक भूमि के स्वामियों को ही कर के रूप में अनाज देना पड़े । वहां के कृषक इस बात से संतुष्ट हैं ।

प्रायः यह बात सुनने में आती है कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पूरी तरह से असफ़ल रहा है. किंतु मैं समझता हूं कि हमें कुछ बातों में सफ़लता मिली है । आखिर **वन-महोत्सव** में क्या बुरी बात है ? आपके पितामहों के लगाये वृक्षों के फ़ल आपको मिले और आपके हाथ से लगे वृक्षों के फ़ल आपकी अगली पीढ़ियां खायेंगी । **वन-महोत्सव** से अधिक पेड़-पौधे लगेंगे और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से अधिक अन्न का उत्पादन होगा । तब तक, सही अर्थ में कोई भी देश स्वतंत्र नहीं माना जा सकता जब तक उसे रोटी-कपड़ा न मिले । और रोटी-कपड़े के संबंध में देश आत्मनिर्भर होना चाहिये— यही सरकार का कर्तव्य है । किंतु, इस बातमें सरकार को लोगों का सहयोग भी मिलना चाहिये ।

विरोधी दल के सदस्यों से भी एक शब्द कहना चाहता हूं । पिछली बार मैं ने उनसे प्रार्थना की थी कि वे आगे बढ़कर हमें सहयोग दें । बल्कि उन्होंने यह भी कहा था कि खाद्य का प्रश्न राजनीति से उपर समझा जाना चाहिये । किंतु वे ही लोग अभावग्रस्त क्षेत्रों में जाकर खाद्या भाव की घोषणा करते-फ़िरते हैं कोई सक्रिय कार्य नहीं कर दिखाते । आग ! आग ! चिल्लाने से आग नहीं बुझती— पानी डालने से ही आग बुझा करती है । अभी हमने भूख हड़ताल और भूख हड़तालियों के प्रयाण की बातें सुनी हैं । ये सभी प्रदर्शन इन ही लोगों द्वारा कराये जाते हैं । हमारे कई मित्र हमें १९४३ के युग में ले जाना चाहते हैं । वह तो पुरानी बातें ह । अब तो आपकी अपनी लोकप्रिय कांग्रेस सरकार है । इस में एक व्यक्ति भी भूखा नहीं मर सकेगा । पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री के उस दिन के वक्तव्य से मुझे पता चला है कि वहां लोगों को ३ आने प्रति सेर के हिसाब से कुटे चावल दिये गये हैं, और वहां की सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रो में सहायता केन्द्र खोंलने का निश्चय किया है । इतना ही नहीं, उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज की मुफ्त रसद मुहैया की है, और उन लोगों को ऋण भी दिये हैं । इन सब बातों के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार धन्यवाद का पात्र है । यही क्या कम काम है कि जिन दिनों अन्य सरकारें अपने राज्यों में ६ औंस प्रति दिन का राशन भी नहीं दे सकती थीं उन दिनों पश्चिमी बंगाल सरकार ने १२ औंस प्रति दिन का राशन दिया।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का समर्थन और कटौती प्रस्तावों का खंडन करता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : कितना ही अच्छा होता कि मैं भी माननीय खाद्य मंत्री और प्रधान मंत्री तथा कुछ अन्य विरोधी सदस्यों के समान खाद्य स्थिति के संबंध में आशावादी बन जाता । मैं अभी अभी पश्चिमी बंगाल के सुन्दरबंस, २४-परगने, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और पश्चिमी दीनाजपुर के अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आया हूं ।

मैं समयाभाव के कारण जलपाइगुरी और कूचबिहार जैसे अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सका। पश्चिमी बंगाल की स्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहां बिना नियंत्रण बिठाये काम नहीं चल सकता। इस समय यह प्रश्न हमारे सम्मुख है कि उन क्षेत्रों में किस प्रकार सहायता पहुंचाई जा सकती है। इधर नई नीति की बात सुनकर हमें कुछ आशा झलकने लगी थी, क्योंकि श्री किदवई ने इस बात की घोषणा की थी कि बंगाल को खाद्य सहायता दी जायेगी और खाद्य के लाने ले जाने पर से पाबन्दी हटाई जायेगी। किंतु जब से हमने यही देखा कि इस नई नीति के चलाये जाने में पश्चिमी बंगाल सरकार का खाद्य प्रशासन पक्ष बाधायें प्रस्तुत कर रहा है। मैं किसी भी व्यक्ति पर दोष आरोपित नहीं करना चाहता, किंतु यह बताना चाहता हूं कि श्री किदवई के दौरे के बाद से पश्चिमी बंगाल में एक आपाधापी सी मच गई है। श्री किदवई के दौरे के बाद वहां के खाद्य मंत्री श्री सेन ने संवाददाताओं से कहा कि श्री किदवई द्वारा घोषित नीति को अगली जनवरी से लागू किया जायगा। समाचारपत्रों ने एक आपाधापी सी मचा रखी और प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि उक्त नीति को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाय। इसके बाद बहुत सी परस्पर विरोधी रिपोर्टें छप गई, और अभी कुछ दिन हुए कि श्री सेन ने बतलाया कि अगली अक्टूबर से नई नीति को चलाया जायेगा। अतः मैं श्री किदवई से प्रार्थना करूंगा कि वह बंगाल-वासियों को इस बात का आश्वासन दें कि कब से यह नीति चलाई जायेगी। इस नीति के अनेक भाग हैं। पहली बात तो केन्द्र द्वारा कलकत्ता नगर तथा कलकत्ता के आसपास नागरिक औद्योगिक क्षेत्रों को रसद पहुंचाने की है। कब से रसद दी जायेगी। दूसरे यह कि अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते दाम की अनाज की दुकानें खोली जायेंगी।

श्री किदवई : क्या अभी यह चीज़ नहीं हुई ? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों की अनाज़ की दुकानें खोली जा चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें सहायता देने वाली दुकानें कहा जाता है। सस्ते दामों के अनाज़ की दुकानें भी इसी तरह चलती हैं।

श्री टी० के० चौधरी : उस दिन उन्होंने सदन को बतलाया कि ये सहायता देने वाली अथवा सस्ते अनाज की दुकानें....

सरदार ए० एस० सहगल : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय जरूरी कनवेनशन्स जो सब पार्लियामेन्ट में माना जाता है, उसके मुताबिक माननीय सदस्य जी भाषण दे रहे हैं उन्हें माननीय मंत्री अन्न विभाग कह करके संबोधन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के नाम का निर्देश करना अच्छा नहीं। यहां मंत्री को 'मंत्री' कहा जाय। कभी कभी मंत्री कहने की अपेक्षा मंत्री का नाम लेना ही अधिक प्यारा लगता है।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, हमें अपनी रूढ़ियों का अनुसरण करना पड़ता है।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय खाद्य मंत्री द्वारा घोषित योजना के अनुसार दो प्रकार की दुकानें खोली जाने वाली थीं। यों कहना चाहिये कि राज्य द्वारा नियंत्रित काले बाज़ार की दुकानें जो ३० रुपये प्रति मन चावल बेचती हैं, कलकत्ता शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में खोली जायेंगी, और सहायता देने वाली या सस्ते अनाज की दुकानें जहां से १५ रुपये प्रति मन के चावल थोड़ी सी मात्रा में मिल सकेंगे, खोली जायेंगी। इन में से बाद की ये दुकानें

[श्री टी० के० चौधरी]

राज्यों के पीड़ित क्षेत्रों के लिये होंगी। यह प्रस्ताव ठीक है लेकिन अभी सुन्दर बस से बाहर के क्षेत्रों में ये दुकानें खोली नहीं गई हैं। कदाचित इस का यही कारण है कि अभी ४५ या ५० रुपये प्रति मन के चावल नहीं बिकने लगे हैं। आश्चर्य है कि अभी उस दिन खाद्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि चावल का दाम ४५ रुपये प्रति मन से घट कर ३० रुपये २ आने प्रति मन पर आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में ४० रुपये से ५० रुपये प्रति मन तक के चावल मिल जाते हैं और नगरों में नगरपालिका के अन्तर्गत क्षेत्रों में ३० रुपये से ३२ रुपये प्रति मन तक के चावल मिलते हैं, किन्तु बंगाल के लोग इतने मंहगे चावल नहीं खरीद सकते। और अधिक मूल्यों के कारण सारे देश में भुखमरी फैलती जा रही है। मेरे ही अपने जिले में दो प्रकार के क्षेत्र हैं जहां लोगों को आटा या चावल नहीं मिलता भीगीरथी के पूर्व में कलाई क्षेत्र है जिसे काले चने का क्षेत्र कहा जाता है। वहां लोग कलाई और जूट के पत्ते खाते हैं या इन दोनों को उबालकर छान कर, इसके पानी के साथ थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे पी जाते हैं। दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहां ये काले चने नहीं होते बल्कि धान की खेती होती है लेकिन अब के वर्षा न होने के कारण धान की खेती नहीं हुई और लोगों को खेनसारी जो एक प्रकार की घटिया अरहर की दाल होती है, खानी पड़ी है। इस क्षेत्र में आम भी नहीं मिलते ताकि लोग उन्हीं पर गुजारा कर लेते। मेरे पास कई एक पत्र और तार आ चुके हैं, और उन में लिखा है .....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह पत्र से पढ़ कर सुनायें तो उन्हें वे पत्र सदन पटल पर रखने पड़ेंगे वह उस का सार बता सकते हैं।

श्री टी० के० चौधरी : मैं सारा पत्र सदन पटल पर नहीं रखना चाहता न ही उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस में वहां के जिलाधीश ने लिखा है कि अनाज के मूल्यों को इस तरह कम किया जा सकता है कि पास पड़ोस के क्षेत्रों से चोरी छिपे अनाज लाकर लोगों को खिलाया जाय। आप ने हमारे जिले को अलग कर दिया है; और फसलों के अभाव में वहां और कोई भी सहायता नहीं मिल सकती। मैंने मालदा का भी दौरा किया। वहां ४० रुपये प्रति मन के चावल मिलते हैं ३० रुपये २ आने के नहीं जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री कह रहे थे।

श्री किदवई : क्या वहां सस्ते अनाज की दुकानें नहीं खोली गईं ?

श्री टी० के० चौधरी : नहीं, श्रीमान्।

श्री किदवई : मुझे तो वहां के खाद्य मंत्री की चिट्ठी मिली है। उन का यह उत्तर है कि यदि आवश्यकता पड़े तो दुकानें खोली जायेंगी।

श्री टी० के० चौधरी : बंगाल के खाद्य मंत्री ने राज्य विधान-परिषद् में कहा था कि बहुत से जिलों में सहायता देने वाली दुकानें खोली जायेंगी और सहायता का काम शुरू किया जायेगा। उन जगहों में नदिया का नाम तो आता है किन्तु मालदा का नाम नहीं आता।

श्री किदवई : नदिया में सहायता के प्रयोग हो रहे हैं और सहायता देने वाली दुकानें भी खोली जा चुकी हैं।

श्री टी० के० चौधरी : मैं उन के वक्तव्य के आधार पर बोल रहा हूं। केवल नदिया और मालदा की बात नहीं है। नदिया

का नाम प्रकाशित हो चुका है। अब देखिये जलपायगुरी और कूच-बिहार जैसी जगहों में भी अकाल के बादल मंडराने लगे हैं। अतः मैं खाद्य मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इन क्षेत्रों में सहायता पहुंचायें, ताकि भुखमरी से किसी की जान न जाये। एक सदस्य ने कहा था कि भुखमरी से मृत्यु नहीं हुई है— लेकिन मैं जानता हूं कि गांव के गांव भुखमरी के शिकार हो गये हैं। आप सहायता देना चाहते हों तो अभी दीजिये। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आवश्यकता पड़ने या मांग होने पर ही सहायता देने वाली दुकानें खोली जायेंगी।

श्री किदवई : वे तो खोली जा चुकी हैं।

श्री अच्युतन (कैंगनुर) : आपने आज के दिवस की अंतिम घड़ियों में मुझे बोलने का अवसर दिया है, अतः मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब के माननीय सदस्य ने कहा कि हमें दलगत नीति से ऊपर उठ कर खाद्य की समस्या को हल करना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि खाद्याभाव हमारा सब से पहला शत्रु है, यह पिछले दस वर्ष से हमें परेशान करता रहा है। हमें इसीका उपचार करना चाहिये। सरकार भी पिछले १० वर्षों से इसी प्रयत्न में लगी है, और इस समस्या को सुलझाने में बहुत अधिक प्रगति हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और यह हमारा सौभाग्य है कि खाद्य विभाग श्री आर० ए० किदवई जैसे योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया है, और मैं समझता हूं कि हमारी समस्या जल्दी और ठीक ढंग से सुलझ जायेगी।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के विरोध में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मैं समझता हूं कि इस आन्दोलन को बन्द नहीं किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी योजनाओं की अपेक्षा छोटी छोटी योजनायें जिन में सिंचाई योजनायें, खाद, अधिक अच्छे बीजों का दिया जाना आदि सम्मिलित हैं, हमारे लिये अधिक लाभदायक होंगी। मैं त्रावनकोर-कोचीन यानी केरल प्रदेश का हूं जिसे सब से अधिक घाटे का क्षेत्र समझा जाता है। हम ने ही सब से पहले राशनिंग पद्धति शुरू की थी। लेकिन हम अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिये हम ने वाणिज्यिक फसलों की कृषि की और सारे भारत को इस बात का गर्व होना चाहिये कि हमारे प्रान्त में विदेशी विनिमय में सब से अधिक धन कमाया है। आप कोचीन और अल्लेप्पी पत्तनों के आंकड़े देखिये, नारियल जटा के उत्पाद, काली मिर्च, चाय, इलायची, काजू, आदि के निर्यात से हम ने विदेशों से बहुत धन कमाया। इसीलिये मैं ने कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन के साथ असाधारण व्यवहार होना चाहिये। मैं खाद्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह त्रावनकोर-कोचीन का दौरा करें और वहां का टैपियोका और चावल खा के देख लें। मैं कोई समालोचना नहीं करना चाहता किन्तु यह कहना चाहता हूं कि हमारी दशा बहुत ही दयनीय है और हम ने पिछले दस वर्षों में बहुत ही आपदायें भुगती हैं। इस से बुरा और क्या हो सकता है कि हम ने कभी भी पूरा भोजन नहीं किया मैं यह भी बता चुका हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में पूरी कृषि करने से भी वहां का खाद्याभाव दूर नहीं किया जा सकता। वहां प्रति वर्ष ५० % घाटा रहता है। माननीय मंत्री जी से मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि वह विनियंत्रण करने से पहले सोच लें ऐसा न हो कि बंगाल का इतिहास त्रावनकोर-कोचीन में फिर से लिखा जाय।

मैं खाद्य-सहायता के प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं छेड़ना चाहता। वास्तव में त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति ही बहुत विचित्र है,

[श्री अच्युतन]

जो एक बार का दौरा करने और स्वयं मौके पर आकर देखने से ही सम्बन्ध रखती है। जब से केन्द्र के साथ त्रावनकोर-कोचीन का वित्तीय एकीकरण हुआ, हमें वहां का अन्तः देशीय आगत-शुल्क छोड़ देना पड़ा जिस से हमें २ करोड़ रुपये की क्षति हुई। अतः हमें क्रय और विक्रय के अन्तर के लिये भी केन्द्र पर निर्भर करना पड़ता है, और हमारे लिये यह असंभव हो जाता है कि चावल का खुदरा भाव बढ़ाया जाय। नारियल-जटा के उद्योग में मन्दी आने से लोगों की क्रय-शक्ति भी कम हो चुकी है। अतः केन्द्र को काफ़ी सहायता देनी पड़ेगी।

मैं प्रान्तीयता के पक्ष में नहीं किन्तु इतना कह देना चाहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन मद्रास जैसा राज्य नहीं था। इस की अपनी स्वतंत्र सत्ता थी किन्तु अब वहां स्थिति ठीक नहीं रही है, अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उसे ५ करोड़ २५ लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिये। इस में किसी भी अन्य राज्य को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये। अन्यथा सहायता के अभाव में हम कोई भी कार्य नहीं कर पायगे।

त्रावनकोर-कोचीन में मीन-उद्योग के पनपने की इतनी गुंजायश है किन्तु १९५१ में इसके लिये कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। हमारे प्रान्त में अन्तःदेशीय और सामुद्रिक क्षेत्रों में बहुत मछलियां पकड़ी जा सकती हैं, और मछली एक पोषक खाद्य है, अतः इस उद्योग के लियें भी बहुत सहायता मिलनी चाहिये ताकि हमारे प्रान्त और अन्य प्रान्त के लोगों को इस से पूरा पूरा लाभ हो सके। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत भर में एक जगह से दूसरी जगह खाद्य लाने ले जाने पर के सारे प्रतिबन्ध हटाये जायेंगे? लेकिन इसका उत्तर नहीं में मिलता है तो हम राशन या नियंत्रण को हटा नहीं सकते। हम भले ही समाहार नीति में परिवर्तन करें, लेकिन नियंत्रण या राशन को हटाया नहीं जा सकता। हमारे खाद्य मंत्री इन बातों से परिचित हैं, अतः वह वितरण तथा समाहार में होने वाले सारे भ्रष्टाचर को दूर कर देंगे। मैं टंडन जी की इस बात से सहमत हूं कि नियंत्रण और समाहार से भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैली हुई है, किन्तु मैं उनके हिन्दी प्रणय को ज्यादा नहीं समझता। हमें असैनिक सम्भरण विभागों का ऊपरी व्यय कम करके उसे अधिक अच्छी योजनाओं और पुनःरचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिये, और छोटे पैमाने की सिंचाई की योजनाओं, खाद, बीज और अन्य सामग्री पर ही धन का व्यय करना चाहिये ताकि लोगों को तत्काल लाभ हो सके।

आपको त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति मालूम है। वहां पश्चिमी तट पर पूर्वी दिशा में ऊंची पठारे हैं, और मध्य में एक पठार है तथा पश्चिमी दिशा में समुद्र है। वहां की नदियां छोटी छोटी और अस्थायी हैं। तो इस प्रकार हमें दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां ऋतु सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। वर्षा ऋतु में बाढ़ें आती हैं और गरमियों में अकाल पड़ता है। जब तक त्रावनकोर-कोचीन में छोटे और बड़े बांध नहीं बांधे जाते तब तक अच्छी खाद, अच्छे बीज, आदि के बावजूद भी हमारी कठिनाइयां दूर नहीं हो सकतीं। और इस के लिये हमें केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये। अतः त्रावनकोर कोचीन के सम्बन्ध में सरकार को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिये। खाद्य सहायता को भी वैध अंभ्यंश के रूप में उचित मात्रा में दिया जाना चाहिये। यदि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार को सहायतार्थ अनुदान दिये गये हैं तो त्रावनकोर

कोचीन को भी मिलना चाहिये। जब निर्यात शुल्क के बदले अन्य राज्यों को कोई उचित अभ्यंश दिया जाता है तो त्रावनकोर-कोचीन को भी सहायता का अभ्यंश मिलना चाहिये क्योंकि इस राज्य से आप को विदेशी विनिमय में बहुत धन प्राप्त होता है। पुनः मैं निवेदन करता हूं कि इन सभी बातों को ध्यान में रख कर त्रावनकोर-कोचीन को सहायता दी जानी चाहिये।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार ३० जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।